लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 4.7.89
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17—बुधवार, 17 अगस्त, 1966/26 श्रावण, 1888 (शक)

No. 17— Wednesday August 17, 1966 / Sravana 26, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos. :

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
479. मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	Mortality Statistics	1-3
481. पाकिस्तानी घुसपैठिये	Intruders from Pakistan	3-5
483. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices	5-8
484. मिज़ो विद्रोही	Mizo Rebels	8-11
प्लास्टिक का विस्फोटक बम	Plastic Explosive Bomb	11-13
सरकारी दौरों पर मंत्रियों द्वारा किया गया खर्च	Money spent by Ministers on Official Tours	13-15
487. दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम	Correspondence Course in Delhi	15-18
488. मंत्रियों के लिए अंगरक्षक	Minister's Bodyguards	18-19
अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
11. बिड़ला टेक्निकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्ज, भिवानी में दुर्घटना	Accident in Birla Technical Institute of Textiles, Bhiwani	19-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या	Starred Question	
480. अमरीकी वैज्ञानिकों की यात्रा	Visit of American Scientists	24
482. उप-कुलपतियों की नियुक्ति	Appointment of Vice-Chancellors	24
489. युनेस्को योजना मिशन	UNESCO Planning Mission	24-25

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
490.	नेफा को संसद् सदस्यों का प्रतिनिधि-मंडल	Parliamentary Delegation to NEFA	25
491.	काश्मीर में हथियारों के जखीरे	Dumps of Arms in Kashmir	26
492.	अध्यापकों का प्रशिक्षण	Training of teachers	27
493.	महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी	Birth Centenary of Mahatma Gandhi	27
494.	नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का स्मारक	Memorial for Netaji Subhash Chandra Bose	27-28
496.	कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation	28
497.	'इस्लामी दुनिया' नामक नक्शा	'Islami Duniya' Map	28-29
498.	वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Senior Officers	29
499.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा मौन विरोध प्रदर्शन	Silent Protest by Employees State Insurance Corporation Employees	29
500.	मिजो पहाड़ियों में साम्यवादियों की गतिविधि	Communist Activity in Mizo Hills	30
501.	औद्योगिक विवाद अधिनियम में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये उपबन्ध	Provision in Industrial Disputes Act for University Employees	30
502.	सीमा आयोग का कार्यक्षेत्र	Scope of Boundary Commission	30-31
503.	स्पेंट (अपयुक्त) सल्फ्यूरिक एसिड परिष्करण संयंत्र	Spent Sulphuric Acid Purification Plants	31
504.	केन्द्रीय बिक्री कर	Central Sales Tax	31-32
505.	पाटस्कर समिति की सिफारिशें	Pataskar Committee Recommendations	32
506.	मिजो पहाड़ियों में 'चकमा' लोगों का अतिक्रमण	Infiltration of 'Chakmas' into Mizo Hills	32-33
507.	दिल्ली में साधुओं की गिरफ्तारी	Arrest of Sadhus in Delhi	33
508.	पश्चिमी बंगाल में जासूसी की गतिविधियां	Espionage Activities in West Bengal	33-34

अतारांकित प्रश्न संख्या **Unstarred Question Nos.**

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2385.	बम्बई में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के अभ्यावेदन	Representations from Displaced persons in Bombay	34
2386.	सहायकों का संवर्ग (प्रतियोगी परीक्षा) विनियम	Assistants Grade (Competitive Examination) Regulations	34
2387.	भारतीय तेल निगम के विक्रेताओं और एजेंटों से नकद जमानत लेना	Collection of Cash Security from I. O. C. Dealers and Agents	34-35
2388.	केरल में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene oil in Kerala	35
2389.	केरल विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन	Pay of Kerala University Teachers	35
2390.	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Oil Refinery	35-36
2391.	कालीकट में आर्ट्स कालेज	Arts College at Calicut	36
2392.	सीतामढ़ी डाकघर	Sitamarhi Post Office	36-37
2393.	मैसर्स प्रोग्रेसिव मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना	Progressive Motors (P) Ltd. Patna	37
2394.	केरल में नारियल जटा उद्योग में मजूरी का ढांचा	Wage Structure in Coir Industry in Kerala	37-38
2395.	गुजरात उर्वरक कारखाना	Gujarat Fertilizer Plant	38
2396.	डाक तार तथा टेलीफोन विश्व सम्मेलन	Posts, Telegraphs and Telephones World Congress	38-39
2397.	प्रादेशिक इंजिनियरी कालेज, कालीकट, (केरल राज्य)	Regional Enginering College, Calicut (Kerala State)	39
2398.	मालाबार में डिग्री की कक्षाओं में दाखिला	Admission to Degree classes in Malabar	39-40
2399.	नई दिल्ली में आजाद भवन का निर्माण	Construction of Azad Bhavan, New Delhi	40-41
2400.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of vacancies for S. C. and S. T.	41-42
2402.	बस्तर में मुफ्त शिक्षा	Free Education in Bastas	42
2403.	केरल में विशेष बी० एस० सी० पाठ्यक्रम	Special B.Sc. Courses in Kerala	42

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pa es
2404.	कन्नानुर में मुख्य डाक घर की इमारत	Heapost of pfice building a Cannannore	42-43
2405.	लक्कदीव द्वीप समूह में तूफान	Cyclone in Laccadives	43
2406.	इंजीनियरिंग कालेज, अगरतल्ला (त्रिपुरा)	Engineering College, Agartala (Tripura)	43
2407.	गर्वनमेंट कालेज अगरतला (त्रिपुरा) में स्नातरकोत्तर कक्षायें	Post-Graduate Classes in Government College, Agartala (Tripura)	44
2408.	भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक	Indo-Pak. Police Officials Meet	44
2409.	आदर्श स्कूल, दिल्ली	Adarsh School, Delhi	44-45
2410.	दिल्ली में बोगस स्कूल	Bogus Schools in Delhi	45
2411.	केरल में गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों के वेतन	Salaries of Private College Teachers in Kerala	45
2412.	केरल के गैर-सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained Teachers in Kerala Private Schools	45-46
2413.	गुरु ग्रन्थ साहिब का अपवित्र किया जाना	Guru Granth Sahib Sacrilege case	46
2414.	रूस द्वारा पुरस्कारों का वितरण	Distribution of Prizes by U.S.S.R.	46
2415.	रोक आदेश (स्टे आर्डर)	Stay Orders	46-47
2416.	भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन	Encouragement to Indian Languages	47
2417.	डिफू में एक विदेशी व्यक्ति की गिरफ्तारी	Arrest of a foreigner in Diphu	47-48
2418.	उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों का कारखाना	Unlawful Ammunition Factory in U.P.	48
2419.	आसाम में रेलवे लाइन पर तोड़फोड़	Tampering with Railway Track in Assam	48
2420.	संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन	Annual Administrative Reports of Union Territories	48-49
2421.	दिल्ली के लिए पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं के लिए राशि	Funds for Plan Schemes for Delhi	49

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2422.	राज्यों में मद्य निषेध सम्बन्धी अपराध	Prohibition Offences in States	49-50
2423.	बिहार में टेलीफोन और तार की लाइनों का अस्त व्यस्त हो जाना	Dislocation of Telephone and Telegraph Lines in Bihar	50
2424.	दिल्ली में एल० एल० बी० का पाठ्यक्रम	L.L.B. Course in Delhi	50-51
2425.	डिफू के निकट विस्फोटक वस्तु का पाया जाना	Explosives found near Diphu	51
2426.	उर्वसीयम (नेफा) में प्रशासन	Administration in Urvasiam (NEFA)	51-52
2427.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटनाओं सम्बन्धी जांच का प्रतिवेदन	Enquiry Report on B.H.U. Incidents	52
2428.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रतिवेदन	National Book Trust Report	52-53
2429.	सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार	Corruption among Government Officers	53 54
2430.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत श्रीमती पैंसी दत्त की गिरफ्तारी	Arrest of Shrimati Pancy Dutt by Maharashtra Government under D.I.R.	54-55
2431.	गांवों के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण	Industrial Training to Rural Population	55
2432.	विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की सुविधायें	Facilities for Foreign Languages	55
2433.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्य	Objective of Central Universities	56
2434.	वालकाट काण्ड	Walcott Case	56
2435.	सिन्दरी कारखाना	Sindri Factory	56-57
2436.	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का बस जाना	Pakistan Nationals settled in India	57
2437.	पर्यटन महानिदेशक	Director General of Tourism	57
2438.	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory	57-58
2439.	काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति	Technical persons Registered in Employment Exchanges	58

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2440.	तिहाड़ जेल से एक कैदी का भाग निकलना	Escape of a prisoner from Tihar Jail	58
2441.	दो नागा लड़कियों की गिरफ्तारी	Apprehension of two Naga Girls	58-59
2442.	दिल्ली में अवैध शराब का जप्त किया जाना	Seizure of Illicit Liquor in Delhi	59
2443.	भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India	59
2444.	दिल्ली के सदर बाजार में एक बृद्ध व्यक्ति की मृत्यु	Death of an Old man in Sadar Bazar, Delhi	59-60
2445.	मद्रास उर्वरक परियोजना	Madras Fertiliser Project	60
2446.	डाक और तार कार्यालय	P, & T. Offices	60-61
2447.	तीन वर्षीय मुद्रण पाठ्यक्रम	Three Years Printing course	61
2448.	आयातित मिट्टी के तेल का प्रयोग	Use of Imported Kerosene Oil	61-62
2449.	उद्योगों में अनुसन्धान	Industries for Research	62
2450.	विकलांग लोगों के लिए रोजगार	Emplyoment for Handicapped persons	62
2451.	महिलाओं के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था	Central Training Institute for Women	62-63
2452.	मेहतरों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Scavengers	63
2453.	सचेतकों का सम्मेलन	Whips Conference	63
2454.	राजभाषा अधिनियम	Official Languages Act	63-64
2455.	छात्रवृत्तियां	Scholarships	64
2456.	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Outstanding Telephone Rev-enues	64-65
2457.	हिन्दी निदेशालय में काम	Work in Hindi Directorate	65-66
2458.	स्कूलों तथा कालेजों में बच्चों के लिये शिक्षा	Education for children in Schools and Colleges	66
2459.	बर्मा से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from Burma	66
2460.	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना	Payment of Bonus to P.T.I. Employees	66-67

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2461.	बरौनी हल्दिया पाइप लाइन	Barauni Haldia Pipe Line	67
2462.	जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन	I.L.O. Conference held in Geneva	67-69
2463.	कम्पार्टमेंट में आने वाले विद्यार्थियों के लिये साधक कक्षाएं (रेमेडियल क्लासेज)	Remedial Classes for Compartment Students	70
2464.	भारतीय प्राद्यौगिकी संस्था, दिल्ली	Indian Institute of Technology, Delhi	70
2465.	केन्द्रीय सचिवालय में लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या	Stoength of Clerical Staff in Central Secretariat	70-71
2466.	छम्ब जौरियां क्षेत्र (जम्मू तथा काश्मीर) के शरणार्थी लोग	Refugees from Chhambh Jaurian Area of (J & K)	71
2467.	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समिति	Mahatma Gandhi Birthday Centenary Committee	71-72
2468.	विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Study Abroad	72-73
2469.	पुलिस अधीक्षकों के निवास स्थानों पर सिपाहियों का तैनात किया जाना	Posting of Constables at S.P's Residences	73-74
2470.	तैरने वाला छिद्रण प्लेटफार्म (फ्लोटिंग ड्रिलिंग प्लेटफार्म)	Floating Drilling Platform	74
2471.	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery	74
2472.	विश्वविद्यालयों के आयव्ययक	University Budgets	74-75
2473.	हनुमान चोटी पर आरोहण	Scaling Hanuman Peak	75
2474.	ज्योनली चोटी पर आरोहण	Scaling of Jaonli Peak	75
2475.	मिट्टी के तेल और पैट्रोलियम का आयात	Import of Kerosene Oil and Petroleum	76
2476.	कोचीन-कोयम्बतूर पाइप लाइन	Cochin Coimbatore Pipe line	76
2477.	नेहरू स्मारक निधि के लिये चन्दा	Contribution to Nehru Memorial Fund	76
2478.	तार विभाग में लाइनमैन	Linemen in Telegraph Deparment	76-77
2479.	एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani	77
2480.	विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्थापित शिविरों में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Camps for D. P.	77-78

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2481.	संघ लोक सेवा आयोग	U.P.S.C.	78-79
2482.	उर्वरक कारखानों में उत्पादन बोनस	Production Bonus in Fertilizer Factories	79
2483.	उर्वरक कारखाना, नया नंगल	Fertilizer Factory, Naya Nangal	79-80
2484.	नंगल उर्वरक कारखाने के श्रमिकों के लिये अस्पताल की सुविधाएं	Hospital Facilities to Workers of Nangal Fertilizer Factory	80
2485.	पोलैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Pact with Poland and other European Countries	80-81
2486.	गोआ में पुलिस द्वारा गोलीबारी	Police Firing in Goa	81
2487.	नामरूप उर्वरक कारखाना	Namrup Fertlizer Plant	81-82
2488.	विश्वविद्यालय अधिनियम	University Acts	82
2489.	पुरातात्वीय संग्रह	Archaeological Treasure	82
2490.	विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच (मेडिकल चैक अप)	Mecical Check up of University Students	82-83
2491.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाना	Rehabilitation of Displaced Persons from East Pakistan	83-84
2492.	तेल शोधक कारखानों तथा रासायनिक कारखानों के डिजाइन तैयार करना	Designing of Oil Refineries and Chemical Plants	84
2493.	स्वचालित टेलीफोन ऐक्सचेंज, कन्नानूर	Automatic Telephone Exchange, Cannanore	84
2494.	केरल में रबड़ बागान मजदूरों की मजूरी में वृद्धि	Wage Rise for Rubber Plantation Workers in Kerala	84-85
2495.	मैसूर आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां	Arrests during Mysore Agitation	85
2496.	मध्य प्रदेश में हरिजनों का धर्म परिवर्तन	Conversion of Harijans in Madhya Pradesh	85-86
2497.	प्रोत्साहन मंजूरी सम्बन्धी नीति	Incentive Wage Policy	86
2498.	उद्योगों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि	Increase in D. A. of Employees in Industries	86

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2499.	पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिये केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for Publication of Text Books	87
2500.	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	87
2501.	दिल्ली के मुख्य डाकघर में बीमाकृत लिफाफे अथवा पार्सलों का गुम हो जाना	Insured Covers found Missing in Delhi G. P. O.	87-88
2502.	भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना	Landuse Mapping	88
2503.	राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन में राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officers in N. A. O.	88
2504.	राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा भू-मानचित्र	Land Map by N. A. O.	88 89
2505.	राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया जाना	Landuse Mapping by N. A. O.	89
2506.	राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन	National Atlas Organisation	90
2507.	युद्ध विराम की शर्तों को वापस लेना	Withdrawal of Cease-Fire Terms	90
2508.	महाराष्ट्र के न्यायाधीशों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Maharastra Judges	90
2509.	बैबीसोल कोयला खान में मजदूर शिविर	Labouor Camp in Babisole Colliery	91
2510.	अनधिकृत खनिक होस्टल	Unofficial Miners Hostels	91
2511.	बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों को गैर-सरकारी सेवा में रखा जाना	Re-employment of Dismissed Government Employees in Private Service	92
2512.	अन्दमान में एक विद्यार्थी का अनुचित रूप से अगली कक्षा में चढ़ाया जाना	Alleged undue Promotion of a Student in Andamans	92
2513.	भूतपूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण	Pay Fixation of Ex-servicemen	92-93
2514.	राजस्थान के वित्त उपमन्त्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against Rajasthan Deputy Finance Minister	93-94
2515.	मई, 1966 में प्रेस रिपोर्टरों को मारा पीटा जाना	Manhandling of Press Reporters in May, 1966	94

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2516.	क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें	Zonal Council Meetings	94
2517.	अकाली दल	Akali Dal	94-95
2518.	बहुप्रयोजनीय स्कूलों का संशोधित पाठ्यक्रम	Modified Syllabus of Multi-purpose Schools	95
2519.	मनीपुर में विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां	Activities of Hostile Nagas in Mainpur	95
2520.	शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी	Arrest of Sheikh Abdullah	96
2521.	बम्बई में कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain in Bombay	96
2522.	दुकानदार	Shopkeepers	96-97
2523.	राम किशन के मन्त्रिमन्डल द्वारा दिये गये आदेश	Orders Passed by Ram Kishen Ministry	97
2524.	अमृतसर में न्यायिक दण्डाधिकारी	Judicial Magistrates in Amritsar	97-98
2525.	वीसा के बिना अमरीकी लोगों का प्रवेश	Entry of Americans without Visas	98
2526.	पुस्तकालय सेवा	Library Service	98-99
2527.	दिल्ली में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Delhi	99
2528.	शिक्षा आयोग का हिन्दी में प्रतिवेदन	Education Commission Report in Hindi	99
2529.	कर्मचारी भविष्य निधि के उप-क्षेत्रीय कार्यालय	Sub-Regional Offices under Employees Provident Fund	99
2530.	रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के काम करने के घंटे	Duty Hours for R. M. S. Employees	99-100
2531.	रेलवे डाक सेवा के नये खण्ड	New R. M. S. Sections	100
2532.	रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये साप्ताहिक विश्राम	Weekly Rest for R.M.S. Employees	100-101
2533.	हिन्दी में तार	Hindi Telegrams	101
2534.	वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों का सम्मेलन	Conference of Scientists and Administrators	101
2535.	सशस्त्र पाकिस्तानियों का आक्रमण	Attack by Armed Pakistanis	101-102
2536.	तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए कार्यक्रम	Programme for Improving Technical Education	102
2537.	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के लिये नागरिकता	Citizenship for Tripura Displaced Persons	102-103

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2538.	त्रिपुरा में न्यायाधीशों की कमी	Shortage of Judges in Tripura	103
2539.	आसाम में सुरक्षा सम्बंधी उपाय	Security Measures in Assam	103-104
2540.	पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मुठभेड़	Clash with Pak. Intruders	104
2541.	बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	Industrial Training Institutes in Bihar	104-105
2542.	डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली	D.D.T. Factory, Delhi	105-106
2543.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड को क्लोरिन की सप्लाई	Supply of Chlorine for Hindustan Insecticides Ltd.	106
2544.	हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स के अधिकारियों के लिये मकान किराया	House Rent for Officers of Hindustan Insecticides Ltd.	106
2545.	गुजरात में सुगन्धित द्रव्य उद्योग समूह (एरोमैटिक्स कॉम्प्लैक्स)	Aromatics Complex in Gujarat	106-107
2546.	नगर हवेली की भाषा	Language of Nagar Haveli	107
2547.	मिजो लोगों की घुसपैठ	Infiltration by Mizos	107
2548.	नागा विद्रोहियों तथा सैनिक दस्तों के बीच मुठभेड़	Clash between Naga Hostiles and Troops	107-108
2549.	पश्चिमी जर्मन के दूतावास के एक अधिकारी के निवास स्थान में चोरी	Theft in the residence of West German Embassy Official	108
2550.	मिजो विद्रोहियों का टोपुई पर हमला	Mizo attack on Topui	108
2551.	चोरी छिपे मिट्टी का तेल ले जाया जाना	Smuggling of Kerosene Oil	108-109
2552.	त्रिपुरा के कालेज छात्रों के लिये छात्रावास वृत्ति (बोर्डिंग स्टाइपेंड)	Boarding Stipends to Tripura College students	109
2553.	त्रिपुरा के स्कूलों में वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tripura Schools	109
2554.	कांडला पत्तन	Kandla Port	109-110
2555.	रवीन्द्र भवन, अगरतला	Rabindra Bhawan, Agartala	110
2557.	केरल में सेवा निवृत्ति आयु	Retirement age in Kerala	110
2558.	सरकारी सेवा में नियुक्ति	Employment in Government Service	110-111
2559.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंट	Assistants in Central Secretariat Service	111

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2560.	अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता सम्बन्धी अनिर्णीत मामले	Vigilance Cases Pending against Officials	111-112
2561.	पुनर्वास (सेटलमैंट) संगठन	Settlement Organisation	112
2562.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नति	Promotion to Higher Posts in C.S.S.	112-113
2563.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली	Glossary of Scientific and Tenhnical Terms	113
2564.	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भूमि का दिया जाना	Land Grants to Freedom Fighters	113
2565.	इंजीनियरिंग तथा मैडिकल कालिजों में दाखिला	Admission in Engineering and Medical Colleges	113-114
3566.	उड़ीसा के राजनैतिक पीड़ित लोग	Political Sufferers of Orissa	114
2567.	पाकिस्तान से आने वाले नागा लोग	Nagas coming from Pakistan	114
2568.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति	Promotion in C.S.S.	114-115
2569.	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को वित्तीय सहायता	Financial help to Freedom Fighters	115
2570.	गुजरात में लोथाल में अजायबघर	Museum at Lothal in Gujarat	115-116
2571.	गुजरात में लोथाल में खुदाई	Excavation of Lothal in Gujarat	116
2572.	द्वारिकाधीश मन्दिर	Dwarkadish Temple	116
2573.	केरल उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Pending Cases in Kerala High Court	116-117
2574.	मध्य प्रदेश में साक्षरता	Literacy in Madhya Pradesh	117
2575.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कर्मचारियों द्वारा विदेशों का दौरा	Foreign Visits of I.C.C.R. Employees	117
2576.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कल्याण अधिकारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना	Termination of Services of Welfare Officers for I.C.C.R.	117-118
2577.	आजाद स्मारक भाषण माला	Azad Memorial Lectures	118-119
2578.	डाकुओं के पास पाकिस्तानी हथियार	Dacoits with Pakistani Arms	119
2579.	दिल्ली के स्कूलों में वर्दी का पहना जाना	Wearing of Uinforms in Delhi Schools	119

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2580.	कालेज ग्राफ ग्राट्र्स में लिपिकों के पद	Posts of Clerks in College of Arts	119-120
2581.	मनाली पर्वतारोहण संस्था की निधि	Funds of the Mountaineering Institute, Manali	120
2582.	पंजाब के पुनर्गठन में विलम्ब	Delayed Reorganisation of Punjab	120-121
2583.	बरौनी तेल शोधन कारखाने में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists in Barauni Oil Refinery	121
2585.	गवर्नमेंट जूनियर कालेज, कालीकट के लिये स्थान	Site for Government Junior College, Calicut	121
2586.	गुजरात के लिये गैस के मूल्य	Gas Prices for Gujarat	121-122
2587.	भारत ग्रमेरिका शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo-U.S. Education Foundation	122
2588.	ग्रगस्त, सितम्बर, 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिल्ली में ब्लैक ग्राउट में मारे गये या घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	Black-out Casualties in Delhi during August-Sept. 1965 Indo-Pak. conflict	122
2589.	श्री नारायण गुरूदेव का जन्म दिवस समारोह	Birthday Celebrations of Shree Narayana Guru Dev	122-123
2590.	डी० डी० टी० कारखाने के ग्रपशिष्ट ग्रौषधजल द्वारा यमुना के पानी का दूषित होना	Pollution of Jamuna Water by Waste Liquor from D.D.T. Factory	123
2591.	ग्रनुभाग ग्रधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति	Promotion to Cadre of Section Officers	123-124
2592.	हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों की छपाई	Type of print of Hindi Text Books	124
2593.	वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसन्धान परिषद् में ग्रराजपत्रित पद	Non-Gazetted Posts in C.S.I.R.	124
2595.	मिजो विद्रोहियों द्वारा घात लगाना	Ambush Laid by Mizo Hostiles	124-125
2596.	नागा विद्रोहियों की पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गतिविधियां	Movement of Naga Hostiles on East Pakistan Border	125

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2597.	पालघाट (केरल) में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	P & T Quarters in Palghat (Kerala)	125
2598.	दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति	Appointment of Primary School Teachers in Delhi	125-126
2599.	दिल्ली के स्कूलों में स्थान की कमी	Paucity of Space in Delhi Schools	126
2600.	हिन्दी असिस्टेंटो के लिये परीक्षा	Hindi Assistants Examination	126
2601.	भारतीय पोस्टल आर्डर	Indian Postal Orders	126-127
2602.	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	127
	खाद्य तथा कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege Against the Minister of Food and Agriculture	
	बिहार के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against the Chief Minister of Bihar	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Seventh Report of Committee of Privileges.	
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
	श्री नि० च० चटर्जी	Shri N. D. Chatterjee	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	
	श्री पाराशर	Shri Parashar	
	श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G.N. Dixit	
	श्री बड़े	Shri Bade	
	कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Levy of Export Duty on certain items	
	श्री मनुभाई शाह	Shri Mahubhai Shah	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	
	श्री मी० रू० मसानी	Shri M.R. Masani	
	श्री उमानाथ	Shri Umanath	

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	श्री ह० च० सोय	Shri H.C. Soy	
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
	श्री अल्वारेस	Shri Alvares	
	श्री हेडा	Shri Heda	
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma	
	श्री बड़े	Shri Bade	
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य),1966-67	Demands for Supplementary Grants (General), 1966-67	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
	हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Recent Railway Accidents	
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L.M. Singhvi	
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
	श्री सोलंकी	Shri Solanki	
	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	
	पाकिस्तानी जासूसों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Pakistan Spies	
	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	
	श्री हाथी	Shri Hathi	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 17 **अगस्त**, 1966 / 26, **श्रावण**, 1888 (**शक**)

Wednesday, August 17, 1966 / Sravana 26, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

*479. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मृत्यु तथा प्रत्येक मामले में इसके यथार्थ कारण के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जाने के महत्व की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन आंकड़ों को एकत्रित करने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है अथवा नहीं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन आंकड़ों के एकत्रित करने के कार्य को अनिवार्य बनाने तथा उनके एकत्रित करने के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपने के बारे में कोई योजना आरम्भ करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री० पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जन्म तथा मरण पंजीकरण विधेयक में इस बारे में व्यवस्था है। यह राज्य-सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और आशा है कि वर्तमान अधिवेशन में इस पर लोक सभा द्वारा विचार किया जायगा।

Shri Madhu Limaye: During the British regime whenever famine commissions were appointed, those commissions in their Reports had invariably stressed the need to compile mortality statistics. Even in this House the question whether death in a particular case was due to starvation or not has been discussed at length. In view of this does the hon. Minister realise its importance as also that unless some legislation is made in this regard there cannot be an adequate machinery.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : We know the importance as also the machinery required for collecting the data. Smooth working can be acheived only when responsibility is fixed on somebody. Birth and Death Registration Bill has been drafted and it is expected to be introduced in this very session.

Shri Madhu Limaye: My question is whether it is a fact that when Orissa was hit by famine, the Secretaries of village Panchayats were entrusted with the responsibility of collecting mortality statistics, but those Secretaries refused to do that work? May I know what officer of the Government collects mortality statistics in the villages since in one or two cases which were stated to be starvation deaths, the Minister's in the Legislative Assemblies and Lok Sabha have denied them to be as such.

Shri Hathi: This is the responsibility of the States and different arrangement exist for it in different States; in some States this work is done by Panchayats, while in others by municipalities or some other machinery.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, the question was very specific that in view of the fact that those persons in Orissa refused to do this work, what other machinery does that work?

Shri Hathi : We will collect this information from Orissa Government and let you know. This is not the job of the Central Government.

Dr. Ram Manohar Lohia : How many births and deaths have been recorded by about 150 municipalities by the end of July this year? I have been raising this question for the last three years but the hon. Minister never gave a reply to it.

Shri Hathi : The hon. Member complains that we do not give the figures. I have just now told several times, but still he says that the reply is not coming. The question asked here is :

> "Whether Government's attention has been drawn to the importance of collecting figures about mortality...whether they have examined the adequacy or otherwise... and whether Government propose to introduce any scheme making the collection of these statistics mandatory."

This question I have already answered that the present machinery is not adequate and that it needs to be improved. Therefore, it is a fact that some statistics are not available. Since there is no machinery the statistics are not available. Even then, if the hon. Member wants information about some particular municipality or Panchayat that can be collected and given. At the moment that information is not with me.

Dr. Ram Manohar Lohia : To say that the machinery is not adequate is a separate thing, but the existing machinery...

Mr. Speaker : What are those 150 villages that he is stating?

Dr. Ram Manohar Lohia : This is a basic thing which I will have to state in

detail. There are some municipalities selected by Government where birth and death statistics are maintained. These figures are collected on behalf of the Government. I have not selected these 150 municipalities. Can the Central Government not find out this?

Mr. Speaker: The hon. Minister says that he will obtain that information from the States.

Dr. Ram Manohar Lohia: There is no need for that. That is here in Delhi itself.

Mr. Speaker: If this information is present in Delhi, it will be collected from there.

Shri Hathi: Health Ministry publishes an annual report......

Mr. Speaker: That also may be obtained.

+　　　　　　**पाकिस्तानी घुसपैठिये**

*481. **श्री क० ना० तिवारी :**　　　　　　**श्री विभूती मिश्र :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित, दिनांक 23 मई, 1966 के "टाइम्स ग्राफ इंडिया" में "पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारावास" शीर्षक से छपी खबर की ग्रोर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनसे कोई गोपनीय कागजात मिले हैं ;

(ग) मई, 1966 से लेकर ग्रब तक पाकिस्तान से कुल कितने घुसपैठिये भारत ग्राये हैं ; ग्रौर

(घ) भारत से उन्हें निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) उनके पास कोई गोपनीय कागजात नहीं मिले ।

(ग) उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार मई ग्रौर जून, 1966 के दौरान सीमावर्ती राज्यों में ग्रवैध प्रवेश करने वाले 861 पाकिस्तानियों का पता लगा लिया गया ।

(घ) 137 को प्रवेश करने के तुरन्त बाद ही सीमावर्ती क्षेत्रों से वापस धकेल दिया गया । शेष पर विदेशी ग्रधिनियम के ग्रधीन मुकदमा चलाया गया या चलाया जा रहा है ग्रौर उन्हें न्यायिक कार्यवाही के समाप्त होते ही ग्रथवा सजा काट चुकने के बाद (जैसा भी मामला होगा) वापस पाकिस्तान भेज दिया जायगा ।

Shri K N. Tiwary : Are Government aware that the intruders are in alliance with the Fifth Columnists of this country, if so, what concrete steps are being taken in regard to Fifth Columnists with a view to stopping intrusion?

Shri Vidyacharan Shukla: This question does not relate to infiltrators. This question relates to indruders who come for an hour or two to commit theft or dacoity. The question of infiltrators is a separate one and information regarding the action taken against them has been given to this House on more them one occasions. If a separate notice is given in this regard, I will give the information.

Shri M.L. Dwivedi : Are not those persons infiltrators who come to commit theft or dacoity?

Mr. Speaker : Due to the heading "Intruders from Pakistan" they are now under a separate class.

Shri K.N. Tiwary : Is it not a fact that the intruders from Pakistan or other places are smuggling weapons into this country and supplying them to the Fifth Columnists here who want to do anti-Government activities here?

Shri Vidyacharn Shukla : The intruders seldom come with such motives. It may be that sometimes they smuggle weapons also.

Shri Yashpal Singh: What number of intruders is connected with that office-bearer of the All India Congress Committee who has been arrested on the charge of espionage and how many cases of intruders have been revealed by the documents seized?

Shri Vidyacharan Shukla : There is another question also regarding this. You have also allowed some half an hour discussions regarding that. This has nothing to do with the main question.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : "इन्ट्रूउर्स" और "इन्फिल्ट्रेटर्स" में सरकार क्या भेद करती है !

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने कहा इन्फिल्ट्रेटर्स यहां पर हमेशा के लिये ठहरने को आते हैं जबकि इन्ट्रूउर्स सीमा के पार केवल छापा मारने तस्करी आदि करने ही आते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार को पता है कि सीमा के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिये कुछ महीनों से कर्फ्यू लगाया हुआ है ?

क्या सरकार की नीति अब इस अनिश्चित कर्फ्यू को रखने की है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र-जनों के विरुद्ध कार्य कर रहा है जो रात में पश्चिम बंगाल की उन नदी वर्ती सीमाओं के साथ साथ जाते थे जहां से कि वे, पाकिस्तानी सीमा के साथ लगते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में बेचने के लिये माल लाते थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याओं का विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है। इन सीमाओं के पार बड़े पैमाने तर घुसपैंठ हुई है और यह कर्फ्यू केवल अवैध घुसपैंठ रोकने के लिये ही लगाया गया था। हो सकता है इससे हमारे नागरिकों को भी कुछ असुविधा हो, परन्तु देश के बड़े हित में इसको रखना आवश्यक समझा गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : इन सब उपायों के बावजूद भी घुसपैंठिये वहां अब भी सक्रिय हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि ऐसी क्या त्रुटियां है जिनसे घुसपैंठियों को आने के लिये प्रोत्साहन मिल रहा है और इस स्थायी सरदर्दी को समाप्त करने के लिये क्या नये कदम उठाये जायेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : घुसपैठिये कई उद्देश्यों से आते हैं जैसे कि सहकारी लूटमार आदि। इसको रोकने के लिये हम सीमा चौकियों की संख्या बढ़ा देते हैं और गश्ती दश्तों की कार्यवाही को भी सघन कर देते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: Is it a fact that the reason for the failure of our fficials to check Pakistani intruders is that the ruling party men are indulging in

smuggling activities through them and the officials dare not take any action against them?

Shri Vidyacharan Shukla : No, Sir This is absolutely wrong. The measures taken by us to check the intruders have proved very useful.

श्री जसवन्त मेहता : अतिकर्मी और घुसपैठिये मिल कर कार्य कर रहे हैं और वे सीमा पर भी संगठित हो रहे हैं। क्या सरकार इसके प्रति सचेत है और क्या बता सकती है कि किन किन सीमाओं पर वे अधिक सचेत हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वे भारत और पाकिस्तान के बीच सारी सीमाओं पर सक्रिय हैं।

श्री हेम बरुआ : दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग और हमारे देश में अन्य पाकिस्तानी राजनीयक शिष्टमण्डल आज किस हद तक इस देश में जासूसी कार्य में अन्तर्ग्रस्त हैं!

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Use of Hindi in Government Offices

*483. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh: Shri Prakash Vir Shastri: Shri Jagdev Singh Siddhanti:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the progress made so far regarding the use of Hindi in the Ministries of the Central Government and their attached Offices;

(b) whether it is a fact that Government have not been able to implement even certain unanimous decisions of the Hindi Advisory Committee; and

(c) whether it is also a fact that those employees who had passed Hindi examinations are also forgetting Hindi because of the weak policy of Government in regard to the official language?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla):

(a) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. See No. LT-6798/66]

(b) Out of the 35 recommendations made by the Sub-Committee of the Hindi Salahkar Samiti on the progressive use of Hindi for the Union Official purposes till the end of June, 1966, necessary action for the implementation of 26 recomendations has been taken. These are in the various stages of implementation. Of the remaining, 7 are under consideration. It has not been possible to accept the remaining 2 recommendations.

(c) No, Sir. A fairly large proportion of employees who have received training in Hindi, have opportunity of coming in contact with the Hindi work in some form or other.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has stated in his reply that 35 recommendations were made, out of which some recommendations have been implemented and some are under consideration and subsequently he has stated that they have not been able to accept two recommendations. What are the reasons for not accepting these recommendations? What specifically was there in those recommendations which could not be accepted?

Shri Vidyacharan Shukla ; The reasons for not accepting those two recommen-

dations are that they were not in accordance with the provisons of the Constitution in regard to Hindi.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it not a fact that when any file or application in Hindi goes to an officer he asks that an English note be attached with that? How many complaints of such nature have been received by the Government and what action is being contemplated by Government against that? What steps have been taken by Government to eradicate this practice completely?

Shri Vidyacharan Shukla: This is correct that certain officers, who do not know Hindi well, find it somewhat difficult to read Hindi letters and notes when sent to them. But we have not received any complaint that the officers have refused to do the work simply because that was written in Hindi.

Mr. Speaker : Do they insist that translation should also accompany any letters?

Shri Vidyacharan Shukla : That is what I am saying that the translation facility is available in all the ministries and every document received is immediately translated and disposed of.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is the hon. Minister aware that the rules of his Ministry are completely violated in the Agriculture Ministry?

Shri Vidyacharan Shukla : No, Sir. That is not so.

Shri M. L. Dwivedi : In the statement it is mentioned that 54% of the communications received from Hindi speaking States are replied to in Hindi while the decision of the Home Ministry is that all communications received in Hindi will be replied to in Hindi? What are the reasons for this slow progress? What progress has been made in the programme to impart Hindi training to all employees below the age of 45 which was started long back in the Home Ministry? What are the reasons for not giving Hindi replies to the communications received from Hindi speaking States?

Shri Vidyacharan Shukla : I would urge upon the hon. Members to read thoroughly the statement placed on the table of the House. That percentage of 54 in 1964 has risen to 78 in 1965. This shows that there is progress.

Shri M. L. Dwivedi: He has not answered the second part of my question, i.e., how many employees below the age of 45 have been given Hindi training.

Shri Vidyacharan Shukla: There is a Hindi training scheme for Government officers. Under that scheme every officer is being taught Hindi and according to that scheme work is gotng on satisfactorily. If the work is not progressing according to that scheme the hon, Member can point out that and full information will be given after enquiring into the matter.

Shri M. L. Dwivedi: My question is very specific as to how many persons below to age of 45 have learnt Hindi.

Shri Vidyacharan Shukla: I cannot tell that.

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, the hon. Deputy Minister has stated in reply to part (c) of the question that under the Hindi training scheme some of the employees have learnt Hindi and that they are in contact with Hindi in some way or the other. What is the total number of those employees, how much time and money has been spent on their training ? In view of so much time and money spent on their training in Hindi, whether Hindi work is being taken from them; and if not, the reasons for spending so much time and money on them?

Shri Vidyacharan Shukla: Under the circumstances we are trying to do the maximum work in Hindi. There are certain difficulties which are known to the hon. Members which have caused some difficulty in this work. As soon as these difficulties are removed maximun work will certainly be done and taken from these employees in Hindi. Regarding the persons given Hindi training and time and money spent in it, I require notice.

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, my question is very specific and relates to part (c) in which it has been asked as to how many employees have learnt Hindi and what work is being taken from them. Cannot the Ministry give even this much of information relating to this question as to how much money and time has been wasted on the training of these people.

Mr. Speaker: The hon. Minister says that at the moment he has not got that information.

Shri M. L. Dwivedi: Sir, the notice of this question was given one month back. Inspite of that the hon Minister cannot give this information. It is our right to get this information.

Mr. Speaker: Has the hon. Minister got the information as to how many persons have been given training?

Shri Vidyacharan Shukla: At this time I do not have this information but the Ministry has got this information.

Shri Sheo Narain: When the Government, this country and the great leaders of this country have accepted Hindi as the national lauguage, why Government is so much amorous of the Government officers. Why those officers are not dismissed who do not want to learn Hindi ? Why the Government sends the English translation of the letter to Uttar Pradesh which is a Hindi speaking State?

Shri Vidya Charan Shukla: There is no such thing that no officer wants to learn Hindi. The officers are learning Hindi according to the scheme. The officers who do not want to learn Hindi will certainly be proceeded with according to rules.

Shri Rameshwaranand : It is often repeated on behalf of the Government that vigorous efforts are being made for the propagation of Hindi. But still, inspite of the fact that Hindi is a national language it is not progressing. May I know whether the reason for this is that English educated persons are occupying the highest posts in the Government and they apprehend that if Hindi progresses, their sons and grand sons will be left behind and they will not get higher posts ?

Shri Vidyacharan Shukla: No, Sir, this is not correct.

Shri R.S. Pandey: Regarding the use of Hindi in official work I want to know the names of the State doing correspondonce with the Centre in Hindi.

Shri Vidyacharan Shukla : Mostly with Hindi Speaking States such as Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh.

Shri Ram Sewak Yadav: Is the hon. Minister aware that in Hindi speaking States, the officers, especially the I.A.S officers do all their work in English, so that the charge sheet in the Courts is given in Hindi; if so, does he not consider it, to be an obstacle in the progress of the national language and what steps does he propose to take in this regard?

Shri Vidyacharan Shukla: A sub-committee of Hindi Advisory Committee watches its progress and also undertakes tours of different States in this regagd. In in its

several meetings we have been informed sufficient progress is being made in the progressive use of Hindi in all these States.

Shri Ram Sewak yadav: Sir, my question is very specific: Is the law Minister aware that in Hindi speaking States official work is done in English. The charge-sheets in the Courts are given in English ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already told that some official work is done in English, but Hindi is progressing in those States by and by. This is what I have said.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को जानकारी है कि वे मन्त्री जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है, गैर-अंग्रेजी भाषी विदेशी प्रतिष्ठित काव्यों के सम्मान में किये गये स्वागत समारोहों पर प्रायः गलत अंग्रेजी बोलते पाये जाते हैं और क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वे मंत्री जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है अपने बालकों को हिन्दी माध्यम के स्कूलों में भेजने की वजाये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना अधिक अच्छा समझते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसका सम्बन्ध व्यक्ति गत मंत्रियों व्यक्तिगत सदस्यों जिनमें प्रतिपत्री सदस्य भी शामिल हैं, से है। इन बातों के बारे में सरकार क्या कह सकती है ? सरकार यह कैसे कह सकती है कि वे अपने बालकों को हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों में भेजते हैं ? या अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों में भेजते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या सरकार को इसकी जानकारी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि ऐसे मंत्री, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है, गैर-अंग्रेजी भाषी विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मान में दिये गये स्वागत समारोहों पर गलत अंग्रेजी बोलते पाये गये हैं। एक समारोह पर मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि गृह-कार्य मन्त्री जांच करके यह बतायें कि वे गलत अंग्रेजी में बोलते हैं या नहीं ?

श्री हेम बरुआ : आप गलत शब्द को निकाल दीजिये। केवल अंग्रेजी शब्द को ही रहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हो सकता है ऐसा हो रहा हो, परन्तु हमने इस बारे में कोई जांच नहीं की है।

Mizo Rebels

*484. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mizo rebels held out a murder threat to the editor of the 'Assam Tribune' through a letter;

(b) whether it is also a fact that they have threatened to behead him in case news regarding them are published by him;

(c) whether it is also a fact that the letter ends with the slogan "Long live Mizos, Nagas, China and Pakistan"; and

(d) the action taken against the Mizo rebels indulging in such activities?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla) :

(a) A pseudonymous letter was received by the Editor,'Assam Tribune' threatening him with death.

(b) The letter said that the Editor may forfeit his head.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under investigation to trace the originator of the letter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether Government had made police arrangements to arrest those persons at the time the alleged letter was handed over to that pressman; if not, the reasons for so much of delay in this matter ?

Shri Vidya Charan Shukla : There has been no delay in it. As soon as that letter was seized by Government, the investigation was started. The action considered necessary is being taken.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know how much time it will take to arrest the relevant persons and how much time Government wants to take to complete the action so that such treatment is not meted out again to any pressman.

Shri Vidya Charan Shukla: It is difficult to say what time will be taken, but action is being taken most vigorously.

Shri Rameshwaranand : Assam is small State and there the Mizos are living in a very small area which is within our country. Today they venture to threaten, murder and kidnap our people. After all, what the Government is doing ? What are the reasons for Government not taking any action against them despite all these things ?

Shri Vidya Charan Shukla: The rebellious activities of the Mizos have been put down successfully and whatever little remains will be quelled in future.

Shri Rameshwaranand : I have not said that the Government have not put down their activities. I want to know what are the obstacles in Government's way of putting them down ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no difficulty.

Mr. Speaker : Yesterday there was a half-an-hour discussion in which all these questions were raised.

श्री हेम बरुआ : आसाम ट्रिब्यून के सम्पादक को मिजो विद्रोहियों से धमकियों वाले दो पत्र मिले थे और दोनों पत्रों में अन्त में एक ही नारा था अर्थात्, 'मिजो, नागा, चीन और पाकिस्तान ज़िन्दाबाद।' मैं माननीय गृह मन्त्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि नागा विद्रोही मिज़ो विद्रोहियों के साथ मिल गये हैं और क्या मिज़ो विद्रोह में चीन और पाकिस्तान का हाथ है यह भी सिद्ध हो गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कल आधे घंटे की चर्चा के दौरान स्वयं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि हमारे पास प्रमाण है जिनसे पता चलता है कि नागाओं और मिज़ो विद्रोहियों में कुछ सांठगांठ है। इसको समाप्त करने और देश की हितों की रक्षा करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : कल इसका उत्तर नहीं दिया गया था और आज भी इसका उत्तर नहीं आया है। मेरा प्रश्न यह है कि यह सिद्ध करने में कि मिज़ो विद्रोह में चीन और पाकिस्तान का हाथ है सरकार को कहां तक सफलता मिली है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहाँ तक हमें पता है, इन विद्रोही कार्यवाहियों में पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हमारे पास कुछ अपुष्ट समाचार हैं ; अभी इनकी पुष्टि करनी है।

श्री दी० च० शर्मा : माननीय मन्त्री द्वारा मुख्य प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तरों से पता चलता है कि वह आसाम सम्पादक को दिये गये पत्र के मामले को एक साधारण सा मामला समझते हैं। और उन्होंने कल जो उत्तर दिये थे उनसे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा गंभीर मामलों के प्रति भी साधारण मामलों के जैसा रवैया अपनाया जाता है। थोड़े से थोड़े समय में दोषी व्यक्ति को दण्ड देने के लिये गृह मंत्रालय या आसाम सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे खेद है यदि माननीय सदस्य ने यह धारणा बना ली है कि इस मामले को साधारण समझा जा रहा है। हम इन सभी मामलों को बहुत ही विशेष समझते हैं। ऐसी घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये, मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि, हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और विशेष उपाय कर रहे हैं और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं हम दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये हम विशेष उपाय करते हैं।

श्री मती रामदुलारी सिन्हा : क्या आसाम ट्रिब्यून के सम्पादक की ओर से कोई संरक्षण दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आवश्यक संरक्षण दे दिया गया है।

श्री प्रिय गुप्त : जब कि सरकार जानती है कि **आसाम ट्रिब्यून** के सम्पादक को इस प्रकार धमकी दी गई है और यह भी कि चीन, पाकिस्तान, मिजो और नागाओं में सांठ-गांठ है यद्यपि चीन के सांठ-गांठ की खबर की अभी पुष्टि नहीं की गई है—क्या सरकार के पास इन मामलों का पता लगाने के लिये, जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, कोई उचित व्यवस्था है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : जी हां, हमारे पास व्यवस्था है जिसको हाल के महीनों में विशेष रूप से मज़बूत कर दिया गया है और हम आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त : उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है ; फिर भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में, क्या इससे यह प्रतीत नहीं होता कि व्यवस्था अप्रर्याप्त है और इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनको एक प्रश्न की अनुमति दे दी है।

Shri Prakash Vir Shastri: The hon. Minister just now stated that a threeatening letter has been written not only to the Editor of **Assam Tribune,** but to the hon. Member of this House Shri Hem Barua also and that Government is making investigation as to who wrote such like letters. May I know whether this matter is being investigated by the same agency which could not detect for years the Pakistani spy working in A. I. P. C. office?

Shri Vidyacharan Shukla: Our agency has worked very well and investigation in this regard is in progress. As soon as the investigation is complete, the information will be given to the House.

प्लास्टिक का विस्फोटक बम

* 485 **डा०राम मनोहर लोहिया :**　　**श्री रामेश्वरानन्द :**

श्री मौर्य :　　**श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री किशन पटनायक :　　**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :　　**श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 29 अप्रैल, 1966 को दीमापुर रेलवे स्टेशन पर लोहे का जो एक ट्रंक पकड़ा था उसमें प्लास्टिक का एक विस्फोटक बम पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि यह बम किस देश में बना हुआ था ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । जाँच चल रही है ।

(ग) इस प्रकार अवैध रूप से शस्त्रों तथा विस्फोटकों के लाने ले जाने का पता चला कर उसे रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has not replied to part (b) of the Question. He should have stated the name of the country in which it was manufactured.

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार बता सकती है कि इनका निर्माण किस देश में किया गया था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभा में पहले बताया जा चुका है कि हमारा शक है कि ये पाकिस्तान में बनाये गये थे ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Sir, after getting such a reply no scope for any question or answer is left. What does he mean by suspect ? Some months back name of France was also taken here in this connection......

Mr. Speaker: Now he may put his question.

Dr. Ram Manohar Lohia: Sir, now there is no use of the supplementaries. Considering the months of investigation are Government in a position to pinpoint a country where these were manufactured?

Shri Vidyacharan Shukla : As I already stated that our enquiry has revealed this explosive bomb was manufactured in Pakistan.

Mr. Speaker : Just now he stated "We suspect"; has it been confirmed?

Shri Vidyacharan Shukla : Yes, Sir, it has been confirmed.

Mr. Speaker : Then why does he suspect?

Dr. Ram Manohar Lohia: He has not stated as to what action has been taken.

Shri Vidyacharan Shukla : We have put a ban on the carrying of such explosives at Railway Stations and in trains. We are trying to check it as far as possible.

Regarding that country as you know...**(interruption).** Yes, Sir, we send a protest note.

Dr. Ram Manohar Lohia : Now admitting that a protest note has been sent......

Shri Vidyacharan Shukla: I have not said that a protest note has been sent or not. What I have stated is that in such cases a protest note is sent.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I have to protest against this. He is treating us like school children. My question was very specific as to what action has been taken when it has been established that this plastic bomb was supplied by Pakistan.

Mr. Speaker: He has stated only this much that in such cases protest notes are sent, but it cannot be stated that a protest note has been sent or not in this case. He has not stated any other action.

Dr. Ram Manohar Lohia: Kindly ask him to tell us whether any protest note has been sent or not?

Mr. Speaker: Can he tell us whether any action has been taken or not?

Shri Vidyacharan Shukla: Mr. Speaker, it is quite so, Sir, that sometimes protest notes are sent in such cases. But so far as this particular case is concerned, I do not know as to whether any protest note has been sent or not? **(Interruptions).**

Mr. Speaker: Order, order, the question was : what action has been taken in this particular case ?

Shri Vidyacharan Shukla: So far as this particular case is concerned, I am not sure whether any protest note has been sent or not?

Dr. Ram Manohar Lohia: On a point or order, Sir. The hon. Minister is clearly committing a contempt of the House.

Mr. Speaker: You may please resume your seat. Let us proceed further. He cannot say anything more than what he has already stated. The hon. Member may adopt other means to get this information.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has been pointed out in the question that the bomb was recovered on 19th April, 1966. May I know by whom that bomb was brought at the station; whether the box containing the bomb bore any name; to where the box was bound for, whether all these things have been enquired into. If so, whether this has also been investigated as to how much dangerous the bomb was?

Shri Vidyacharan Shukla: Yes, Sir, it has been inquired into. It is also being enquired as to who brought it and who put it there. The box did not bear any name.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How much dangerous the bomb was?

Shri Vidyacharan Shukla: It is being examined.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The bomb was recovered on 19th April, 1966 and since then four months are going to elapse, has the enquiry not yet been completed?

Mr. Speaker: Has any chemical engineer or a technologist examined as to how much dangerous it was?

Shri Vidyacharan Shukla: It was a special type of plastic bomb and it was a very dangerous explosive.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, our Government sends protest notes to Pakistan whereas Pakistan sends us bombs in reply. For how long this will continue like this ?

Shri Vidya Charan Shukla: Mr. Speaker, you know that whenever there is need, strong measures are adopted against Pakistan.

Shri Rameshwaranand: Have they ever sent any bomb there ? **(Interruptions)** You should have sent double or four times. Sending a mere protest note has no meaning. Strict action means that we should have sent two bombs if they had sent one bomb.

श्री हेम बरुआ : 7 मार्च को हुई जीप घटना तथा डीफू लमडिंग और इन सभी स्थानों पर रेलगाड़ी में विस्फोटकों को रखने में विद्रोही नागाओं का हाथ होने की बात जब इस सभा में बताई गई थी, उस समय के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने इस रेलवे लाइन और सड़क की रक्षा के लिये सुरक्षात्मक उपाय किये और तब से अभी तक कोई घटना नहीं हुई। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार, विशेष कर आसाम के मुख्य मंत्री से पूछा है कि जब उन्हें हमारे देश के उस भाग में हमारी संचार व्यवस्था को नष्ट करने हेतु विस्फाटकों को बिछाने में नागाओं का हाथ होने के बारे में अभिशंसी दस्तावेज़ मिले थे तो उन्होंने उस समय केन्द्रीय सरकार को विश्वास में क्यों नहीं लिया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

+

*486. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गत सम्मेलन के अवसर पर मंत्रियों द्वारा किये गये बम्बई के सरकारी दौरों पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) उस खर्च को सरकार के नाम में डाले जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the purpose of the opening ceremony performed in Bombay was that the Ministers have not to spend anything from their own pockets ?

Shri Hathi: Whose inauguration ceremony ?

Shri Yashpal Singh: When M/s Amin Chand Pyare Lal had invited you people to the party, has there been any Minister who might have said that he would not take meal at the residence of blackmarketeers ? Had this opening ceremony been performed for this purpose that Ministers could go there ? May I know whether the party, which had been arranged for you people, was not given at the residence of M/s Amin Chand Pyare Lal ?

Shri Hathi: I cannot say as to by whom the opening ceremony was performed.

श्री रंगा : क्या सरकार ने मंत्रियों द्वारा विमानों से यात्रा करने के सम्बन्ध में कोई नियम अथवा विनियम बनाये हैं और क्या उन्हें बताना पड़ता है कि वे किस स्थान विशेष का

दौरा करने जा रहे हैं तथा क्या उन्हें इन स्थानों का दौरा उसी महीने अथवा उन्हीं महीनों में दौरा करना होता है, और क्या इस बारे में कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री हाथी : इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह स्थिति की अविलम्बनीयता पर निर्भर करता है। सामान्यता मंत्री बार-बार नहीं जाते हैं। परन्तु जब कोई अत्यावश्यक कार्य होता है तो उन्हें जाना ही पड़ता है। अतः ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि कोई मन्त्री किसी स्थान पर एक सप्ताह में दो दिन से अधिक समय के लिये नहीं जायेगा। वे केवल तभी जाते हैं जब किसी स्थान विशेष पर जाना आवश्यक होता है।

श्री रंगा : वे जब चाहें जा सकते हैं और उनकी जाने की कितने बार इच्छा होती है इसके बारे में कोई नियम अथवा विनियम नहीं है। कितनी अपवादजनक स्थिति है !

Shri Yashpal Singh: Are Govrnment aware that a Minister of Punjab, while going to Bombay to attend the All India Congress meeting, violated the Railway orders and took seats in the compartment along with his other people without getting their seats reserved and above all threatened the T.T.E. thal he would get his services terminated?

Mr. Speaker : It is very difficult for him to answer this question.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the number of Ministers including the Parliamentary Secretaries who attended the last All-India Congress Committee meeting at Bombay and the amount of money spent by the Central Government in connection therewith?

Mr. Speaker: He has already answered this question.

Shri Prakash Vir Shastri: In view of the suggestion made by Government that Ministers should reduce the expenditure on officials tours to the minimum, may I know whether any scheme has been formulated in this connection? If so, the main features thereof and the amount of money likely to be saved as a result thereof?

Shri Hathi: I think, there is no need of any scheme, when the expenditure is to be reduced, every Minister should see that he does not go on tour when there is no need for it. The figures relating to their expenditure on official tours are not maintained by the Ministry of Home Affairs.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that a huge amount of money has been spent by the Government of India and Ministries and Departments of the Maharashtra State Government in connection with the All-India Congress Committee meeting held at Bombay? If so, the amount spent thereof ?

Shri Hathi : No expenditure has been incurred by the Government of India and so far as expenditure incurred by the Government of Maharashtra is concerned, I want notice for it.

श्री ही० ना० मुकर्जी : समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किये गये दौरों पर बहुत अधिक धन खर्च किया गया है, क्या सरकार ने कोई निश्चित योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत प्रधान मन्त्री समेत मंत्रियों के दौरों पर निश्चित सीमा से अधिक खर्च न किया जा सके ?

श्री हाथी : मुख्य प्रश्न एक विशेष उदाहरण के बारे में है। श्री रंगा के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बारे में कोई नियम अथवा प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु सामान्यता मन्त्री केवल वहीं जाते हैं जहाँ जाना सरकारी कार्य के लिये आवश्यक होता है। मेरे लिये यह कहना तो सम्भव नहीं है कि प्रधान मन्त्री ने आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य स्थानों का जो दौरा किया था उस पर कितना खर्च आया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैंने यह प्रश्न सरकार का रवैया जानने हेतु पूछा था क्योंकि प्रधान मन्त्री के दौरों के बारे में समाचार पत्रों में ज्योतिषिक आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है। क्या हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इस बारे में कोई नियम नहीं हैं। अगला प्रश्न। श्री मुकर्जी।

श्री हेम बरुआ : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि समाचार पत्रों में छपा है कि जब प्रधान मन्त्री केरल में गई थीं तो लगभग चार लाख रुपये खर्च किये गये थे ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम

+

* 487. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री वारियर :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रगति के बारे में पुनर्विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है,

(ग) क्या अन्य विश्वविद्यालयों में भी पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गए पत्राचार पाठ्यक्रम की कोई समीक्षा नहीं की गयी है। फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों के निदेशालय से मिली रिपोर्टों तथा इस कोर्स को लेने वाले छात्र के परीक्षा परिणामों को देखने से पता चलता है कि पाठ्यक्रम सफल रहा है।

(ग) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार का विचार पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जाने में परिचालित किये गये व्याख्यान-टिप्पणों अथवा ऐसे ही लेखों को प्रयोग में लाने तथा उनको इस प्रकार से तैयार करने का है जिससे इनका विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कर विश्वविद्यालयों में हमारी अपनी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की प्रक्रिया को शीघ्र अपनाया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि मेरे विचार में पत्राचार पाठ्यक्रमों का हमारे देश में बहुत ही उज्जवल भविष्य है। यदि हम ऐसा अंग्रेजी में करने में सफल रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि ऐसा सभी भारतीय भाषाओं में नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि हमने यह पाठ्यक्रम एक अग्रिम परियोजना के रूप में चालू किया था। हम देखना चाहते थे कि क्या हमें सफलता मिलती है। हमें इससे पूरी सफलता मिली है। इस अनुभव से कुछ सीखने के पश्चात हम अन्य सभी क्षेत्र में पत्राचार पाठ्यक्रमों को चालू करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि विश्वविद्यालय-शिक्षा की मांग को जिसको अब शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सकता, पत्राचार पाठ्यक्रम में विस्तार करके कहां तक पूरा किया जा सकेगा, और क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने की कोई योजना बनाई है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां, इस पत्राचार पाठ्यक्रम को अन्य विश्वविद्यालयों में चालू करने की एक योजना बनाई है। हमने अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई है और आशा है कि हम इसे सफल बनायेंगे। इस समय प्रायमिक तथा उच्च माध्यम विद्यालयों में क्रमशः चार लाख तथा एक लाख अप्रशिक्षित अध्यापक हैं। इन्हें केवल पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस योजना को प्रादेशिक कालेजों में चालू कर दिया गया है। आशा है कि आगामी योजना में इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सकेगा।

श्री बूटा सिंह : दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा किस श्रेणी के लिये और किन विषयों में शिक्षा दे रहा है ? क्या विधि-श्रेणी के लिये इस पाठ्यक्रम को चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मु० क० चागला : अभी तो इस योजना के अन्तर्गत केवल वही विषय पढ़ाये जाते हैं जो बी० ए० (पास) के विद्यार्थियों को पढ़ने पड़ते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह बी० ए० (पास) की परीक्षा में बैठ सकता है। जहाँ तक मुझे मालूम है विधि बी० ए० (पास) के लिये विषय नहीं है।

श्री त्यागी : क्या सरकार ने इस पुराने प्रस्ताव पर विचार किया है कि शिक्षा का प्रसार करने हेतु रेडियो का प्रयोग किया जाना चाहिये और प्राध्यापकों के व्याख्यानों का रेडियो से प्रसारण किया जाना चाहिये जिससे विद्यार्थी अपने घर बैठे ही टिप्पण तैयार कर सकें।

श्री मु० क० चागला : इग्लैंड में एक यह सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय स्तर

का अध्यापन कार्य रेडियो से किया जाना चाहिये। कोई कारण नहीं कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिये। मेरे विचार में शिक्षा का प्रसार करने में रेडियो बहुत अधिक योग दे सकता है (अन्तर्बाधा)। मैं मानता हूं कि हम इस प्रयोजन के लिये रेडियो का इतना प्रयोग नहीं कर पाये हैं जितना करना चाहिये था। परन्तु दिल्ली में रेडियो तथा टेलीविज़न से शिक्षा दी जा रही है।

श्री हेम बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री उन संसद सदस्यों को, जो इस पाठ्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हों, पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा देने के लिये तैयार हैं ? कुछ ऐसे संसद सदस्य हो सकते हैं जो आचार्य की उपाधि प्राप्त करना चाहते हों।

श्री मु० क० चागला : यही प्रश्न राज्य सभा में भी मुझसे पूछा गया था और मैंने उत्तर दिया था कि पत्राचार पाठ्यक्रम न केवल संसद सदस्यों के लिये परन्तु मंत्रियों के लिये भी चालू किया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा क्या यह पाठ्यक्रम राज्य विश्वविद्यालयों में भी चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर होने वाले खर्च में से कितना प्रतिशत खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय अथवा दोनों द्वारा जुटाया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य विश्वविद्यालयों से इस विषय पर पत्र व्यवहार कर रहा है और प्रयत्न कर रहा है कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम चालू किया जाये। जहां तक व्यय का सम्बन्ध है इन पाठ्यक्रमों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन पर कोई खर्च नहीं होता है। विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में जो धन इकट्ठा किया जाता है वह साहित्य तैयार करने के लिये पर्याप्त होता है। जिन विश्वविद्यालयों में प्रति विद्यार्थी 500 रुपये खर्च आता है उनमें इतनी आय भी हो जाती है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि यूनेस्को आयोजन मिशन ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि अध्यापकों को पत्र व्यवहार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों की एक योजना बनाई गई है। हमारे एक प्रादेशिक कालेज में एक अग्रिम योजना पहले ही चालू कर दी गई है। हम इस योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अध्यायकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के बारे में जो अध्यापकों के लिये बहुत ही आवश्यक होता है, पत्राचार पाठ्यक्रमों में क्या व्यवस्था है ?

श्री मु० क० चागला : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यापकों के लिये इस समय जो पत्राचार पाठ्यक्रम है वह 14 महीनों में पूरा होता है। इनमें से 10 महीने तो वह पत्र व्यवहार द्वारा अध्ययन करेगा। चार महीने उसे किसी संस्था में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये जाना होगा। इस दौरान वह अध्यापकों के सम्पर्क में आयेगा। इसके लिये उसे ग्रीष्म ऋतु में मिलने वाले दो महीनों के अवकाश का लाभ उठाना होगा। जिससे पत्राचार

पाठ्यक्रम में अध्ययन के साथ साथ अध्यापकों से वास्तविक सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : मन्त्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में अभी बताया कि ये पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक आधार पर चालू किये गये हैं। क्या इसकी सफलता का निर्धारण करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ? यह कब पता चलेगा कि यह कार्यक्रम सफल रहा है जिससे इसको अन्य राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में भी चालू किया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : इसकी सफलता के बारे में अब कोई सन्देह नहीं है। दिल्ली में तो हमें पूरी सफलता मिली है। हम इस अनुभव से संतुष्ट हैं क्योंकि उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशतता काफी अच्छी है। इसे अन्य विश्वविद्यालयों में चालू करने के लिये हम शीघ्र कार्य-वाही कर रहे हैं। यह मामला वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है और आशा है कि एक अथवा दो वर्षों में ये पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों में चालू हो जायेगा।

Ministers Bodyguards

+
*488. **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that bodyguards have been provided to the Members of the Cabinet;

(b) if so, whether this arrangement existed before or has been introduced recently;

(c) whether the arrangement of Bodyguards accompanying the Ministers is restricted to the capital only or whenever they go on tours;

(d) in case these Bodyguards accompany the Ministers during elections also. Whether the Bodyguards will participate in their election; and

(e) whether Government propose to make a provision prohibiting Government Servants accompanying the Ministers from taking active part in the election of the Ministers?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) This arrangement has been in existence for a long time and has not been introduced recently.

(c) The arrangements are made both at the capital and while on tour.

(d) No, Sir. Government servants are prohibited from taking part in elections.

(e) Does not arise.

Shri Ram Sewak Yadav: These Ministers, elected by the public require bodyguards. Is there any real danger for them or these bodyguards are simply provided for pomp and show.

Shri Hathi: The Minister's elected by the public require them.

Shri Ram Sewak Yadav: My question has not been answered.

Shri Hathi: They are not for pomp and show.

Mr. Speaker: Short Notice Question.

Shri Rameshwaranand: My question pertains to the point of order.

Mr. Speaker: The question has been dispensed with, how can there be point of order now?

Shri Rameshwaranand: There can be point of order under rule 376/2.

Mr. Speaker: Swamiji, no point of order can be there now.

Shri Rameshwaranand: Mr. Speaker, point of order can be raised. I submit that the Minister has stated that they require bodyguards. Do they require these bodyguards only while they are Ministers and do they not require them when they are not Ministers? What is the danger that necessitates provision of bodyguards for them after their becoming Ministers?

Mr. Speaker: What is the point of order in it?

SHORT NOTICE QUESTION

अल्प—सूचना प्रश्न

Accident in Birla Technical Institute of Textiles, Bhiwani

+

S. N. Q. 11 **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Y. D. Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Rameshwaranand:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Alvares:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many labourers died and others got serious injuries as a result of the collapse of a bulding of the Birla Technical Institute of Textiles, Bhiwani (Punjab);

(b) if so, the number of persons who were killed and those injured;

(c) whether it is also a fact that the said building was constructed only one and a half years back;

(d) whether Government have decided to conduct a judicial inquiry in this matter and if so, the date by which it is likely to commence; and

(e) whether Government propose to give some interim compensation to the families of the deceased and injured persons and if so, the amount of compensation to be given to each family?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां):

(क) और (ख) : जी हां । 9 अगस्त, 1966 को साढ़े तीन बजे शाम जब कुछ व्यक्ति भिवानी स्थित बिड़ला टेकनिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स के शेड में कार्य कर रहे थे, वर्षा के दौरान छत का एक भाग गिर गया जिसके परिणाम स्वरूप 12 व्यक्ति मर गये तथा 20 घायल हुये ।

(ग) जी हां ।

(घ) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

(ङ) इंस्टीट्यूट के प्रबन्धकों ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 500 रुपये और प्रत्येक 6घायल व्यक्ति को 50 रुपये की अंतरिम सहायता दे दी है।

Shri Yudhvir Singh : This question did not require so simple an answer as the hon. Minister has put forth. This sort of accident took place in Delhi the other day and 17 persons died. We do not think of Bhiwani because it is a small city and is far from Delhi. Twelve persons died and 24 persons were injured as a result of the collapse of the building of the Textile Institute. All the points have been answered in a roundabout way. Is it a fact that the Mill owners did not allow the labourers to undertake clearance of debris for about four hours after the accident because they wanted to call telephonically the man from the Insurance Company with which the Mill and the Building was insured. During this period about 15-20 men who had been crying under the debris for about four hours, ultimately died. The Mill owners did not allow any of the workers to clean the debris because the man from Insurance Company did not reach there.

Shri Shahnawaz Khan : I would first of all like to make it clear that this factory is under the State Government.

Shri Yudhvir Singh : Panjab is under President's rule.

Mr. Speaker : I permitted it because it relates to Panjab.

Shri Shahnawaz Khan : The District Magistrate has ordered an enquiry and the matter and that is being investigated into.

Shri Yudhvir Singh : How is this enquiry going on?

Mr. Speaker : After how much time the workers were taken out and when did others reach there? All points will be included in the enquiry. The enquiry is going on.

Shri Yudhvir Singh : While refering to Enquiry Committee he has called it 'Enquiry by Experts' only. The Enquiry Committee would disclose the reason of the fall of the building which was constructed only one and a half year back, and also the proportion of cement and sand in it.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram):

The enquiry is being conducted by the Police but some technical experts will also be associated with it, who will look into the various aspects of the matter.

Shri Yudhvir Singh : What has obstructed Government after this major accident from instituting an enquiry under the Chairmanship of some present or retired Justice of High Court into this whole accident. This enquiry has been entrusto II Class authority. Will Government conduct this enquiry through a Judge of High Court.

Shri Jagjivan Ram : No Sir, no such proposal is under consideration.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: First thing is the hon. Minister was stating that question pertains to the State Government.......

Mr. Speaker: Why should it be repeated again.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The question has not been answered by the hon. Minister. The Company has announced Rs. 500/- each for the dead and Rs. 50/- each for the injured. Is the sum of Rs.500/- sufficient for the dead? Are Government

asking them to pay something more under the rules? If so, what will be amount to be paid to each of them. The second point is this that when the wall was falling down, the management could have, if they so desired, taken them out and saved their lives. But the company only kept in view its interest knowingly......

Mr. Speaker: This question was put and he has answered it. All this will be looked into by the Enquiry Committee. How can this be .feretold now?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to ask only this much......

Mr. Speaker : You had asked whether compensation would be given, and that has been answered.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that some trolley was brought from Bhiwani for the clearance of the debrids but the management sent it back.

Shri Jagjivan Ram: Enquiry will reveal all these things. So for as compensation is concerned, the management has given Rs.500/- each. They will be properly compensated by the Employees State Insurance according to rules.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : It is self-evident that only proprietor cannot establish such a big factory. He has to contact contractors for that. Who was the contractor and how much of the required material has been used will all these points be investigated into? If some fault or defect is ascribed to him, what action will the Government take against him?

Mr. Speaker: That cannot also be said now. There will be enquiry as to who constructed the building.

Shri Jagjivan Ram: An engineer is the technical man in it and he will look into all these points.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It has not been made clear as to when this enquiry will be completed.

Shri Onker Lal Berwa: How many members will be there in the proposed Enquiry Committee and how many of them will be from the Centre, State and outside and when will this enquiry be completed?

Shri Jagjivan Ram: I have stated that this is Police enquiry.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How is it Police Enquiry?

Mr. Speaker: Let the Minister reply please.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It should be investigated into. What enquiry will be conducted by the Police?

Shri Jagjivan Ram: It has already been stated that Enquiry is going on and it is Police enquiry. An Engineer will be associated with them as Technical member and all its aspects will be looked into.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How much time will it take?

Shri Jagjivan Ram: He may please have patience, I shall let him know the time also. This enquiry will be completed expeditiously.

Shri Yudhvir Singh: The hon. Minister has, in reply to first question, stated that an expert committee has been appointed.

Mr. Speaker: He says there is an Engineer. He is also an expert.

Shri Yudhvir Singh: How can the Police throw light on all these points? The Hon. Deputy Minister has put forth something different in his reply. What purpose will be served by this Police Enquiry Committee? How will all facts be brought to light? 14 persons died and 24 injured......

Mr. Speaker: Discussion will continue in that way. He has answered that......

Shri Yudhvir Singh: Is it because of the fact that there is Birla rule and this Mill also belongs to Birla and therefore we are not allowed to elicit answer......

Mr. Speaker: I do not know who is ruling or who is not.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker......

Mr. Speaker: Shri Kachhavaiya, whenever you like you begin speaking and go on speaking.

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has just now stated that the experts conduct enquiry. I would like to know whether they will not be influenced by the Management and whether this will not be an improper or biased enquiry?

Shri Jagivan Ram: What can I say on this?

Shri Rameshwaranand: Who else shall reply if he does not do so? Mr. Speaker, wherefrom should the answer be elicited if he does not make a reply?

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Rameshwaranand: Mr. Speaker, you have allowed me to ask question. I have put it. Now he should reply to it.

Shri Onkar Lal Berwa: He has said, "What should I reply."

Mr. Speaker: Shri Shastri.

Shri Pakash Vir Shastri : This was so major an accident and number of people died. Was non-availability of crane in Bhiwani a major cause of this and the crane had to be brought from Hissar for clearance of the debris? If so, why should there not be provision for cranes and other necessary things for safety and protection against such accident wherever their are big Mills, wherein hundreds of workers are employed, so that rescue operations may instantaneously be started in furture?

Shri Jagjivan Ram: After having received the report of enquiry, all the requirements......

Shri Prakash Vir Shastri: Was there a crane?

Shri Jagjivan Ram : You might get that information, but we do not have any official information in this regard. I have not looked into it. I cannot say whether what you are saying is right or not. I have, therefore, said that consequent upon the enquiry, whatever points and drawbacks are brought to our notice, we will try to meet necessary demands and will take necessary action.

श्री अल्वारेस : इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं कि जब तक बीमा कम्पनी का व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचा तब तक सहायता कार्य रुका रहा, जिससे यह प्रकट होता है कि मलवे के नीचे दबे हुये मज़दूरों के जीवन से सम्पत्ति की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। यह सब ध्यान में रखते हुये क्या सरकार अब पुलिस जाँच की अपेक्षा न्यायिक जाँच करायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार दूसरी जाँच की अपेक्षा न्यायिक जांच करायेगी ?

श्री जगजीवन राम : अब तक न्यायिक जाँच के प्रश्न पर विचार नहीं हुआ। दूसरी सभी बातों के अतिरिक्त न्यायिक जाँच के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister will at least be able to tell as to whether the building was new or old? If was a new building and inspite of this fact it collapsed, I would like to know whether they would take necessary steps to ask the contractors or Engineers or Architects and Shri Birla to pay at least Rupees one

lakh to each family of the dead as compensation.

Shri Jagjivan Ram: It was constructed only one or two years back. I cannot say as to who was at fault and who was the Engineer because it was a private house. All these things will come to light after the enquiry is over. So far as the compensation is concerned, I have stated that they will get whatever is admissable under the rules of Employees State Insurance. The amount paid so far, was an ex-gratia payment.

Shri Madhu Limaye : Is that the price of human life?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि दूसरा गम्भीर आरोप जो कर्मचारियों ने लगाया है वह यह है कि कुछ मरने वाले लोगों को शीघ्र अस्पताल पहुँचा कर बचाया जा सकता था ? इस विशेष घटना तथा अन्य सभी बातों पर पर्दा डालने तथा फैक्ट्री-इन्स्पेक्टर तथा सेफटीइन्सपेक्टर द्वारा जाँच न कराने के लिये यह सब किया गया। क्योंकि पंजाब में कोई प्रतिनिधि सरकार या मंत्री नहीं है, क्या कोई केन्द्रीय मंत्री वहाँ गये हैं या निकट भविष्य में जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : किसी मंत्री के वहाँ जाने से आरोपों को मानने या न मानने पर क्या असर पड़ेगा ? यह सब जाँच द्वारा ही होगा और जाँच हो रही है।

श्री प्रिय गुप्ता : क्या वह मकान अच्छी हालत में है या उसको भी कोई खतरा पैदा हो गया है ? क्या कारखानों के निरीक्षकों की संख्या इतनी कम है कि वे साल में कम से कम एक बार भी कारखानों का निरीक्षण नहीं कर पाते ? यदि हां तो क्या सरकार इस दृष्टि से कारखानों के निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये सफल कार्यवाही करेगी ताकि उनकी कमी की वजह से फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा नियमों के पालन में ढील न दी जाये ?

श्री जगजीवन राम : मैं पता करूँगा कि क्या यह मकान भी फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आता है और क्या फैक्ट्री इन्स्पेक्टोरेट के द्वारा इसका निरीक्षण होना था ? और यदि हाँ तो इससे पूर्व इसका निरीक्षण कब हुआ था ?

श्री दाजी : गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और लगाये जा रहे हैं एक नये भवन निर्माण के बारे में था तथा दूसरा सहायता कार्य में हुई निर्मम लापरवाही का था। सम्पत्ति को लोगों के जीवन से अधिक पवित्र तथा महत्वपूर्ण समझा गया। जब क्रेन आई तो सहायता कार्य के लिये मकान के एक भाग को तोड़ने की आज्ञा दी गई, किन्तु क्रेन के द्वारा ऐसा नहीं करने दिया गया, लोगों को मरने दिया गया और शावों निकालने में एक दिन से भी अधिक समय लगा। तीसरी बात यह है कि यह बिड़ला की एक बहुत बड़ी तथा महत्व पूर्ण फर्म का मामला है। यह सब होत हुये भी सरकार ने पुलिस-जाँच से ही क्यों सन्तोष किया और इन आरोपों की न्यायिक जाँच क्यों नहीं करवाई ?

एक मनानीय सदस्य : उन्होंने कहा है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री दाजी : विचार ही क्यों कर रहे हैं ? वे निश्चित घोषणा क्यों नहीं करते कि यह होगी।

श्री नम्बिआर : वे एक निश्चित घोषणा करें।

श्री जगजीवन राम : मैं जो कुछ कह चुका हूँ, उससे आगे कुछ नहीं कहूँगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीकी वैज्ञानिकों की यात्रा

*480. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी वैज्ञानिकों के उच्च शक्ति-प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल के साथ, जो हाल में भारत आया था और जिसने भारत में विज्ञान, औद्योगिक शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के सम्बन्ध में भारतीय विद्वानों से बातचीत की थी, हुई बात चीत के निष्कर्षों का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है,

(ख) क्या अमरीका का राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान भारत में विज्ञान एवं औद्योगकीय शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास में किसी प्रकार का भाग लेगा, और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में भाग लेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) : भारतीय तथा अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल इस बात के लिये राजी थे कि गीष्म संस्थन कार्यक्रम का तुरन्त अनुसरण किया जाए और हमारे स्कूल तथा कलेजों में विज्ञान-शिक्षा के स्तर तथा कोटि में सुधार किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए, पाठ्यचर्या विकास, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शिक्षक-मार्गदर्शक, श्रव्य दृश्य नाटक संबंधी अनुदान, पुस्तकालयों को प्रभावशाली बनाना, वैज्ञानिक यंत्रों का डिजाइन व निर्माण तथा प्रयोगात्मक किटों के काम को हाथ में लिया जानाचाहिए।

(ख) और (ग) जी, हां। 'राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान' जिस रूप में भाग लेगा—उस पर विचार विमर्श हो रहा है।

Appointment of Vice-Chancellors

*482. **Shri Sidheshwar Prasad : Shri Rishang Keishing :**

Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether any efforts have been made to evolve an All-India policy regarding the appointments of the Vice-Chancellors of the Universities in consultation with the University Grants Commission; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) The report of the Model Act for Universities Committee which included recommendations regarding the method of appointment of Vice-Chancellors has been forwarded to the State Governments for suitable action and comments. It is hoped that an all-India policy in this matter will be evolved in the light of the views expressed by State Governments and the University Grants Commission.

यूनेस्को योजना मिशन

*489. **श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना मिशन ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करने के लिये भारत का दौरा किया था तथा उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था,

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं, और

(ग) मिशन द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क)' जी, हां ।

(ख) आयोजना मिशन 23 दिसम्बर, 1963 से 10 मार्च, 1964 तक भारत में रहा । मिशन की मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6799/66]

(ग) मिशन द्वारा बताए गए मार्ग पर विज्ञान तथा गणित की नयी पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें तथा दूसरी अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research & Training) को सौंप दिया गया है । कुछ सामग्री तैयार की जा चुकी है और दिल्ली के चुने हुए स्कूलों में प्रयोग के रूप में काम में लाई जा रही है ।

नेफा को संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल

*490. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के उस प्रतिनिधि मंडल से, जो गत मई में नेफा गया था, कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहाँ के आदिमजातीय लोगों द्वारा की गई इन शिकायतों का उल्लेख किया है कि वहाँ सरकारी प्रशासनिक विभागों तथा अधिकारियों तक उनकी पहुँच नहीं होती है और उनका नौकरशाही वाला रवैया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में हथियारों के जखीरे

*491. श्री कृष्ण पाल सिंह : श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप : श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री श० ना० चतुर्वेदी : श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री प्र० च० बरुआ : श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री दिगे :
डा० श्रीनिवासन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में हाल ही में हथियारों के जिन पर पाकिस्तान के चिन्ह हैं कई जखीरे पाये गये हैं और यदि हां, तो कितने ;

(ख) कितने तथा किस प्रकार के हथियार पाये गये और विभिन्न प्रकार का गोला बारूद कितनी-कितनी मात्रा में पाया गया है ।

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वे किस देश के हैं ; और

(घ) क्या कोई अभियोग चलाये गये हैं और यदि हां, तो ये अभियोग किस कानून के अंतर्गत चलाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 5 जून, 1966 से 3 अगस्त, 1966 तक की अवधि में 16 स्थानों से ऐसे हथियार तथा गोलाबारूद बरामद हुए हैं जिन पर पाकिस्तान के चिन्ह थे । इनमें निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित थी :—

.303 केन्द्र कारतूस	1,955
स्टेन गन के कारतूस	2,450
21 हथगोले	
.30 के कारतूस	250
9 एम० एम० कारतूस	1,615
811 एम० एम० का बम	1
99. एम० एम० का कारतूस	15
9 एम० एम० स्टेन-गन की मैगजीन 18 कारतूसों के साथ	1

(ग) और (घ) दो सशस्त्र पाकिस्तानी एजेन्टों पर जो पाक अधिकृत काश्मीर से आये थे शस्त्र-अधिनियम, निष्क्रमण तथा आन्तरिक गतिविधि (नियन्त्रण) अध्यादेश 2005 (सम्बत) तथा रणवीर दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी गयी ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

*492. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को **प्रशिक्षण** देने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) क्या प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। फिर भी चौथी आयोजना के दौरान ऐसी सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित कर देना सम्भव नहीं होगा।

(ख) चौथी आयोजना में पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए माध्यमिक स्कूलों के 22,000 अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

(ग) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान असम, मैसूर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तरों पर अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों के शुरू करने का विचार है।

महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी

*493. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सस्कृति संगठन (यूनेस्को) से प्रार्थना की है कि महात्मा गांधी की जन्म दिवस शताब्दी को गाँधी शताब्दी वर्ष घोषित किया जाये, ताकि भारत राष्ट्र के निर्माता का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाने में सभी देशों के लोग भाग ले सकें, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में "यूनेस्को" ने क्या प्रत्युत्तर दिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :(क) जी, हां।

(ख) इस अनुरोध पर युनेस्को के 14 वें सामान्य सम्मेलन द्वारा विचार किया जायेगा। यह सम्मेलन 25 अक्टूबर से 30 नवम्बर, 1966 तक पैरिस में होने जा रहा है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्मारक

*494. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस तथा उनकी आजाद हिन्द फौज का, जिन्होंने इन द्वीप समूहों को 1943 में अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया था, एक स्मारक बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्दमान की सैल्यूलर जेल में कैद रखे गये सैकड़ों देशभक्तों के बलिदान तथा त्याग की स्मृति में एक प्रशस्ति पत्र उस जेल में अंकित किया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सरकार इस पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्मारक के रूप के विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानून और व्यवस्था की स्थिति

*496. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सारे देश में, विशेषकर (एक) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों और (दो) सरकारी सम्पत्ति को हुई क्षति के संदर्भ में, कानून और व्यवस्था के बारे में कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) आगामी चुनावों को दृष्टि में रखते हुए बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) देश की विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति के सभी पहलुओं का समय-समय पर सांगोपांग अध्ययन किया जाता है । पिछला अध्ययन अभी कुछ सप्ताह हुए किया गया था । इस अध्ययन के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी लिये गये थे और एक सामान्य अध्ययन भी किया गया था । सरकारी सम्पत्ति की क्षति का ब्यौरेवार अनुमान नहीं लगाया गया था ।

(ख) राज्यों में अराजकता को रोकने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है । राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने अराजकता की वृद्धि को रोकने के लिये ऐसे विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनकी कानून के अन्तर्गत इजाजत है, और जो उचित समझे गए ।

'Islami Duniya' Map

*497. **Shri Brij Raj Singh** :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a calender showing a map under the caption 'Islami Duniya' has been published in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the said map is objectionable from India's point of view; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (ShriHathi) :

(a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. See No. LT/6800/66]

बरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

*498. **श्री बूटा सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1666 के मार्च आफ दि नेशन साप्ताहिक पत्रिका में (पृ०14) पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उनके मंत्रालय ने हाल में बरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अपने आदेश को रद्द कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा यदि हाल में कोई नई नियुक्तियां की गई हैं, तो उनका विवरण क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) प्रशासन में बरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बाहर से नियुक्तियों के जरिये भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने वाला कोई परिपत्र नहीं निकला था अतः उसके रद्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा "मौन विरोध प्रदर्शन"

*499. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री यु० द० सिंह :**

श्री बड़े : **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री हुकम सिंह कछवाय : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

श्री सोनावने :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों ने 5 जुलाई, 1966 को "मौन विरोध प्रदर्शन" किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) अपनी मांगों को मनवाने के लिए यह कर्मचारियों के आन्दोलन का एक भाग था ।

(ग) कुछ मांगें स्वीकार की गई थीं और प्रथम जुलाई, 1966 से शुरू हुए आन्दोलन से पहले अन्य मांगों के बारे में अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

मिजो पहाड़ियों में साम्यवादियों की गतिविधि

*500. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपूरा के मुख्य मन्त्री के 25 जुलाई, 1966 को डमडम हवाई अड्डे पर दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाये गये हैं कि बामपंथी साम्यवादी खुले तौर पर विद्रोही नागाओं का समर्थन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) इस बात का पता लगा लिया गया है कि त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने अपनी व्यक्तिगत सूचना तथा मान्यता के आधार पर वक्तव्य दिया था ।

(ख) राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गति-विधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब भी जरूरत समझी जायगी तब उचित कार्यवाही की जायगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए उपबन्ध

*501.**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय से औद्योगिक विवाद अधिनियम में विभिन्न विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं और अन्य प्रशासनिक संगठनों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संरक्षण के लिये व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । जहां तक केरल विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों का सम्बन्ध है ।

(ख) कुछ समय पहले राज्य सरकारों/प्रशासनों से परामर्श करके श्रम, सेवानियोजन तथा पुर्नवास मंत्रालय ने इस मामले की जांच की थी । उनमें से बहुतों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था । फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि गैर-अध्यापक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए उसी ढंग से नियमों के प्रारूप तैयार किए जाएं जैसे कि विश्वविद्यालयों के मागर्दर्शन के लिये शैक्षिक कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए हैं ।

सीमा आयोग का कार्यक्षेत्र

*502. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : **श्री मुहम्मद कोया** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सीमा आयोग महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच सीमा विवाद के प्रश्न के अलावा केरल तथा मैसूर के बीच सीमा विवाद के प्रश्न की जांच करेगा ;

(ख) क्या केरल के राज्यपाल ने कहा है कि केरल और मैसूर के बीच कोई सीमा विवाद नहीं हैं और केरल उस राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनने से पहले कोई सीमा विवाद नहीं उठाना चाहता ; और

(ग) यहि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री(श्री नन्दा) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) इस बारे में केरल के राज्यपाल से एक पत्र गोपनीय प्राप्त हुआ है।

(ग) इस विषय में निर्णय करते समय राज्यपाल तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विचारों पर ध्यान दिया जायगा।

स्पैंट (उपयुक्त) सल्फ्यूरिक एसिड परिष्करण संयंत्र

*503. **श्री मणियंगाडन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स टेकनीकल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, न्यूयार्क द्वारा असन्तोषजनक ढ़ंग से सप्लाई किये गये और हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड के दो डी० डी० टी० कारखानों में लगभग 4.50 लाख रुपए की लागत पर लगाये गये दो स्पैंट(अपयुक्त) सल्पयूरिक एसिड परिष्करण संयंत्रों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड ने फिर इसी फर्म को लगभग ,34 लाख रुपए के मूल्य का एक बी० एच० सी० संयंत्र के लिये आर्डर देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य ख्याति प्राप्त फर्मों से प्रस्ताव(आफर) प्राप्त होने पर भी इसी फर्म को आर्डर देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां। लेकिन जब प्रदायकों का इस ओर ध्यान दिलाया गया तो त्रुटियों में सुधार हो गया।

(ख) और (ग) बी० एच० सी० प्लांट (B. H, C. plant) के आयात का प्रश्न सरकार के परीक्षाधीन है।

केन्द्रीय बिक्री-कर

*504. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** :   **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :

श्री रणंजय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय बिक्री-कर को प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर देने का है,

(ख) यह कमी केवल दिल्ली में ही की जायेगी तथा अन्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं, और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव तथा अन्य राज्यों पर इसके पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की परवाह न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के

अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति दी गई है कि यदि वे संतुष्ट हों कि किसी प्रकार के माल के केन्द्रीय बिकी कर में कमी करना लोक हित में है, तो वे उसमें कमी कर सकती हैं । इस लिये राज्यों में केन्द्रीय बिक्री कर में केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य कमी कर के उसे 3 प्रतिशत से एक प्रतिशत करने का प्रश्न ही नहीं उठता । संघ राज्य क्षेत्रों में यह शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है अतः इस उपबन्ध के अधीन दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में कुछ माल की पुनः निर्यात पर बिक्री कर में रियायत दी गई है यदि ऐसे माल पर पहले ही संघ राज्य क्षेत्र में आयात कर समय केन्द्रीय बिक्रीक र लग चुका है । 1 जुलाई, 1957 से 31 मार्च 1963 के बीच यह रियायती दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत थी और 1 अप्रैल, 1963 से इसे बढ़ा कर एक प्रतिशत कर दिया गया था तथा अभी तक यही दर लागू है । यह रियायत इसलिये दी गई थी कि दिल्ली का अधिकतर व्यापार इस प्रकार का है कि पड़ोसी राज्यों से माल आयात कर के दूसरे पड़ोसी राज्यों को नियति किया जाता है, जो कि सामान्यतः अन्य राज्यों में नहीं होता ।

पाटस्कर समिति की सिफारिशें

*505. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री उमानाथ : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सरकार द्वारा पाटस्कर समिति की सिफारिशों में सुझाये गये समायोजनों का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या सिफारिशों के बारे में किन्हीं संगठनों अथवा व्यक्तियों से कोई अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ;

(ग) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का विचार इन सिफारिशों के बारे में कब तक निर्णय करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ) : पाटस्कर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा इस बारे में प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों पर आसाम सरकार द्वारा बताये गए समायोजनों की आसाम सरकार तथा सम्बन्धित राजनैतिक दलों की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है । इस अवस्था में यह बताना कि उनमें क्या है । लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

मिजो पहाड़ियों में चकमा लोगों का अतिक्रमण

*506. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से अनेक चकमा लोगों ने हाल में मिजो पहाड़ियों में घुस कर विद्रोह मिजो नेशनल फ्रंट की विध्वंसकारी गतिविधियों में भाग लेना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार मिजो पहाड़ियों के क्षेत्र में उत्पन्न होती हुई स्थिति के प्रति सजग है ।

Arrest of Sadhus in Delhi

*507. **Shri Rameshwaranand :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sadhus who were staging an agitation for cow protection outside Parliament House and the Prime Minister's residence have been arrested; and

(b) whether it is also a fact that the number of Sadhus arrested so far is above 100; and

(c) whether it is also a fact that the police dragged the Sadhus while arresting them and tore their clothes?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) Yes sir,

(b) Yes Sir,

(c) No Sir,

पश्चिमी बंगाल में जासूसी की गतिविधियों

*508. **श्री मधु लिमये :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मनोहरन :
श्री प्रकशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री अल्वारेस :
श्री मौर्य :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० द० राघवन :
श्री तुलसीदास जाधव :
डा उ० मित्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंमकार सिंह

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक फौजदारी मामले के अभियुक्त श्री मोहित चौधरी को पश्चिमी बंगाल में लाया गया है अथवा उस पर जासूसी अधिनियम के अन्तर्गत एक मुकदमा चलाया गया है ;

(ख) क्या इस मामले में सभी संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय में काम करने वाले किन्हीं व्यक्तियों का इस मामले से संबंध है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्री मोहित चौधरी को बिहार में एक फौजदारी मामले में गिरफ्तार किया गया था और सूचना के आनुसार इस समय वह राज्य की एक जेल में बन्द है। बाद में 29.7.66 को पश्चिल बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। इस मामले के अनुसार उसके खिलाफ राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगे होने का आरोप है।

(ख) और (ग) अभी तक मामले की जांच चल रही है। हां अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के एक कर्मचारी 10.8.1966 को इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वरा गिरफ्तार किया गया।

बम्बई में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के अभ्यावेदन

2385. **श्री किशन पटनायक : डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोलवाडा विस्थापित (अनसैटल्ड) पंजबी संस्था (सोसाइटी) (बम्बई) से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन का निरीक्षण किया गया था। चूंकि मामला मुख्यत: राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता था इसलिये संस्था को अनुरोध किया गया था कि वह उससे सम्पर्क करें।

सहायकों का संवर्ग (प्रतियोगी परीक्षा) विनियम

2386. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायकों का संवर्ग (प्रतियोगी परीक्षा) विनियम, 1965 में कोई संशोधन करने का विचार है, जिसका सुझाव अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने दिया है :

(ख) यदि हां, तो कब और किस रूप में ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) इस मामले पर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से विचार किया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम के विक्रेताओं और एजेंटों से नकद जमानत लेना

2387. **श्री अ० व० राधवन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने माल के विक्रेताओं और एजेंटों से नकद जमानत ली है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1966 तक इस प्रकार कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) क्या इस राशि पर कोई व्याज दिया जाना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

केरल में मिट्टी के तेल की सप्लाई

2388. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को केरल में उसके एजेंटों को डिपो से बढ़िया किस्म का मिट्टी का तेल पीपों में ले जाने में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम का विचार मिट्टी का तेल एजेंटों की दुकानों पर अपनी टैंक-लारियों द्वारा पहुँचाने की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) देश के अन्दर दूर दूर स्थित डिपुओं के एजेण्टों को अपने वेरलों में मिट्टी के तेल को सप्लाई करना उद्योग की कार्य प्रणाली है ।

(ख) नीति के तौर पर, भारतीय तेल निगम ने पहुँच-स्थल पर सप्लाई करने के लिए मिट्टी के तेल के अपने एजेण्टों को अपने टैंक लारियों को इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है, जब जब ये लारियां फुटकर/उपभोक्ता केन्द्रों को सप्लाई करने से मुक्त होती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन

2389. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अधिकारियों ने मार्च, 1966 में आश्वासन दिया था कि उनका वेतन शीघ्र बढ़ाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आश्वासन को कार्यरूप दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब इसके क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) केवल गैर-अध्यापक स्टाफ ने वेतन में संशोधन की मांग की थी, जिसके लिए आश्वासन किया गया था और उसे कार्यान्वित भी कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

2390. **श्री इम्बीचीबावा** :　　　　　　**श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने पर 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अधिक खर्च आया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना अधिक खर्च आया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 7 करोड़ रुपये तक।

(ग) खर्च में वृद्धि के कारण यह हैं:—

(i) मूलतः प्रत्याशित के मुकाबले में प्लांट और मशीनरी पर बढ़े हुये आयाति शुल्क और भाड़े के प्राक्कलन में वृद्धि :

(ii) भूमि और स्थल तैयार करने की अनुमानित लागत में वृद्धि ;

(iii) पाइप लाइन और गोदाम के उपकरणों की लागत में वृद्धि ; और

(iv) रेल और गोदी (dock) की सुविधाओं पर खर्च।

कालीकट में आर्ट्स कालेज

2391. **श्री इम्बीचीबावा** : **श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कालीकट, केरल में एक आर्ट्स कालेज खोलने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या कालेज सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) कालेज कहां पर होगा तथा वह किस शिक्षा वर्ष में चालू हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सन् 1964-65 में डिग्री पूर्व पाठ्यक्रम के पढ़ाने के लिए एक जूनियर कालेज की मंजूरी दी गई थी। यह कालिज सरकारी प्रबन्ध में तभी से काम कर रहा है। कालेज अस्थाई तौर पर राजकीय ट्रेनिंग कालेज के भवन में स्थित है। इसके लिए स्थाई भवन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगले शिक्षा वर्ष से जूनियर कालेज को डिग्री कालेज में बदलने का प्रस्ताव है।

सीतामढ़ी डाकघर

2392. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतामढ़ी डाकघर को अब तक वर्गोन्नित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) हाजीपुर तथा मधुबनी डाकघरों की तुलना में सीतामढ़ी डाकघर में काम काज कितना कम अथवा अधिक है ; और

(ग) डाकघर किस आधार पर वर्गोन्नित किये जाते हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार सीतामढ़ी के उप डाकघर का दर्जा बढ़ा कर मुख्य डाकघर बनाने का औचित्य नहीं है।

(ख) सीतामढ़ी डाकघर में काम की मात्रा हाजीपुर के डाकघर की अपेक्षा कम किन्तु मधुबानी डाकघर से कुछ अधिक है।

(ग) डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर प्रधान डाकघर बनाने का आधार इस प्रकार है :

(i) प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए वशर्ते कि उस जिले के कम से कम 20 उप डाकघर उससे सम्बद्ध किए जा सकें। पिछड़े क्षेत्रों या ऐसे स्थानों पर जहां उप डाकघरों/शाखा डाकघरों के लिए पूंजी लगाने से निश्चित रूप से सुधार हो, अपेक्षाकृत छोटे मानक भी स्वीकार किये जा सकते हैं।

(ii) यदि किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से सम्बद्ध उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाए तो उसे विभाजित कर दिया जाना चाहिए। फिर भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए क इस प्रकार के परिवर्तन के पश्चात् नये या पुराने प्रधान डाकघर से सम्बद्ध उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न हो।

मैसर्स प्रोग्रैसिव मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटिड, पटना

2393. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्रोग्रैसिव मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटिड, पटना, जिसका पहला नाम पोद्दार आटो डीलर्स, पटना था, के कर्मचारियों ने भविष्य निधि के लेखाओं में गड़बड़ी के बारे में शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा जमा कराये गये धन को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाह नवाजखां) : (क) जी नहीं। परंतु एक शिकायत खातों के वार्षिक विवरण देर से भेजने और दावों के निपटाने में देर होने के संबंध में प्राप्त हुई थी।

(ख) भविष्य निधि का धन स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा किया जा चुका है और वह बिल्कुल सुरक्षित है।

केरल में नारियल जटा उद्योग में मजूरी का ढांचा

2394. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में केरल के नारियल जटा उद्योग में मजूरी के ढांचे के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण निकले हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है कि नारियल-जटा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को उचित मजूरी मिले ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) केरल सरकार ने नारियल-जटा कताई उद्योग में न्यूनतम मजूरी को संशोधित करने के लिए सन् 1961 में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने इस उद्योग में मजूरी के ढांचे में एक व्यापक अनुसंधान किया और जून 1962 में एक रिपोर्ट पेश की। 24 सितम्बर, 1964 से न्यूनतम मजूरी की दरों में संशोधन किया गया।

गुजरात उर्वरक कारखाना

2395. **श्री राम हरख यादव :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात उर्वरक कारखाने की क्षमता को दुगुनी करने के प्रस्ताव की मंजूरी सरकार ने दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) इस कारखाने में पूरा उत्पादन कब होने लगेगा ; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) विस्तार के पश्चात उत्पादन नमूना निम्नलिखित होगा :—

एमोनिया	....	300,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
यूरिया	....	300,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
एमोनियम-सलफेट (19.5-19.5)	....	256,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
टेकनिकल ग्रेड यूरिया	....	3,200 मीटरी टन प्रति वर्ष

(ग) निमार्णाधीन प्लांट जुलाई, 1967 तक और विस्तार वर्ष 1969-70 के अन्त तक।

(घ) निमार्णाधीन प्लांट के लिये 35.99 करोड़ रुपये और विस्तार के लिये 15.5 करोड़ रुपये। (यह अवमूल्यन से पहले के आंकड़े हैं)

डाक, तार तथा टेलीफोन विश्व सम्मेलन

2396. **श्री राम हरख यादव :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1966 के आरम्भ में ब्रुसेल्स (बेलजियम) में डाक, तार तथा टेलीफोन विश्व कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन राष्ट्रों तथा देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) इस कांग्रेस के सम्बन्ध में हमारे पास सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं है। फिर भी अखिल भारतीय तार इंजीनियरी कर्मचारी संघ श्रेणी III नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "वीकली कारसपेन्डेन्स" नामक पत्रिका में ऐसा बताया गया है कि "पोस्ट्स टेलीग्राफ्स तथा टेलीफोन इन्टरनेशनल की 19वीं विश्व कांग्रेस 11 जुलाई से 14 जुलाई 1966 तक ब्रुसल्स (बेल्जियम) में हुई। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व डाक-तार कर्मचारियों की राष्ट्राय परिषद के महासचिव कामरेड गनानिहा ने किया।

श्री गनानिहा ने इस कांग्रेस में भाग लेने के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। फिर भी इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की डाकघर कर्मचारियों तथा डाकघर इंजीनियरी यूनियन द्वारा दिये गए निमन्त्रण पर लगभग 22/23 जून से एक पखवाड़े के लिए यू०के० का दौरा करने के उद्देश्य से जून के पहले सप्ताह में अनुमति मांगी थी। पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन इन्टरनेशनल (ब्रुसल्स) के रिकार्ड में मौजूद विभिन्न देशों के डाक, टेलीफोन तथा तार कर्मचारियों के कामकाज तथा मजदूरी की स्थितियों का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी यू०के० यात्रा के अतिरिक्त ब्रुसल्स जाने की अनुमति भी मांगी थी। उन्हें इस यात्रा की अनुमति दे दी गई थी।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट (केरल राज्य)

2397. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कालीकट स्थित प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज की तथा उसके छात्रावास की इमारतें अभी पूरी नहीं बनी है;

(ख) क्या यह सच है कि वहाँ पर प्रयोगशाला कार्य की उचित सुविधा नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) लगभग सभी कालेज भवन पूरे हो गए हैं और काम में आ रहे हैं। छात्रावासों का निर्माण एक क्रमिक कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों की संख्या के साथ-साथ चलता है। छात्रावास भवनों का निर्माण कुल दाखिल विद्यार्थियों के अनुसार किया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। लगभग सभी प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपस्कर हैं। केवल एक प्रयोगशाला के लिए कुछ उपस्कर, जिनको विदेश से आयात किया जाना है, अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आशा है कि ये उपस्कर इस वर्ष में मिल जायेंगे और वहाँ लगा दिये जायेंगे।

मालाबार में डिग्री की कक्षाओं में दाखिला

2398. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्रों को डिग्री से पूर्व की और डिग्री की कक्षाओं में दाखिला नहीं मिल सका है;

(ख) यदि हाँ, तो डिग्री से पूर्व की तथा डिग्री की कक्षाओं में दाखिले के लिए कुल कितने छात्रों ने आवेदनपत्र दिये और उनमें से कितने छात्रों को दाखिला मिला; और

(ग) अधिक से अधिक छात्रों को दाखिला देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका से प्रकट होगा कि प्रवेश के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया और कितने विद्यार्थी दाखिल हुए :—

पूर्व-डिग्री कक्षाएँ		डिग्री कक्षाएँ	
आवेदन करने वालों की संख्या	दाखिल होने वालों की संख्या	आवेदन करने वालों की संख्या	दाखिल होने वालों की संख्या
14,622	7,489	4,040	2,255

नोट : कालेजों में दाखिले के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या को प्रवेशार्थी छात्रों की संख्या नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संभव है कि विद्यार्थियों ने एक अथवा एक से अधिक कालेजों के लिये आवेदन किया हो ।

(ग) कालेजों में उपलब्धाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम दाखिले की अनुमति दी गई है ।

नई दिल्ली में आजाद भवन का निर्माण

2399. **श्री बड़े :** **श्री बृजराज सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के मुख्यालय आजाद भवन, आडिटोरियम और नौकरों के क्वार्टर के निर्माण में प्रत्येक मद्द पर, ब्यौरेवार क्रमश: कितनी धन राशि व्यय हुई ;

(ख) अधिकृत रूप से प्रत्येक मद्द के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई और किस तारीख को मन्जूर की गई;

(ग) क्या आजाद भवन के निर्माण के लिये दिये गये अनुदान से उसका सभी व्यय पूरा किया गया था ;

(घ) क्या सभी बिलों की भुगतान कर दिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) खर्च का विवरण इस प्रकार है :—

मुख्य भवन	5,94,511.00	रुपये
आडिटोरियम	2,21,221.00	,,
स्टाफ क्वार्टर्स तथा गैरेज	62,032.00	,,
सेवाएं		

(बिजली, सफाई, टेलीफोन तथा अन्य संस्थापन)	1,90.317.00	रुपये
सड़कें, गलियाँ पुल और चहार दिवारी	27,008.00	,,
भूमि की कीमत	74,029.00	,,
बागवानी कार्य	14,051.00	,,
आर्किटेक्ट की फीस	45,064.00	,,
आकस्मिकताएं	60,993.00	,,
जोड़	12,86,226.00	,,

(ख) 12.98 लाख रुपये का कुल अनुमानित खर्च 17-10-1959 को शासी निकाय द्वारा मन्जूर किया गया था । मदवार अलग से कोई मन्जूरी जारी नहीं की गई थी ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) और (ङ) 25,000 रुपये के अलावा अन्य सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है । क्योंकि एक मंजूरी का संशोधन करना था, इसलिए इस रकम का भुगतान नहीं किया जा सका । इसे संशोधित करके जारी कर दिया गया है । बिलों का शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

2400. **श्री सिद्ध्या** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों तथा संविहित संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 जुलाई, 1966 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद आरक्षित करना मान लिया है ;

(ख) अब तक कौन-कौन से निगम इससे सहमत नहीं हुए है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) 1965-66 में एकत्रित की गई सूचना के आधार पर सरकारी उपक्रमों, संविहित संस्थाओं तथा अर्द्ध सरकारी निकायों को दो सूचियाँ संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6801/66]

इनमें से एक में उनके नाम दिये गये हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए या तो आरक्षण कर लिये हैं या करने मंजूर कर लिये हैं । दूसरी में उनके नाम दिये गये हैं जिन्होंने अभी तक आरक्षण नहीं किया है और जिनसे आरक्षण किये जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।

(ग) इन उपक्रमों आदि ने तरह-तरह के कारण बताये और उनमें से कुछ के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा है, किन्तु इन कारणों का मुख्य सम्बन्ध उपक्रमों की विशेष आवश्यकताओं और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त उम्मीदवारों को प्राप्त करने में कठिनाई थी। फिर भी आरक्षण करने के प्रश्न पर उपक्रमों के साथ बातचीत जारी है।

बस्तर में मुफ्त शिक्षा

2402. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में उसके बहुत अधिक पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए मुफ्त शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :(क) और (ख) सूचना राज्य सरकार से मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में विशेष बी० एस० सी० पाठ्यक्रम

2403. **श्री पोट्टकाट्ट** : **श्री मुहम्मद कोया** :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस शिक्षा वर्ष में किन किन कालिजों में विशेष बी० एस० सी० पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में चयन करते समय केरल के मालाबार प्रदेश में कालिजों को छोड़ दिया गया है ;

(ग) हर जिले में कितने-कितने कालिज चुने गये हैं ; और

(घ) राज्य में यह पाठ्यक्रम किन-किन सरकारी कालिजों में आरम्भ किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कन्नानूर में मुख्य डाकघर की इमारत

2404. **श्री पोट्टेकाट्ट** : **श्री मुहम्मद कोया** :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नानूर में मुख्य डाकघर की इमारत बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) प्राक्कलन तैयार करने के लिये प्राथमिक नक्शे जारी कर दिये गये हैं।

(ख) फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि यह निर्माण कार्य निश्चित रूप से कौन सी तारीख तक पूरा हो सकेगा क्योंकि मंजूरी जारी करना, कार्यकारी नक्शे तैयार करना जैसी औपचारिकताएँ भी अभी पूरी की जानी है।

लक्कदीव द्वीप समूह में तूफान

2405. **नल्लाकोया थगल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव द्वीप समूह में आये पिछले तूफान से जिन लोगों के मकानों तथा अन्य सम्पत्ति को क्षति पहुँची है, क्या सरकार ने उन्हें सहायता तथा राहत देने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सहायता दी गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) अविलम्ब सहायता के रूप में द्वीप समूह के जरूरतमन्द निवासियों को 13,389.01 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ एक सप्ताह के लिये बाँटे गये। इसके अलावा जिन द्वीप-वासियों के मकानों को तूफान से क्षति पहुँची थी उन्हें मकानों की मरम्मत पुनर्निर्माण करा सकने के लिये 25 रुपये से 150 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने के लिए 7,345 रुपये की राशि मंजूर की गई।

इंजीनियरिंग कालेज, अगरतल्ला (त्रिपुरा)

2406. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री सरकार मुरमू :
श्री दशरथ देव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में अगरतला इंजीनियरिंग कालेज का परीक्षा फल बहुत ही खराब था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसका एक कारण यह भी है कि वहां पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। परीक्षा फल के खराब होने के कारण हैं : (i) सत्रों का देर से शुरू होना, और (ii) शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता।

(ख) जी हां।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के जरिये जरूरी अध्यापकों की भर्ती करने के लिए कार्रवाई की गई है।

गवर्नमेंट कालेज, अगरतला (त्रिपुरा) में स्नातकोत्तर-कक्षायें

2407. **श्री बीरेन दत्त : श्री दशरथ देव :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० बी० बी० कालेज, अगरतला, त्रिपुरा में स्नातकोत्तर कक्षाएं 1965-66 में आरम्भ करने का विचार था ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) त्रिपुरा प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक

2408. **श्री राम हरख यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों की सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करने के लिये पाकिस्तान की ओर बागा सीमा पर 30 जुलाई, 1966 को बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक में एक दूसरे की सीमा में घुस जाने वाले पशुओं और सीमा के आर-पार तस्करी से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया ।

(ग) दोनों पक्ष तस्करों पर कड़ी निगरानी रखने और सीमा क्षेत्रों में तस्कर-विरोधी उपायों को बढ़ाने पर सहमत हो गये ।

आदर्श स्कूल, दिल्ली

2409. **श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वेस्ट पटेल नगर में अस्थित आदर्श स्कूल को मई 1965 में उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल के रूप में मान्यता दी गई थी, जब वह स्कूल मान्यता प्राप्ति के नियमों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत शर्तें भी पूरी नहीं करता था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) शिक्षा वर्ष के मध्य में शिक्षा निदेशक द्वारा मान्यता रद्द किये जाने तथा बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचने देने के क्या कारण थे ;

(ग) इस स्कूल के छटनी किये गये स्थायी प्रशिक्षित अध्यापकों को अन्यत्र रोजगार देने के लिये क्या शिक्षा निदेशक उत्तरदायी नहीं है जब कि सभी विद्यार्थियों को अन्य सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कर लिया गया है ; और

(घ) शिक्षा निदेशालय ने क्या कार्यवाही की थी जब अभिभावक संघ तथा कर्मचारियों ने प्रबन्धकों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं तथा सदाचारों की सूचना उनको दी थी ;

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) आदर्श मिडिल स्कूल को दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त थी। इस स्कूल को 30 अप्रैल, 1965 तक अनुदान भी मिला था। 1 मई, 1965 से स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल बना दिया गया था और शिक्षा-निदेशालय ने अनुदान के लिये इसे मान्यता भी दे दी थी। दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि स्कूल को कुशलतापूर्वक और सुचारू ढंग से चलाने में असमर्थता प्रकट करते हुये स्कूल के प्रबन्धकों ने स्वयं मन्जूरी वापिस लेने की प्रार्थना की थी। अब दिल्ली प्रशासन का सभी समस्याओं, जैसे स्कूल के स्टाफ को अन्य स्कूलों में खपाना, स्कूल के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना आदि पर विचार करने के लिये कहा गया है। निदेशक ने इस पर क्या कार्यवाई की इसकी रिपोर्ट उनसे अभी नहीं मिली है।

दिल्ली में बोगस स्कूल

2410. **श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जी० पुलिस ने उस बोगस बोर्ड को, जिस पर "मान्यता प्राप्त" आदर्श मिडिल स्कूल, वैस्ट पटेल नगर, दिल्ली लिखा हुआ था, नहीं उतरवाया था जब उन्हें इस बात की जानकारी नगर निगम तथा अभिभावक संस्था आदर्श मिडिल स्कूल, वैस्ट पटेल नगर द्वारा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे जनता गुमराह हुई थी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन और दिल्लीनगर निगम से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में गैर सरकारी कालिजों के अध्यापकों के वेतन

2411. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के गैर-सरकारी कालिजों के प्रबन्धक अपने कालिजों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए अपना अंशदान देने को सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका अंशदान कितना होगा ; और

(ग) गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जाने के बारे में कब निर्णय किये जाने की आशा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के गैर-सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापक

2412. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में बहुत से अध्यापक अप्रशिक्षित है ;

(ख) यदि हां, तो उन अध्यापकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या अप्रशिक्षित अध्यापक संघ ने उनके बारे में राज्य सरकार को ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उनकी शिकायतों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन] : (क) से (ग) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुरु ग्रन्थ साहिब का अपवित्र किया जाना

2413. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु अर्जुन देव के जन्म दिवस समारोह के समय लुधियाना में गुरु ग्रन्थ साहिब के अपवित्र किये जाने के मामले की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) अवभावना की यह घटना लुधियाना में 23 मई को गुरु अर्जुन देव के बलिदान दिवस पर घटित हुई थी ।

(ख) मामला दर्ज कर लिया गया और पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

रूस द्वारा पुरस्कारों का वितरण

2414. **श्री हेम बरुआ** : **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री नाथ पाई : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस एक विशेष प्रयोजन को पूरा करने वाली पुस्तकों के लिये भारतीय साहित्यकारों को "सोवियत भूमि" नामक पत्रिका के जरिये लगभग एक लाख रुपये के पुरस्कार बांटता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकार की पूर्व अनुमति से किया गया है और यदि नहीं, तो सरकार से अमुमति न लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जएगी ।

Stay Orders

2415. **Shrimati Savitri Nigam:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of stay orders obtained for stopping the eviction of Govern-

ment buildings and for stopping the construction of roads and schools during the last three years in Delhi;

(b) the number of cases decided; and

(c) the nature of stay orders?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन

2416. **श्री मधु लिमये :** **श्री भागवत झा आजद :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री रिशांग किशिंग :

क्या गृह-र्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की आठवीं अनसूची में संघ-भाषाओं के रूप में रखी गई सभी भाषाओं के इस्तेमाल के लिये और अभी से सभी मंत्रालयों / विभागों में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिये उपबन्ध करने के सम्बन्ध में एक संविधान (संशोधन) धिधेयक पुनःस्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Arrest of a Foreignefr in Diphu

2417. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya .** **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a foreigner was arrested in Diphu in May, 1966;

(b) whether it is also a fact that he did not possess a passport;

(c) whether some unlawful material was also recovered from him; and

(d) if so, the action taken in this regard?

Tne Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) Yes, Sir.

(b) He was in possession ot a valid national passport, but did not hold a permit as required under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963. A case

has been registered under the Foreigners Act, 1946, for this offence. Meanwhile he has been kept in jail custody.

(c) No unlawful material was recovered from him.

(d) Does not arise.

Unlawful Ammunition Factory in U.P.

2418. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an unlawful ammunition factory was discovered in village Lakhanpur, District Fatehgarh;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection;

(c) the types of unlawfully manufactured weapons recovered; and

(d) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) One ;

(c) One 12 bore gun;

(d) The culprit was prosecuted under the Arms Act and sentenced to one year's rigorous imprisonment.

आसाम में रेलवे लाइन पर तोड़फोड़

2419. **श्री रा० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलवे लाइन पर तोड़फोड़ के ममालों का पता लगा है,

(ख) यदि हां, तो क्या ये मामले इस राज्य में सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त करने के लिये किसी राजनीतिक चाल का परिणाम है, और

(ग) ऐसी तोड़ फोड़ सम्बन्धी कार्यवाही के विरुद्ध अनुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकरों ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 1966 के दौरान रेलवे लाइन पर तोड़फोड़ के सात ममालों की रिपोर्ट मिली, किन्तु इनकी जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई ।

(ख) जब तक जाँच पूरी न हो जाय तब तक कोई मत देना कठिन है ।

(ग) आसाम के मैदानी क्षेत्र में रेल की लाइनों रास्तों की सुरक्षा के लिये काफी सुरक्षा सैनिक तैनात किये गये हैं ।

संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2420. **श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :

क्या-गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन उनके मंत्रालय में भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रशासनिक एककों को लोकतन्त्रीय रूप प्रदान किये जाने से पता लगा है कि इससे इन राज्यों के प्रशासन में तथा लोगों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार हुआ है अथवा नहीं ;

(ग) क्या इन प्रणालियों में किन्ही त्रुटियों का भी पता लगा है और इनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है ;

(घ) सम्बन्धित अधिनियमों में इन सुधारों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की विभिन्न लोकतन्त्रीय संस्थाओं के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) (ग), और(ङ) सम्भवत : माननीय सदस्यों का संकेत संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 की व्यवस्थाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, पांडीचेरी और गोआ, दमन तथा दियू के संघ राज्य क्षेत्रों में 1 जुलाई 1963 से लागू की गई लोकतन्त्रीय व्यवस्था की ओर है। इस बारे में अपेक्षित सूचना पहले ही लोक सभा में क्रमश: 1 सितम्बर 1965 तथा 24 नवम्बर 1965 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर में दी जा चुकी है।

दिल्ली के लिये पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं के लिये राशि

2421. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं के लिये चालू वर्ष में अधिक धन माँगा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इस-मामले पर सरकार विचार कर रही है।

राज्यों में मद्यनिषेध सम्बन्धी अपराध

2422. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि जिन राज्यों में अथवा राज्यों के जिन भागों में पूरी तरह से मद्यनिषेध लागू किया गया है वहां मद्यनिषेध सम्बन्धी अपराध बढ़े हैं अथवा कम हुए हैं ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि मद्यनिषेध से अपराधों, भ्रष्टाचार के मामलों तथा अन्य समाज विरोधी बुराइयों में वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं :

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

Dislocation of Telephone and Telegraph Lines in Bihar

2423. **Shri Bibhuti Mishra:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 10th May, 1966 a cyclone hit the Champaran District of Bihar, resulting in the dislocation of telephone and telegraph lines;

(b) if so, the loss suffered by Government thereby ;

(c) whether it is also a fact that these telephone and telegraph lines were not repaired till the 28th May, 1966 ; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & the Department of Communications (Shri Jaganath Rao):

(a) Yes, Sir. There was a serious breakdown of Telegraph and Telephone lines and wires in the Champarn District of Bihar due to Cyclone on 10th May, 1966.

(b) The loss suffered by the P & T Department approximately works out to be Rs. 10,000 in Cash and Rs. 40,000 under Stores.

(c) All Departmental Trunks, Railway Administrative Trunks and controls and important Trunk circuits were restored by the 13th May' 66. The local lines and wires of the Motihari exchange system were restored by 23.5.1966.

(d) The delay in restoration of the communication was due to the heavy and extensive damage caused by the cyclone. The stores and working parties for the work of restoration had to be rushed from different places. As the train communications was also affected, there was difficulty in mustering adequate labour force.

दिल्ली में एल० एल० बी० का पाठ्यक्रम

2424. **श्री मौर्य :** **श्री राम सेवक यादव :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने एल० एल० बी० पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सायंकालीन विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रातःकालीन और सायंकालीन पाठ्यक्रमों की अवधि में इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) जी हां।

(ग) एल० एल० बी० में दिन और सायंकालीन विद्यार्थियों के लिये कोर्स की अवधि क्या हो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने भारत के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश श्री पी० बी० गजेन्द्रगड़कर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति ने सिफारिश की थी कि सायंकालीन कक्षाओं के स्तर को गिरने से बचाने के लिये जिसके विद्यार्थी ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वे अपने अध्ययन के लिये उतना समय दे सकें जितना कि नये पाठ्यक्रम के अनुसार जो अभी तक पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम से काफी भारी हैं, दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थी देते हैं। अतः सायंकालीन विद्यार्थियों को चार वर्ष तक अध्ययन करना चाहिये। इससे उनके पाठ्यक्रम का विभाजन कम गहनता के साथ हो सकता है और इस प्रकार ये विद्यार्थी उसका भार बर्दास्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही एल० एल० बी० के दिन और सायंकालीन विद्यार्थियों के कोर्स की अवधि निर्धारित की है। बार कौंसिल आफ इंडिया ने भी नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति 1961 के एडवोकेट्स एक्ट के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने का अधिकारी नहीं होगा यदि उसने विधि-शास्त्र में ऐसे कोर्स को न पूरा किया हो जिसकी अवधि पूर्णकालिक विद्यार्थियों के लिये तीन वर्ष और अंशकालिक विद्यार्थियों के लिये चार वर्ष होगी।

अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

डिफू के निकट विस्फोटक वस्तु का पाया जाना

2425. **श्री मौर्य** : **श्री मधु लिमये** :
श्री राम सेवक यादव : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफू के निकट पाये गये विस्फोटकों के बारे में की जा रही जाँच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) मामले की जांच अभी तक जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वसीयम (नेफा) में प्रशासन

2426. **श्री मधु लिमये** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वसीयम (नेफा) में धीरे-धीरे लोकतन्त्रात्मक और लोकप्रिय प्रशासन लागू करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेफा में कब निर्वाचन कराने का विचार है तथा वहां कब तक जिम्मेदार सरकार स्थापित कराये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय नेफा का प्रशासन, संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 18 (2) के अधीन । राष्ट्रपति जी आसाम के राज्यपाल के जरिये चलाते हैं । इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटनाओं सम्बन्धी जांच का प्रतिवेदन

2427. **श्री किशन पटनायक : डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के एक ट्रक के द्वारा की गई एक दुर्घटना में एक विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई घटनाओं के बारे में की जा रही जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रतिवेदन

2428. **श्री किशन पटनायक : डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपने काम के बारे में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या सरकार न्यास को कोई आवर्ती अथवा अनावर्ती राज सहायता । अनुदान सहायता देती है और यदि हां, तो कितनी राशि की ; और

(क) क्या न्यास के कोई लेखापरीक्षत लेखे प्रकाशित हुए हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) 1957-58 से निम्नलिखित आवर्ती अनुदान दिये गये हैं :—

वर्ष	अनुदान की रकम
1957-58	55,000 रुपये
1958-59	75,000 "
1959-60	1,50,000 "
1960-61	1,85,300 "
1961-62	3,00,000 "
1962-63	2,50,000 "
1963-64	2,00,000 "
1964-65	5,05,000 "
1965 66	3,05,000 "

(ग) जी नहीं ; क्योंकि न्यास के लेखों को आडिट भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट मंत्रालय तथा न्यास को भेजी जाती है ।

सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

2429. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री कोल्ला बैंकैया :**
श्री मधु लिमये : **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री अचल सिंह :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक प्रशासन संस्था (इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा हाल में किये गये इस आशय के अध्ययन की ओर दिलाया है कि 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी है ;

(ख) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि दिल्ली में 50 प्रतिशत काम और देहाती क्षेत्रों में 75 प्रतिशत काम प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव के अन्दर आकर किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सरकार ने लोक प्रशासन संस्था द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन "नागरिक और प्रशासन" (जनता तथा सरकारी अधिकारी शब्दों के अर्थबोध-दिल्ली राज्य में 1964 में किये गये कुछ पहलुओं के न्यादर्शी सर्वेक्षण का प्रारम्भिक प्रतिवेदन) को देखा है। जैसा कि शीर्षक से ज्ञात होता है, यह एक पूरा प्रतिवेदन नहीं है । प्रतिवेदन के निम्नलिखित उद्धारण से स्पष्ट हो जायगा कि प्रतिवेदन की उपलब्धियाँ अंतिम नहीं हैं :—

"वर्तमान प्रतिवेदन में, एकत्रित आधार-सामग्री का, केवल एकांगी विश्लेषण ही किया गया है, और यह विशेषरूप से प्रशासनिक सुधार सम्मेलन के अक्तूबर 1964 के द्वितीय अधिवेशन के लिये तैयार किया गया है। इस विश्लेषण और प्राप्त निष्कर्षों में आधार-सामग्री के और अधिक व्यापक परीक्षण के आधार पर संशोधन भी हो सकते हैं।"

प्रतिवेदन के निम्नलिखित अंशों की ओर भी विशेषरूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है :

हमने 'राजनैतिक प्रभाव' पर इन मतों को उनके व्यक्तिगत अनुभवों अथवा उनके मित्रों के अनुभवों के साथ सम्बन्धित करके उनकी वैधता को जानने की चेष्टा की है। प्रश्न इस प्रकार था :

"क्या आपको या आपकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अनुभव हुआ था कि राजनैतिक प्रभाव किसी नागरिक की सहायता करता है ? जब यह प्रश्न पूछा गया तो हमें पता चला कि शहरी तथा देहाती दोनों ही क्षेत्रों में कठिनाई से जनता के पांचवे भाग को किसी भी प्रकार का सीधा अनुभव था ; जबकि न्यादर्श के एक बड़े भाग (शहरों में 58% और, ग्रामों में 65% ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि यह कि राजनैतिक प्रभाव से काम कराये जा सकते हैं। शेष ने कोई मत नहीं दिया। बहुत थोड़े लोगों को व्यक्तिगत अनुभव था; फिर भी अधिकांश (शहरों में 60 % ग्रामों में 75%) के मत में यह महत्वपूर्ण था।

इस प्रकार की मतगणना सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का उचित चित्रण प्रस्तुत करती है जिसका अनुमान लगाना कठिन है। प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। जैसा गृह मन्त्रालय के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, जो भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाये गये हैं उनका स्पष्ट प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत श्रीमती पैसी दत्त की गिरफ्तारी

2430. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अल्लारेस :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री मौर्य :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री तुलसीदास जाधव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1605 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको सम्बन्धित एम० पी० से बम्बई नगर निगम की महिला सदस्यों के वक्तव्यों सहित, जिन्होंने श्रीमती पैसी दत्त से स्वयं बातचीत की थी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत श्रीमती पैसी दत्त की गिरफ्तारी के बारे में इस बीच कोई और संदेश मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच उन्होंने केन्द्रीय जांच विभाग से इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

गांवों के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण

2431. **श्री श्रीनारायण दास : श्री कोल्ला वैंकैया :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिये 400 ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थायें खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना तथा कार्यक्रम का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके मौजूदा सामूहिक प्रशिक्षण (क्लस्टर टाइप) केन्द्रों अथवा ऐसे ही अन्य केन्द्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की सुविधायें

2432. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में केवल जर्मन, फ्रेंच तथा रुसी भाषायें पढ़ाने की पर्याप्त सुविधाएं हैं ;

(ख) क्या अफ्रीकी, लैटिन तथा पश्चिमी एशियाई देशों में बोली जाने वाली भाषाएं पढ़ाये जाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता अनुभव की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इनमें किसी भाषा को पढ़ाने के लिये अब तक क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषाओं के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं के शिक्षण की भी सुविधाएं भारत में विद्यमान हैं।

(ख) जी हां।

(ग) लैटिन अमरीका और पश्चिम एशियाई देशों में बोली जाने वाली विदेशी भाषाओं के शिक्षण की सुविधाएं कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले से ही विद्यमान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अफ्रीकी अध्ययन का एक अलग विभाग स्थापित किया है और विश्वविद्यालय में दो अफ्रीकी भाषाओं के शिक्षण की सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में बहुत सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विकास के लिये कतिपय अनुदान मन्जूर किये हैं। चुने हुये विश्वविद्यालयों में क्षेत्र-अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रम के एक अंश के रूप में विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विकास के लिये नियुक्त क्षेत्र-अध्ययन सम्बन्धी समिति की सिफारिश भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर ली है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्य

2433. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्व भारती तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने-अपने संस्थापकों द्वारा निर्धारित किये गये उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो क्या इस दिशा में अध्ययन करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार की जांच नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह मामला सरकार के विचारधीन है ।

Walcott Case

2434. **Shri Sidheshwar Prasad: Shri Rishang Keishing:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 322 on the 2nd March, 1966 and state :

(a) whether the investigation regarding the Walcott case has been completed ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b) Investigation has been completed in one case, which has been tried by the Chief Presidency Magistrate, Madras, who has committed the accused for trial before the Sessions Court' Madras.

Investigations in the other cases are in the final stage.

Sindri Factory

2435. **Shri Sidheshwar Prasad:**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of employees sustained injuries and the machines were heavily damaged as a result of explosion in Super-phosphate factory at Sindri on the 18th May, 1966 ;

(b) if so, the causes of the explosion ; and

(c) the reasons for which safety measures were not taken there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) A small Air Receiver installed in the Superphosphate Factory at Sindri burst on the 18th May 1966 No person sustained any injury as a result of the bursting of the air receiver. However a portion of the small temporary shed under which the air receiver and compressor were installed, was damaged and fell down.

(b) & (c) The explosion was caused because the Air Receiver was defective. The exact defect which led to the bursting of the air receiver is under examination by the State Cnief Inspector of Factories. The management, has, however, been advised by him to have air receivers of reliable make and to arrange for efficient maintenance and inspection.

Pakistani Nationals Settled in India

2436. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Jagdev Singh Siddhanti:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani nationals, on a very large scale, have come to settle in Assam, Manipur, Tripura and West Bengal ;

(b) whether it is also a fact that some residents of those areas are giving protection to them ; and

(c) if so, the action taken against them to oust these Pakistanis ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) There have been no such influx recently.

(b) A few instances have come to notice.

(c) Suitable action has been, and is being taken against them under the Foreigners Act.

पर्यटन महानिदेशक

2437. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री 16 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध जांच के बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) भूतपूर्व पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध आरोपों की प्रारम्भिक जांच पूरी हो गयी। इतने में उन्होंने समय-पूर्व सेवा से अवकाश ग्रहण करने के लिये आवेदन कर दिया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और मामले को बन्द कर दिया गया है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

2438. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री पन्नालाल** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति

2439. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध थे ; और

(ख) 30 जून, 1966 तक उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) 30,650

(ख) जनवरी से जून, 1966 के बीच 7,196 तकनीकी व्यक्तियों को काम दिलाया गया ।

Escape of a Prisoner from Tihar Jail

2440. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a prisoner escaped from the Tihar Jail in early part of May, 1966 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes. A convict escaped on the 5th May, 1966.

(b) and (c) An enquiry was held by a senior officer of the Government of Punjab. He came to the conclusion that the convict escaped, most probably by concealing himself in a van which had left the jail at about 2.20 p.m. He has also fixed the responsibility for the escape on some of the officers concerned. The Inspector General Prisons, Punjab, has accepted the findings of the Inquiry Officer and is taking further action against the officers responsible for the escape.

Apprehension of Two Naga Girls

2441. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Ragunath Singh:**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Naga girls were apprehended while roaming in Radhabari Tea Estate ;

(b) if so, the description of the illegal material recovered from them ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) No illegal material was recovered.

(c) Suspected connection of the two girls with Naga hostiles in under investigation.

Seizure of Illicit Liquor in Delhi

2442. **Shri Raghunath Singh: Shri Rameshwaranand:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police seized 260 bottles of illicit liquor from a person in Nabikarim near Pahar Ganj, Delhi;

(b) whether it is also a fact that those bottles were brought from Uttar Pradesh; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) & (b) : Yes.

(c) The case has Since been challaned and the accused Shri Sunder Lal S/O Sham Lal is facing trial. Police patrolling on the Delhi—U.P. border has been intensified.

Foreign Missionaries in India

2443. **Shri Rameshwaranand: Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with the financial help from U.S.A. and U.K., a number of foreign missionaries are inciting the Indian Nationals living in the border areas to indulge in hostile acts and sabotage as also to embrace Christianity;

(b) whether it is also a fact that these foreign missionaries are creating feelings of hatred and hostility against the country and the Government by inciting the ill-fed and ill-clothed poor and socially and politically backward persons, as a result of which disorder is increasing in the country; and

(c) if so, the action taken to expel such persons from India.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). Government are fully aware of the activities of foreign missionaries. No specific cases of their inciting anti-national and hostile acts have, however, come to notice. There are adequate powers under the Foreigners Act to deal with any individual foreign missionary who indulges in objectionable activities.

Death of an Old Man in Sadar Bazar Delhi

2444. **Shri Rameshwaranand: Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an aged person died when vendors were being removed from the Sadar Bazar area in Delhi during the first week of May, 1966;

(b) whether it is also a fact that a demonstration by the public was staged against the Police after this incident; and

(c) the cause of the death of the person?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) According to the post mortem report, the death was due to sudden cardiac arrest.

मद्रास उर्वरक परियोजना

2445. **श्री प्र० चं० बरुआ : श्री विश्वनाथ पान्डेय :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री रिशांग किशिंग : श्री स० चं० सामन्त :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामसेवक यादव : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री किशन पटनायक : श्री द्वारकादास मन्त्री :
श्री मधु लिमये : श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मई में अमरीकी फर्म के साथ करार किये जाने के बाद मद्रास उर्वरक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : समझौते की शर्तों के अनुसार उनको लागू करने के लिये एक फाऊंडरस कमेटी और तकनीकी सलाहकार ग्रुप की स्थापना कर ली गई है । कमेटी ने परियोजना से सम्बंधित प्रारंभिक कार्य को हाथ में ले लिया है ।

डाक और तार कार्यालय

2446. **डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मौर्य : श्री अ० व० राघवन :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में राज्य-वार कुल कितने डाकघर तथा तारघर खोलने का विचार है ;

(ख) इनमें से कितने डाक व तार घर गांवों में खोले जायेंगे ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6802/66**]

(ख) (1) गावों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या—1,862

(2) गांवों में खोले जाने वाले तारघरों की संख्या—363

(ग) (1) डकघरों के लिए—8 लाख रुपये

(2) तारघरों के लिए—41.5 लाख रुपये (लगभग)

फिर भी मौजूदा आर्थिक तंगी के कारण संभव है कि इस सम्बन्ध में भारी कटौती करनी पड़े ।

तीन वर्षीय मुद्रण पाठ्यक्रम

2447. **डा० राम मनोहर लोहिया** : **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव** :
श्री मौर्य :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद की विशेषज्ञ समिति ने केरल में तीन वर्षीय मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम कब से आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे तैयार होने के बाद ही पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाएगा ।

आयातित मिट्टी के तेल का प्रयोग

2448. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित मिट्टी के तेल में से अनुमानतः कितने-तेल का प्रयोग भोजन पकाने के लिये किया जाता है ; और

(ख) इस के इस प्रकार इस्तेमाल किये जाने की कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) क्योंकि आयातित मिट्टी के तेल देशीय उत्पादित मिट्टी के तेल से भिन्न नहीं है, इस लिए यह बताना कठिन है कि आयातित मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा भोजन पकाने में इस्तेमाल की जा रही है । इसके

अलावा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा भोजन पकाने में खर्च किये गये मिट्टी के तेल के प्राक्कलनों (estimates) में भिन्नता पाई जाती है कि इसके बारे में कच्चे आंकड़े भी बताना कठिन है।

(ख) कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उद्योगों में अनुसन्धान

2449. **श्रीमती सावित्री निगम** : **श्री मधु लिमये** :

श्री उटिया :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 2 मार्च, 1666 के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन उद्योगों ने अपने समस्त क्रय-विक्रय की पांच प्रतिशत राशि अनुसंधान तथा विकास के लिए नियत करने का निर्णय किया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : उद्योगों में अनुसंधान सम्बन्धी सिफारिश के साथ-साथ औद्योगिक संस्थापनों को अपने समस्त क्रय-विक्रय की पांच प्रतिशत राशि अनुसंधान तथा विकास पर खर्च करने के लिए नियत करने की अभी जांच हो रही है।

विलांग लोगों के लिये रोजगार

2450. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकलांग लोगों के लिये रोजगार दिलाने के कार्यालय ने विकलांग लोगों की रोजगार दिलाने के हेतु विभिन्न नियोजकों को सहमत कराने में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं अथवा संस्थाओं की सहायता लेने के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दिल्ली स्थित विकलांगों के विशेष रोजगार कार्यालय के कार्यों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और संस्थाओं का सक्रिय सहयोग मिलता है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

महिलाओं के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

2451. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कर्जन रोड पर स्थिति महिलाओं की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था का विस्तार गत पांच वर्षों में काफी हुआ है परन्तु विस्तार के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में बृद्धि नहीं की गई है ; और

(ख) क्या प्राध्यापकों (स्टाफ मेम्बरों)और प्रिन्सिपलों को वही ग्रेड, वही दर्जा और

यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता की वही सुविधायें दी जाती हैं जो पुरुषों की प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों को मिलती हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रशिक्षण-स्थानों की संख्या जोकि 1961 में 32 थी 1963 में बढ़ाकर 116 कर दी गई। यही संख्या आजकल भी है। संस्था में प्रशिक्षण-स्थान बढ़ाने के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई।

(ख) जी हां। केवल प्रिंसिपल को, जो अंशकालिक अधिकारी है, 150 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है। विशेष वेतन उन्हें दिल्ली प्रशासन के अधीन महिलाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसिपल के रूप में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलता है।

मेहतरों के लिए मजूरी बोर्ड

2452. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेहतरों की मजूरी तथा उनकी काम करने की हालत के बारे में विचार करने के उद्देश्य से मजूरी बोर्ड अथवा एक आयोग स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन जो प्रस्ताव है वह एक अध्ययन दल स्थापित करने के बारे में है, यह दल सफाई मजदूरों (स्वीपरों और स्कैवेंजरों) की कार्य और सेवा की परिस्थितियों (जिसमें वेतन भी शामिल है) की जांच करेगा। आशा है निर्णय का एलान जल्दी किया जायेगा।

सचेतकों का सम्मेलन

2453. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संसद-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचेतकों के पिछले सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्र में विभिन्न दलों के सचेतकों को सत्रावधि के दौरान समय समय पर आपस में सलाह मशिवरा करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र में इस सिफारिश को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान सत्र के दौरान सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दल के सचेतकों की तीन बैठकें पहले ही हो चुकी है।

राजभाषा अधिनियम

2454. **श्री यशपाल सिंह** :   **श्री अ० व० राघवन** :

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : **श्री मुथिया :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज भाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के उस विधेयक को पुन: स्थापित करने का विचार है जो पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के करण रोक दिया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छात्रवृत्तियां

2455. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केवल शहरों के विद्यार्थियों को ही लाभ होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि देहातों के विद्यार्थी भी लाभ उठा सकें ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन] (क) जी नहीं । विद्यार्थियों का चयन, विभिन्न परीक्षाओं की योग्यता-सूचियों में से, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ठीक योग्यता के आधार पर ही किया जाता है । योग्यता सूचियों में ग्रामीण क्षेत्रों के भी बहुत से छात्र होते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि .

2456. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री मधु लिमये : **श्री दे० जी० नायक:**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय, राज्य-वार, टेलीफोन को कुल कितनी रकम बकाया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 30 सितम्बर, 1965 तक जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1966 को बकाया रकम इस प्रकार थी :—

		रुपये (हजारों में)
आसाम	...	35,43
आन्ध्र	...	7,30
बिहार		9,00
मध्य प्रदेश	...	7,04
महाराष्ट्र		20,04
पंजाब	...	8,30
गुजरात		8,49
मद्रास	...	1,71
केरल	...	1,08
राजस्थान	...	2,83
उत्तर प्रदेश	...	16,47
मैसूर	....	4,60
जम्मू तथा काश्मीर	....	18,15
पश्चिमी बंगाल	....	57,29
उड़ीसा	....	7,67
दिल्ली	....	2,10,83
	कुल जोड़ :	4,16,24

(ख) तथा (ग) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की दिशा में कार्रवाई की जा चुकी है। जल्दी निपटाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के पीछे लगना, आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना जैसी विशेष कार्रवाइयां भी की गई हैं। बकाया रकम तेजी से वसूली की जा रही है।

Work in Hindi Directorate

2457. Shri M.L. Dwivedi: **Shri S.C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made in the work relating to the development, spread ank-propagation of Hindi as a result of the division of work and reorganisation and taking over charge by a new Director in the Hindi Directorate under his Ministry; and

(b) the circumstances which necessitated the division of work and reorganisation of the Hindi Directorate; and

(c) whether the additional or new work has been entrusted to the Directorate and if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) & (b) No reorganisation of the Central Hindi Directorate has been undertaken. Only

the Commission for Scientific and Technical Terminology, which since its inception, had been attached to the Central Hindi Directorate, for providing secretarial assistance, was separated from the latter on the basis of a review, undertaken in 1965. A new Director for the Central Hindi Directorate was appointed only a few months ago. In such a short time it is difficult to asses the progress made in the work relating to propagation of Hindi as a result of his appointment.

(c) The Directorate has recently been entrusted with a few new schemes for propagation of Hindi such as teaching of Hindi to non-Hindi speaking people of the country and foreigners through correspondence courses, publication of Hindi News Bulletin, establishment of Hindi Information Centre, organisation of Study Camps, Seminars and Vidyarti Melas for non-Hindi speaking students, and preparation and compilation of bilingual dictionaries. The details of these schemes are being worked out and these will be implemented in the next financial year.

Education for Children in Schools and Colleges

2458. Shri Lahtan Chaudhry: Will the Minister of **Education** be pleased to state the percentage of the children in the country receiving education in schools and colleges and the percentage of the children of agricultural labourers among them?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): The percentage of children in the country in 1963-64 receiving school education was 46.6 and college education was 2.3. Information regarding children of agricultural labourers is not available. However, the percentage of students coming from rural areas in the total enrolment was 84.8 in the case of schools and 41.6 in the case of colleges.

बर्मा से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2459. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बर्मा से दिल्ली में आये हुए भारतीय लोगों के लिये दुकानें, स्टाल और मकान बनाने के लिये इस बीच दिल्ली राज्य को कोई राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

Payment to Bonus to P.T.I. Employees

2460. Shri Bhagwat Jha Azad: **Shri Sonavane**:

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Raghunath Singh**:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3981 on the 20th April 1966 and state:

(a) whether bonus at the rate of six percent of the basic pay and dearness allwoance has been paid to the employees of the Press Trust of India;

(b) if not, when it would be paid; and

(c) the nature of the difficulties in regard to tho payment of bonus?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Not yet.

(c) Payment is expected to be made by the end of August, 1966

(c) No difficulty in regard to payment of bonus is anticipated.

बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन

2461. **श्री सुबोध हंसदा :**　　　　　　**श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त :　　　　　　**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी से हल्दिया तक और बरौनी से कानपुर तक पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या अब इन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) बरौनी से कानपुर तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। बरौनी-हल्दिया खण्ड की पाइपलाइन अभी तक पूरी नहीं हुई।

(ख) तेल उठाने के केन्द्रों में टैंकों और रेल साइडिंग की पर्याप्त सुविधाओं के न होने के कारण बरौनी-कानपुर लाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

जनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

2462. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**　　　　　　**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जून में जैनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं;

(ख) उसमें क्या मुख्य निर्णय किये गये; और

(ग) उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जनेवा में 1 से 22 जून 1966 तक हुए, 50वें अधिवेशन में हाजिर हुए भारतीय प्रतिनिधि दल के सदस्यों के नामों का व्यौरा सदन के पटल पर रख दिया है (परिशिष्ट- 1)

(ख) और (ग) सम्मेलन द्वारा अपनाये गये अभिसमयों सिफारिशों, और प्रस्तावों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-11)

इन लिखतों के प्रमाणित मूल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। उनके प्राप्त होते ही, उनकी राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य संबंधित पत्रों के परामर्श से जाँच की जायेगी और प्रचलित प्रथा के अनुसार, निर्धारित समय के बीच, उन पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा संसद के सामने रखा जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संबंधित क्रियाविधि के अनुसार भारत जैसे देशों के लिये-18 महीने का समय स्वीकृत है, जो कि इस मामले में दिसम्बर 1967 में समाप्त होगा।

जैसी कि प्रथा है, सम्मेलन में सम्मिलित भारत सरकार के प्रतिनिधि दल की रिपोर्ट भी इन लिखतों व प्रस्तावों के मूल सहित, यथा समय, संसद के सम्मुख रखी जायगी।

परिशिष्ट I

I. सरकारी पक्ष

प्रतिनिधि

1. श्री विजयसिंह नाहर,
श्रम और प्रचार मंत्री,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
(प्रति० मण्डल के नेता)

2. श्री पी० सी० मैथ्यु,
सेक्रेटरी, श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय,
(श्रम और रोजगार विभाग)

वैकल्पिक प्रतिनिधि / सलाहकार

1. श्री एन० एन० चटर्जी
संयुक्त सचिव,
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय,
(श्रम और रोजगार विभाग)

2. श्री के० पी० लुकोसे,
संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में भारत के स्थायी, प्रतिनिधि, जेनेवा।

3. श्री पी० गोपी नाथ,
द्वितीय सचिव,
संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में भारत के स्थायी मिशन, जेनेवा

4. श्री आर० रंगनाथन,
द्वितीय सचिव (वाणिज्य),
भारतीय दूतावास,
बर्न।

II. **नियोजक पक्ष**

प्रतिनिधि

श्री नवल एच० टाटा,

अध्यक्ष, एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इण्डिया ।

सलाहकार

1 श्री राजाराम जयपुरिया

2. श्री टी० एस० स्वामीनाथन,

सेक्रेटरी जनरल, एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इण्डिया ।

III. **कर्मचारी पक्ष**

प्रतिनिधि—

श्री आबिद अली, एम० पी०,

वाइस प्रेसीडेण्ट, आई० एन० टी० यू० सी०

सलाहकार

1. श्री आर० के० मालवीय,

प्रेसीडेण्ट, मध्य प्रदेश कालियरी वर्कर्स फेडरेशन ।

2. श्री वी० बी० अरोलकर,

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ।

परिशिष्ट II

अभिसमय :—1. मछुओं की सक्षमता के प्रमाण-पत्रों के बारे में अभिसमय ।

2. बोर्ड फिशिंग वेस्सेल्स पर स्थान के बारे में अभिसमय ।

सिफारिशें :—1. मछुओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिशें ।

2. विकासशील देशों की आर्थिक तथा समाजिक उन्नति में सहकारी संस्थाओं के योग के बारे में सिफारिशें ।

प्रस्ताव :— 1. विकासशील देशों के औद्योगिक-करण में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य के बारे में प्रस्ताव ।

2. 1968 में अन्तर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के योगदान से संबंधी प्रस्ताव ।

3. मानव-साधनों के विकास के बारे में प्रस्ताव ।

4. राष्ट्रीय श्रम विभागों तथ श्रम संबंधी मामलों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी अन्य सरकारी सस्थाओं के बारे में प्रस्ताव ।

5. विशेष युवक प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव ।

6. उपक्रमों में कामगरों के सक्रिय भाग के बारे में प्रस्ताव ।

कम्पार्टमेंट में आने वाले विद्यार्थियों के लिये साधक कक्षाएं (रेमेडियल क्लासेज)

2463. **श्री राम सहाय पाण्डेय:** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1665 में कम्पार्टमेंट में आये विद्यार्थियों के लिये 15 जून, 1965 से हुये ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान दिल्ली के चुने हुए सरकारी स्कूलों में कुछ स्वीकृत विषयों में साधक कक्षाएँ आयोजित की थीं;

(ख) क्या इस कार्य के लिये अर्हता प्राप्त अध्यापक नियुक्त किये थे और क्या सभी अध्यापकों को एक समान दर से अर्थलाभ दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असमानता के क्या कारण थे तथा उनके लिये प्रतिकर विभिन्न दरों से निर्धारित किये जाने का क्या आधार था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) चूंकि भाग (क) में उल्लिखित सब विद्यार्थी ग्याहरवीं कक्षा के थे, इस लिये केवल प्रथम श्रेणी के स्नातकोत्तर अध्यापकों को ही उन्हें पढ़ाने के लिये रखा गया था, और उन सब अध्यापकों को समान दर पर अर्थ लाभ दिया गया था । अत: शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indian Institute of Technology, Delhi

2464. **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Sonavane:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that class IV employees of the Indian Institute of Technology, Hauz Khas, demonstrated in front of the Hauz Khas Police Station in May, 1966;

(b) whether the Police arrested 5 La.b-bearers at the instance of the Registrar;

(c) if so, the causes of dispute in the Institute; and

(d) the action taken in this connection ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. The demonstrators included some employees of the Indian Institute of Technology, Delhi.

(b) In pursuance of a complaint lodged by the Institute authorities apprehending breach of peace, police took into custody on the 25th May, 1966, four employees and one ex-employee of the Institute for obstructing other employees of the Institute in the discharge of their duties.

(c) Some of the disgruntled employees have been agitating and creating trouble as a result of the aforesaid arrests.

(d) The Institute authorities have dealt with the problems of the individual employees

Strength of Clerical Staff in Central Secretariat

2465. **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Raghunath Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5272 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether the infomation in regard to the permanent and temporary clerical staff in the Central Secretariat has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of permanent and temporary employees separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) The information regarding the number of permanent and temporary U.D.Cs. and L.D.Cs in the Central Secretariat Clerical Service as on 1-5-1966 has been collected from all the the Ministries/Offices (except one Department) and is as follows:—

Grade	No. of Officers	
	Permanent	Temporary
U.D.Cs.	2134	1975
L.D.Cs	6944	3708

Refugees from Chhambh-Jaurian Area (J&K)

2466. Shri Bhagwat Jha Azad:　　Shri Sonavane:

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:　　Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3996 on the 20th April, 1966 and state:

(a) the demands put forward by the refugees in Chhambh-Jaurian area;

(b) whether Government have accepted all their demands; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) (a) to (c) Various demands have been put forward by the displaced persons at different times. Government have considered them sympathetically and accepted most of them. A statment showing the important demands made by them and the facilities provided by Government is attached.

[Placed in Library. See No. LT-6803/66]

महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समिति

2467. **श्री हरि विष्णु कामत :　　श्री हेम बरुआ :**

श्री नाथ पाई :　　श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री अल्वारेस :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने करेल विधान सभा के एक मृत सदस्य को महात्मा गांधी जन्म शताब्दी राज्य समिति के सस्दय के रूप में हाल ही में नामजद किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने करेल विधान सभा के मृत सदस्य को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की लापरवाही के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसी भयंकर गलती किन परिस्थितियों में हुई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी): (क) से (घ) दिसम्बर 1965 में गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति से केरल सरकार को एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें परामर्श दिया गया था कि जनवरी 1966 की समाप्ति से पूर्व राज्यों में गांधी शताब्दी समितियों की स्थापना की जानी थी। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि "रचनात्मक कार्य को, जो गांधी जी का लक्ष्य था, यथोचित महत्व दिया जाना है और इसलिये ऐसी संस्थाएं, गांधी निधि, कस्तूरबा न्यास, सर्वोदय मंडल, हरिजन सेवक संघ आदि जैसी संस्थाओं का, जो इस कार्य को कर रही हैं उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा इस बात को देखते हुए कि उनके पास समय बहुत थोड़ा था और उपरोक्त प्रकार की संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में एकत्रित पुरानी सूचना के आधार पर प्रस्तावित राज्य की समिति में शामिल करने के लिये व्यक्तियों की सूची बनानी पड़ी। प्रमुख हरिजन नेताओं को भी समिति में उचित स्थान देने की दृष्टि से एर्नाकुलम जिला हरिजन कल्याण समीति के एक गैरसरकारी सदस्य श्री कन्नन का नाम इस सूची में शामिल किया गया। फ़ाइल में ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि श्री कन्नन जीवित नहीं थे। बाद में ही इस गलती की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। यह गलती बिलकुल अनपेक्षित रूप से हुई। भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न होने देने के लिये केरल सरकार द्वारा जब भी जरूरत पड़े इस प्रकार की समितियों में शामिल करने के लिये एक नामावली बनाई जा रही है और समिति के गठन से पूर्व इस नामावली की राज्य जिला समाहर्त्ताओं द्वारा जांच की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

विदेशों में अध्यापन के लिये छात्रवृत्तियां

2468. **श्री गुलशन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में उन के मंत्रालय ने विदेशों में अध्ययन के लिये कुल कितने भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की और कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी,

(ख) अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृत्तियां दी गई, और

(ग) श्रेणीवार तथा राज्यवार इन छात्रवृत्तियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन] : (क) 353.

(ख) सन् 1965-66 के दौरान किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीले के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति के लिये नहीं चुना गया क्योंकि उस वर्ष भारत सरकार की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों आदि को दी जाने वाली विदेश छात्रवृत्ति योजना के अधीन उम्मीदवारों का चुनाव मई, 1966, में ही किया गया था। पिछले वर्षों में इसी योजना के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के जो 12 उम्मीदवार चुने गए थे उन्हें 1965-66 में अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया।

(ग) भारत सरकार द्वारा खर्च की गयी रकम—:

राज्य	खर्च रुपए
उत्तर प्रदेश	2313.00
केरल	1260.00
पश्चिमी बंगाल	2073.00
आन्ध्र प्रदेश	1039.00
पंजाब	1039.00
राजस्थान	1102.00
मद्रास	1260.00
दिल्ली	3756.00
हिमाचल प्रदेश	1293.00

ऊपर बताए हुए खर्च में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों आदि को दी जाने वाली विदेश छात्रवृत्ति की योजना के अधीन 12 छात्र (अनुसूचित जाति-7, और अनुसूचित कबीले—5) पर किया गया खर्च शामिल नहीं है। इस खर्च की सूचना भारत के विदेश स्थित मिशनों से अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

पुलिस अधीक्षकों के निवास स्थानों पर सिपाहियों का तैनात किया जाना

2469. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान में पुलिस अधीक्षकों (सुपरिटेंडेंट्स) के निवास स्थानों पर पुलिस के पसपाही तैनात किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वहां पर किस हैसियत से तैनात किया जाता है और उन्हें उन के निवास स्थानों पर क्या कार्य करना होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) राज्यों की प्रथा के अनुसार विशेष पुलिस संस्थान में भी अधीक्षकों के साथ निजी तौर पर पुलिस के सिपाही तैनात किये जाते हैं। वे निम्नलिखित सरकारी कर्तव्य निभाते हैं।

(i) आगन्तुकों से मुलाकात

(ii) किसी जांच पड़ताल के दौरान क्षेत्र-कार्य में अधिकारी की सहायता

(iii) डाक और गाड़ी की प्राप्ति तथा डाक का ले जाना

(iv) टेलीफून कालें

(v) सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा

(vi) अधिकारी की व्यक्तिगत सुरक्षा ।

तैरने वाला छिद्रण प्लैटफार्म (फलोटिंग ड्रिलिंग प्लेटफार्म)

2470. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तैरने वाले छिद्रण प्लैटफार्म के न होने से तट से परे कार्य में या तो बिलम्ब हो जाता है या कार्य किया ही नहीं जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास तैरने वाला कोई छिद्रण प्लैटफार्म नहीं है और ऐसे प्लैटफार्म की सहायता से छिद्रण कार्यों को करने के लिए आवश्यक जानकारी एंव अनुभव नहीं है । अतः उक्त आयोग ने सितम्बर 1964 में इटली के मैसर्स स्नाम के साथ ठेका किया ; जिस के अनुसार ठेकेदार को कैम्बे की खाड़ी में व्यघन कार्यों को करने के लिए अपेन-श्चल व्यघन प्लैटफार्म को लाना था । दुर्भाग्यवश व्यघन प्लैटफार्म जिसे इस उद्देश्य के लिए लगाना था जब एडरीएटिक सागर में व्यघन कार्य कर रहा था ; तो गैस में आग लग जाने के कारण सितम्बर 1965 के अन्त में नष्ट हो गया । इस लिए ठेकेदार व्यघन कार्य को करने में समर्थ नहीं है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

2471. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाना चालू करने की निर्धारित तिथि में फिर परिवर्तन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां :

(ख) माल और उपकरणों की आयात में देरी, स्टीमर के अनियत संचलन, निर्माण कार्य की नाजुक अवस्थाओं में मजदूरों का धीरे काम करने और हड़ताल के तरीकों का अपनाना इत्यादि कारणों से शोधनशाला के चालू होने में और देर हुई ।

विश्वविद्यालयों के आय-व्ययक

2472. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमुल्यन के कारण देश के विश्वविद्यालयों के आयव्ययकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा उप-कुलपतियों में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि अव-मूल्यन के कारण बढ़ गये खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को इस विषय पर उपकुलपतियों से कोई प्रत्र नहीं मिला है, परन्तु विश्वविद्यालय आनुदान आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालयों के लिये विशेषतः आयात की गयी पुस्तकों और वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद के लिये उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक धनराशि दी जाए ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

हनुमान चोटी पर आरोहण

2473. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई का एक अभियान दल गढ़वाल हिमालय में नन्दा देवी क्षेत्र में अविजित हनुमान चोटी पर हाल में चढ़ने में सफल हुआ है ; और

(ख) यादि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) हनुमान शिखर अभियान का आयोजन बम्बई की 'गिरि विहार' नामक एक पर्वतारोहण सोसायटी द्वारा किया गया था और इसमें 9 सदस्य थे । यह दल 15-5-1966 को बम्बई से रवाना हुआ और 28-5-1966 को इसने अपना आधार-शिविर स्थापित किया । 1 जून, 1966 को दल के नेता प्रो० ए० आर० चान्देकर, श्री डी० सी० अरोड़ा और दो ऊंचाई वाले (High Altitude) शेरपा 19,903 फु० ऊंची चोटी पर पहुंचे ।

भारतीय पर्वतारोहण संस्थापन ने [illegible],000 रु० का अनुदान तथा जयाल मेमोरियल स्टोर्स से दल को दिये गये उपस्कर का किराया दिया ।

ज्योनली चोटी पर आरोहण

2474. **श्री पन्ना लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय पर चढ़ने वाला एक अभियान दल, जिसमें डून स्कूल के दो लड़के एक अध्यापक और एक सैनिक अधिकारी थे 6 जून, 1966 को सबसे पहले ज्योनली चोटी पर चढ़ने में सफल हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने जिसे सरकार धन से सहायता करती है, दून स्कूल बायज एक्सपेडिशन को 5,000 रुपये का अनुदान दिया था । हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग द्वारा भी जयाल मेमोरियल स्टोर्स से अभियान को आवश्यक उपस्कर दिये गये थे । सरकार को पर्वतारोहण में बढ़ती हुई दिलचस्पी देखकर खुशी है ।

Import of Kerosene Oil and Petroleum

2475. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) Whether Government have recently taken a decision to import a substantial quantity of Kerosene oil and petroleum; and

(b) Whether it has also been decided to bring down their prices and if so, to what extent specially for consumers and retailers in rural areas?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) There is no recent decision to import kerosene, which has to be imported as long as local production does not fully meet demand. Other petroleum products which have to be imported are H. S. D. oil, lubricants and Fuel oil.

(b) The prices of Kerosene oil and other petroleum products to consumers have remained unchanged over the past several years except for variation due to the changes in statutory levies e. g. duties, wharfage etc.

कोचीन-कोयम्बतूर पाइप लाइन

2476. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन से कोयम्बतूर तक पैट्रोलियम उत्पादन लाने ले जाने के लिये एक पाइप लाइन बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) निर्माण कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) इंडियन आयल निगम द्वारा अभी इसमें जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू स्मारक निधि के लिये चन्दा

2477. **श्री बूटा सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1966 के 'मार्च आफ दी नेशन के साप्ताहिक प्रकाशन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ मामलों में उनके मन्त्रालय के कर्मचारियों पर नेहरू स्मारक निधि में चन्दा देने के लिये दबाव डाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद पता चला है कि कर्मचारियों पर दबाव डालने संबंधी प्रेस रिपोर्ट में दिये गये आरोप सही नहीं हैं ।

Linemen in Telegraph Department

2478. **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the linemen in the Telegraph Department are Class III employeees;

(b) if so, the reasons for their pay scales being different and less than those of class. III employees of other Ministries;

(c) whether Government propose to revise their pay scales upward; and

(d) the number of employees who are deprived of the benefit so far?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & the Department of Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes.

(b) The pay scales of Linemen have been fixed taking into account their nature of work and responsibility. Class III status has, however, been given to them and also to a few other categories of P & T employees as a special case, and this is not based on scales of pay.

(c) No.

(d) Does not arise in view of (b) above.

Arrest of a Pakistani

2479. **Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani was arrested in Jama Masjid area in Delhi as reported in 'Vir Arjun', dated the 18th June, 1966;

(b) whether it is also a fact that the said person was illegally staying at Taj Hotel even after the expiry of the period of his passport;

(c) if so, whether any illegal articles were recovered from him; and

(d) the action taken against that person?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplyies in the Ministry of Defence (Shri Hathi):

(a) A Pakistani national, named Syed Buhad and not Mohd. Jehad as reported in 'Vir Arjun' dated 18th June, 1966 was arrested from Jama Masjid area in Delhi on 16th June, 1966.

(b) Yes.

(c) No.

(d) He was prosecuted under the Foreigners Act, 1966, on completionof his sentence he has been sent back to Bombay from where he came. for further action.

विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्थापित शिविरों में भूख से मृत्यु

2480. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जून में दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत जगदलपुर से पांच मील दूर धर्मपुरा शिविर संख्या 3 में चार व्यक्तियों की भूख से मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या इस आवाजाही शिविर में काफी समय से 100 परिवार से अधिक रह रहे हैं जिनका पुनर्वास किया जाना है ;

(ग) क्या अधिकारियों ने बिना किन्हीं विशेष कारणों के कुछ परिवारों को सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

(घ) क्या इस शिविर में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों ने अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, नहीं । प्राप्त सुचना के अनुसार मृत्यु हुई थीं, एक मार्च में और तीन जून में जिनके मुख्य कारण निम्न थे :—

(1) न्युमोनिया

(2) चेचक और 'सैलोलाईटिस,

(3) उचित उपचर्या के अभाव में लगभग चार मास के शिशु की मृत्यु उसकी माता की मृत्यु के दो दिन बाद हो गई ।

(4) दीर्घकालिक रोग तथा सदमा ।

(ख) शिविर में 101 परिवार हैं जिनमें से 27 परिवार दो वर्ष से रह रहे हैं और शेष को विभिन्न तिथियों पर पिछले 15 महीनों में शिविर में लाया गया है । उनमें से अधिकांश एक रूप या अन्य रूप में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं ।

(ग) जी, नहीं । नियमों के विरुद्ध नकद सहायता का दिया जाना बन्द नहीं किया गया है ।

(घ) जी, हां । दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा मांगों पर विचार किया गया है । सभी उचित मांगें मान ली गई हैं । अन्य कुछ मांगों के बारे में, जैसे ; व्यापारिक ऋण का शीघ्र दिया जाना तथा घर बनाने के लिये प्लाटों की व्यवस्था के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

संघ लोक सेवा आयोग

2481. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री मधु लिमये :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को संघ लोक सेवा आयोग से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि हिन्दी संघ की प्रमुख भाषा बन गई है और इसलिये इसके परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना कानूनन ठीक नहीं होगा ;

(ख) क्या इस संबन्ध में विधि मन्त्रालय से राय मांगी गई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग से अपनी कार्य-प्रणाली स्वयं निर्धारित करने को कहा गया है ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त विशिष्ट पत्र व्यवहार गोपनीय है। अतः यह बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा कि उनमें क्या है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया कि वह परीक्षाओं की भावी योजना तथा अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं की परिक्षाओं के लिये अंग्रेजी के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसुची में उल्लिखित सभी भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने के सरकारी निर्णय के प्रतिक्रिया सम्बन्धी पहलुओं का ब्यौरा तैयार करे।

उर्वरक कारखानों में उत्पादन-बोनस

2482. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को उनके द्वारा पूरे किये उच्च उत्पादन लक्ष्यों के लिये उत्पादन-बोनस (अथवा प्रोत्साहन-बोनस) देने के लिये एक योजना तैयार की है और स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) क्या सरकार ने उसे मन्जूर कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि नया नंगल उर्वरक कारखाने के कर्मचारी लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने के लिये दो वर्षों से बराबर राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और सरकार ने वस्तुत: कोई सराहना नहीं की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) केवल वर्ष 1962-63 में सन्तोष-जनक कार्य करने के लिये भारतीय उर्वरक निगम नांगल यूनिट को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सराहना-प्रमाण पत्र दिया गया था। वर्ष 1962-63 और उत्तरोत्तर वर्षों में उन कर्मचारियों को ; जिनका मूल वेतन प्रति मास 500 रुपये से अधिक नहीं था ; अच्छा कार्य करने के लिये एक महीने के वेतन (मंहगाई भत्ता आदि को शामिल करते हुए) के बराबर अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गई।

उर्वरक कारखाना, नया नंगल

2483. **श्री अ० ना० विद्यालंकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया नंगल स्थित उर्वरक कारखाने के कार्मिक संघ ने मांग की है कि दिहाड़ी वाले उन श्रमिकों को (जनमें मस्टर रोल कर्मचारी भी शामिल हैं), जिहोंने उस कारखाने में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया है, स्थायी संवर्ग में लाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : टेकनिकल विस्वकर्मा यूनियन ने जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, यह मांग हाल ही में निगम के अधिकारियों को पेश की है।

(ख) मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि व्यक्तियों की इन श्रेणियों को आकस्मिक प्रकार के कार्यों पर नियुक्त किया गया है और कार्य पूरा होने पर उन्हें नौकरी से हटाना पड़ेगा।

नंगल उर्वरक कारखाने में रखे श्रमिकों के लिये अस्पताल की सुविधायें

2484. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नया नंगल उर्वरक कारखाने के अधिकारियों ने हाल ही में इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि कारखाने के दिहाड़ी पर रखे गये श्रमिकों से, यदि उनको निगम के अस्पताल में, चाहे जनरल वार्ड में ही क्यों न हो, भर्ती होना पड़े, पाँच रुपये प्रति शय्या प्रति रात्रि वसूल किये जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य वेतनभोगी श्रमिकों को अस्पताल में बिना शुल्क लिये दाखिल किया जाता है और अब तक दिहाड़ी पर रखे गये श्रमिकों को भी निःशुल्क दाखिल किया जाता था ;

(ग) सब से गरीब वर्ग के श्रमिकों पर यह प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) तक निगम द्वारा अपनाये गये चिकित्सा उपस्थान नियमावली के अनुसार उपस्थिति नामावली पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को छोड़कर सारे कर्मचारीगण कम्पनी के अस्पताल में निःशुल्क अंतरंग एवं बहिरंग चिकित्सा के हकदार है। उपस्थिति नामावली पर नियुक्त कर्मचारियों को, जो बिल्कुल अस्थायी श्रमिक हैं और थोड़े समय के लिये विशिष्ट आकस्मिक नौकरियों पर लगाये गये हैं, कम्पनी के अस्पताल में केवल बहिरंग चिकित्सा उपलब्ध होने पर दी जाती है। कम्पनी के अस्पताल में उन्हें दाखिल होने पर उनसे अंतरंग चिकित्सा के लिये निर्धारित फीस ली जाती है ; जिसमें जनरल वार्ड में प्रतिदिन 5 रुपये प्रति बिस्तर भी शामिल है।

कारखाने के निर्माण की अवधि में उपस्थिति नामावली पर नियुक्त कुछ कर्मचारियों को जो तुलना रूप में लम्बे समय के लिये काम करते रहे, कम्पनी के अस्पताल में अंतरंग इलाज़ की रियायत दी गई। कारखाने से यह रियायत अब वापिस ले ली गई है क्योंकि कारखाने का परियोजना चरण समाप्त हो गया है।

(घ) नये नांगल से लगभग एक मील पर नांगल उपनगर में एक अच्छा सज्जित सरकारी अस्पताल है ; जहां पर आम जनता को निःशुल्क औषध इलाज उपलब्ध है।

पोलैण्ड और अन्य योरोपीय देशों के साथ सांस्कृतिक करार

2485. **श्री उटिया** : **श्री बड़े** :

श्री मधु लिमये : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ किन्हीं सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या जापान, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भी ऐसे करार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित करारों का व्यौरा क्या है तथा उपरोक्त भाग (ख) में उल्लखित करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) जापान और इंडोनेशिया के साथ पहले से ही सांस्कृतिक कारार किये हुये हैं और कुछ अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से इसी प्रकार के करार करने के लिये प्रारम्भिक बातचीत चल रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये सांस्कृतिक करारों का संबंध टर्की, रुमानिया, पोलैंड, से चेकोस्लोवाकिया, रूस, यूगोस्लोबिया, नार्वे, यूनान, हंगरी, बलगेरिया और फ्रांस है। इन करारों तथा जापान और इंडोनेशिया के साथ किये गये करारों में विद्यार्थियों, विशेषज्ञों के विनिमय द्वारा छात्रवृत्तियां स्वीकृत करके, प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे, प्रदर्शनियों आदि के आयोजन द्वारा कला, संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

गोआ में पुलिस द्वारा गोलीबारी

2486. **श्री किशन पटनायक** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में या इसके आस-पास पुलिस ने गोआ में किसी आन्दोलन के संबन्ध में जनता की भीड़ पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के क्या कारण थे ; और

(ग) उन घटनाओं का क्या ब्यौरा है जिनके कारण गोली चलानी पड़ी थी ;

(घ) क्या जांच का आदेश दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो, जांच का क्या परिणाम रहा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नामरूप उर्वरक कारखाना

2487. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप उर्वरक कारखाने को चालू करने के संबन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस कारखाने का निर्माण-कार्य चल रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) नामरूप उर्वरक प्लांट, को अगस्त 1967 में चालू करने का कार्यक्रम है।

(ख) कार्यक्रम के अनुसार प्लांट को चालू करने के सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

University Acts

2488. **Shri Baswant : Shri Surendra Pal Singh: Shri Vishwa Nath Pandey: Shri Yashpal Singh: Shri Bibhuti Mishra:**

Will the **Minister of Education** be bleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Central Government have suggested to the State Government to establish a convention to consult the University Grants Commission or the Union Education Ministry before enacting any legislotion or making amendments in the existing Act in regrad to Universities; and

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. It has been suggested to state Government to consult both the University Grants Commission and the Ministry of Education in this regard.

(b) According to the replies so far received, the Government of Madras, Puujab, Kerala. Bihar, Orissa, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Assam have agreed and the Governments of Gujarat, West Bengal and Maharashtra have not agreed to the suggestion. The matter was subsequently discussed at the last Education Ministers, Conference in June 1966 which agreed to the principle of consultation between the State Government, the University Grants Commission and the Ministry of Education.

पुरातत्वीय संग्रह

2489. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या शिक्षा मंत्री पुरातत्वीय संग्रह के बारे में 27 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस के उत्तरोत्तर ह्रास को रोकने के लिये कानून बनाने के बारे में प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

विश्वविद्यालयों की डाक्टरी जांच (मेडिकल चैक अप)

2490. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 70 विश्वविद्यालयों में से लगभग 19 विश्वविद्यालयों ने अपने अपने विद्यार्थियों की समय समय पर डाक्टरी जांच नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं तथा उन द्वारा डाक्टरी जांच न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने यह देखने के लिये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सभी स्कूलों, कालेजों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की समय समय पर डाक्टरी जांच की जाये तथा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उपयुक्त डाक्टरी परामर्श देकर तथा गरीब विद्यार्थियों को दवाइयां देकर सहायता की जाये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह मामला मुख्यतः राज्य सरकारों ; प्रशासनों और विश्वविद्यालयों से संबंधित है जो स्वशासी संस्थाएँ हैं। किन्तु जहांतक विश्वविद्यालयों का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है, जिसमें विद्यार्थियों की डाक्टरी जाँच और छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के हेतु विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। 36 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयवत संस्थाओं को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

2491. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**　　　　　　**श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य में, महाराष्ट्र में चांदा जिले में और मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में बसाने के लिये बहुत सी योजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन योजनाओं पर कुल कितना खर्च होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित योजनाओं की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं :—

(1) वन भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा नये गांवों का स्थापित किया जाना ;

(2) नये गांवों में विस्थापित व्यक्तियों के आवास तथा पुनः व्यवस्थापन ;

(3) शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था ;

(4) सड़कों तथा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ;

(5) वन तथा अन्य साधनों पर आधारित क्षेत्र का विकास ; और

(6) उद्योगों का विकास, जिससे क्षेत्र की संतुलित वृद्धि हो और रोजगार सुविधायें दी जायें।

ऊपर उल्लिखित के अतिरिक्त, दण्डकारण्य क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं में जनजाति के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है।

(ग) मंजूरी की गई धन-राशि निम्न है :—

	रुपये करोड़ों में
दण्डकारण्य	32.00
चांदा	.89
बैतूल	.53

तेल शोधक कारखानों तथा रासायनिक कारखानों के डिजाइन तैयार करना।

2492. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेचटेल कारपोरेशन के सहयोग से तेल शोधक कारखानों तथा रासायनिक कारखानों के डिजाइन तैयार करने और इन कारखानों के लिये परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिये भारत में एक इंजीनियरिंग पथ स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रस्तावित मुख्यालय कहां होगा ; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । कम्पनी का नाम इंजीनियरज़ इण्डिया लिमिटेड है ।

(ख) इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है ।

(ग) लगभग 25 लाख रुपये ।

स्वचालित टेलीफोन ऐक्सचेंज, कन्नानूर

2493. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर (केरल) में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) कन्नानूर टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित बनाना स्वीकार कर लिया गया है । इस उद्देश्य से नए टेलीफोन केन्द्र को विशेष ढंग से बनवाई गई इमारत में स्थापित करना आवश्यक है । इस इमारत से सम्बंधित योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

केरल में रबड़ बागान मजदूरों की मजूरी में वृद्धि

2494. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबावा :**

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ बागान मजदूरों ने मजूरी बढ़ाये जाने की माँग की है ;

(ख) उनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि मजदूर अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करने वाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विवाद को निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार करने के लिए केरल सरकार ने इर्नाकुलम में त्रिपक्षीय सम्मेलन 26 मई, 1966 को आयोजित किया था, परन्तु बैठक किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी । रबड़ बागान सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड भी इस मामले पर विचार कर रहा है ।

(ग) जी हां । मजदूरों का एक भाग 4 जुलाई, 1966 से हड़ताल पर है ।

(घ) केरल सरकार ने 19 अगस्त, 1966 को एक और त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया है ।

मैसूर आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां

2495. **श्री कोल्ला बैंकेया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र-मैसूर विवाद सम्बन्धी आन्दोलन के सिलसिले में जून, 1966 तक विभिन्न स्थानों पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उनमें संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की क्या संख्या है ;

(ग) पुलिस ने किन किन स्थानों पर लाठी चलाई और गोली चलाई ;

(घ) किन किन स्थानों पर रेलगाड़ियां रोकी गई ; और

(ङ) कितने व्यक्ति मारे गये और सार्वजनिक सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में हरिजनों का धर्म परिवर्तन

2496. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अभावग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हरिजनों और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाया गया है ;

(ख) क्या अमरीकी धर्म प्रचारक सहायता कार्य करने की आड़ में धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की कोई सूचना नहीं मिली।

(ख) ऐसे मामले सामने आये है जिनमें कहा जाता है कि धर्म-प्रचारकों ने सहायता की राशि का दुरुपयोग किया।

(ग) कहा जाता है कि पिछले तीन वर्ष में सारे मध्य प्रदेश में लगभग 1900 व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन किया गया।

प्रोत्साहन मजूरी संबंधी नीति

2497. **श्री रामेश्वर टांटियों** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोत्साहन मजूरी सम्बन्धी नीति बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ): (क) और (ख) मजदूरों और नियोजकों के समझौते के आधार पर प्रोत्साहन मजूरी की दरें आरम्भ करनी हैं। मजदूरी संबंधित नीति, जैसी कई योजनाओं में प्रतिपादित की गई है, ऐसी प्रोत्साहन मजूरी को आरम्भ करने की सिफारिश करती है। सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी बोर्डों के विचारार्थ विषयों में भी आमतौर से यह आवश्यक समझा गया है कि उत्पादन के अनुसार मजूरी देने की प्रणाली के विस्तार वांछनीयता पर श्रमिकों के उपयुक्त सुरक्षण को ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए।

उद्योगों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

2498. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय उद्योगों के लिए कोई समान नीति अपनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस नीति का स्वरूप क्या है और कितनी वृद्धि की जाने की सिफारिश की गई है ; और

(ग) कीमतों में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पाठयपुस्तकों के प्रकाशन के लिये केन्द्रीय संगठन

2499. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और उनके प्रकाशन के लिये एक केन्द्रीय संगठन बनाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों में, जिन्होंने यह कार्य आरम्भ किया है, इसमें बहुत गड़बड़ पैदा कर रखी है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार की प्रस्तावित योजना की पृष्ठभूमि में यह भी एक कारण है ; और इसके अन्य क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की संरक्षता में, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों की अच्छी किस्म और मानक की माडल पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं ।

इन पुस्तकों को यथावत या यत्किंचित परिवर्तनों के साथ अंगीकार करने के लिए सभी राज्यों से प्रार्थना की गयी है । यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों का व्यापक मूल्यांकन तो नहीं किया है, किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सुधार की जरूरत है ।

केन्द्रीय स्कूल

2500. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने केन्द्रीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना-अवधि में कितने केन्द्रीय स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्द्रम रामचन्द्रन]: (क) लगभग 15(12 संस्थापित हो चुके हैं)

(ख) केन्द्रीय स्कूल योजना एक आयोजना रहित स्कीम है । योजना का मौजूदा रूप लगभग 100 स्कूलों के संस्थापन तक सीमित है, जिसके इस वर्ष के दौरान पूरा होने की आशा है । योजना के अगले स्वरूप के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है

Insured Covers Found Missing in Delhi G. P. O.

2501 **Shri Bade : Shri Kashi Ram Gupta: Shri Hukam Chand Kachhayaiya : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three insured covers were found missing from a mail bag received from Bombay in the General Post-Office at Irwin Road, New Delhi according to a press report dated the 26th June, 1966; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & the Department of Communications. (Shri Jaganath Rao): (a) Yes Sir.

(b) The matter has been reported to the police. The police as well as departmental investigations are in progress.

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

2502. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि उपयोग मानचित्र उपयुक्त व्यवस्था करके बनाया गया था और यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास सही और शीघ्र भूमि उपयोग मानचित्र (1:1 मील) तैयार करने की व्यवस्था है क्योंकि टोपोशीट और विमान द्वारा फोटो लेने और नियमित रूप से सर्वेक्षण करने की सुविधायें उनके पास हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन का कार्यालय कलकत्ता में रखने का क्या औचित्य है जबकि इसका देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग से निकट का सम्बन्ध है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन]: (क) जी हां, विश्व भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल कमीशन के सुझावों पर आधारित अस्थाई भूमि उपयोग वर्गीकरण योजना को कतिपय परिवर्तनों के साथ आधार बनाया गया है।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण भूमि उपयोग नक्शा नहीं तैयार कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन में राजपत्रित अधिकारी

2503. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन में बंगाली और गैर-बंगाली राजपत्रित अधिकारियों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठत के निदेशक और उप निदेशक दोनों बंगाल के हैं ; और

(ग) निदेशक के अवैतनिक रूप से कार्य करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन]: (क) पश्चिम बंगाल से चार और देश के अन्य भागों से छः।

(ख) जी हां।

(ग) उनकी सेवाएं पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा भू-मानचित्र

2504. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन ने पश्चिम बंगाल का भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया है और यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगल सरकार ने राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था

के कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये पश्चिम बंगाल के भूमि उपयोग मानचित्र के लिये कोई धन दिया है ;

(ख) क्या मानचित्र में कहीं पर राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था और शिक्षा मंत्रालय के नामों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) क्या फसलों की उत्पादन दर के गुणांक पर आधारित कृषिदक्षता मानचित्र (1:12 एम) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों तथा योजना आयोग के लिये उपयोगी होगा ;

(घ) क्या पर्याप्त उपलब्ध मानचित्र योग्य आंकड़ों पर विचार करने के बाद ही भूमि उपयोग किस्म के 1:50,000 क्षेत्रों के मानचित्र सम्बन्धी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब इसके प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन]:

(क) और (ख) एन० ए० ओ० ने ऐसा कोइ नक्शा नहीं तैयार किया।

(ग) यह नक्शा खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकारिता मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के कृषि-विभागों के लिए उपयोगी हो सकता है। योजना-निर्माण के लिए यह नक्शा उपयोगी नहीं होगा।

(घ) और (ङ) फिलहाल भूमि-उपयोग टाइप एरिया 1:50,000 के नक्शा प्रोग्राम के सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया जाना

2505. **श्री चांडक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने पर कुल कितना धन व्यय कर चुकी है और उसमें उसे कितने जन-दिवस लगे ;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा तैयार किये गये बिहार और उत्तर प्रदेश के भूमानचित्र के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं ; और

(ग) क्या 1957 में प्रकाशित भारत का भूमानचित्र (हिन्दी संस्करण) वैसा ही होगा जैसा कि अंग्रेजी संस्करण में है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन]: (क) राष्ट्रीय एटलस संगठन भूमि उपयोग नक्शे निर्माण का जो कार्य कर रहा है, वह संगठन के कार्यक्रम का एक अंश है। अतः विशिष्ट नक्शों पर होने वाले खर्च या मनुष्य दिन के हिसाब का लेखा-जोखा तैयार नहीं किया जाता।

(ख) नक्शों की तैयारी अभी जारी है।

(ग) जी नहीं, राष्ट्रीय एटलस के अंग्रेजी संस्करण में जो भारत का मृदा-मानचित्र प्रकाशित होगा, उसमें इस संबंध की अघतन जानकारी दी जाएगी।

राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन

2506. **श्री चांडक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावाली संस्था के संकलन कार्यक्रम की प्रत्येक मद के प्रकाशन का पूर्ण औचित्य है तथा उसकी राष्ट्रीय उपयोगिता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावाली संस्था और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एक ही कार्यक्रमों को अलग-अलग कर रहे हैं और यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त दोनों संस्थाओं के कार्यक्रमों के बारे में तुलनात्मक व्याख्या की आवश्यकता है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था 1956 के उत्तरार्द्ध में स्थापित की गई थी और भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली (हिन्दी संस्करण) अक्तूबर, 1957 में प्रकाशित की गई थी; और

(घ) क्या अंग्रेजी संस्करण अभी प्रकाशित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री [डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन] :(क) ऐटलसों के संकल्प-प्रकाशन के जो कार्यक्रम यह संगठन आरम्भ करता है उन पर पहले उस काम की उपयोगिता के बारे में पूरा-पूरा विचार-विमर्श किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) अंग्रेजी संस्करण में जिन नक्शों को शामिल किया जायगा वे अभी प्रकाशन के लिए तैयार नहीं हैं।

युद्ध विराम की शर्तों को वापस लेना

2507. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि मनीपुर के लोगों ने मनीपुर के तीन सब-डिवीजनों (माओ, तामेंगलोग तथा उखरूल) से युद्ध-विराम की शर्त हटा लिये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकर की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के न्यायाधीशों द्वारा त्यागपत्र

2508. **श्री वासप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में दो न्यायाधीशों द्वारा हाल में त्यागपत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : अभी हाल में बम्बई उच्च न्यायालय से केवल एक ही न्यायाधीश ने त्याग पत्र दिया था किन्तु उसने अपने त्यागपत्र में ऐसा करने के कोई कारण नहीं दिये।

बैंबीसोल कोयला खान में मजदूर शिविर

2509. **श्री वारियर :** क्या श्रम, **रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंबीसोल कोयला खान के प्रबन्धकों ने एक अवैध मजदूर शिविर स्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनधिकृत खनिक होस्टल

2510. **श्री वारियर :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में कितने ऐसे अनिधकृत खनिक होस्टल चल रहे हैं, जिन्हें केन्द्रीय खनिक होस्टल समिति की अनुमति प्राप्त नहीं है;

(ख) किन-किन कोयला खानों में ये होस्टल चल रहे हैं तथा वे खानें किन स्थानों पर हैं; और

(ग) उन्हें समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नावज खां (क) तेरह ।

(ख) I. **रानीगंज कोयला क्षेत्र**

(1) सामला मन्दरबोनी कोलियरी, डाकखाना पाण्डवेश्वर ।

(2) मधुजोरा कोलियरी, डाकखाना कजोराग्राम ।

(3) ईस्ट चोरा कोलियरी, डाकखाना बहुला ।

(4) घुसिक कोलियरी, डाकखान काली प्रहाड़ी ।

(5) पोरसकोल कोलियरी, डकखाना कजोराग्राम ।

II. **झरिया कोयला क्षेत्र :**

(1) खरखरी कोलियरी' डाखाना खरखरी ।

(2) इना कोलियरी, डाकखाना घनसार ।

(3) भटडीह कोलियरी, डाकखाना धनसार ।

(4) मुरलीडीह कोलियरी, डाकखाना महुदां ।

(5) खास धर्मबन्द कोलियरी, डाकखाना मलकेरा ।

(6) लोयाबाद (नार्थ) कोलियरी, डाकखाना सिजुआ ।

III. **कर्णपुर कोयला-क्षेत्र.**

खास कर्णपुर कोलियरी, डाकखाना पतरातू (हजारीबग)

IV, **पेंच घाटी कोयला-क्षेत्र**

न्यूटन चिकली कोलियरी, डाकखान परासिया, जिला छिन्दवाड़ा ।

(ग) अनाधिकृत होस्टलों को निरुत्साहित करने के लिए, ऐसे होस्टलों को स्थापित करने वाली कोयला खानों को गोरखपुर श्रम डिपु द्वारा मजदूरों का सम्भरण नहीं किया जाता है। ऐसे होस्टलों में रहने वालों को, गोरखपुर श्रम डिपु द्वारा दी जाने वाली रिकार्ड औफिस की सुविधायों नहीं दी जातीं ।

बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों को गैर-सरकारी सेवा में रखा जाना

2511. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवा में बर्खास्त किये गये या निकाले गये पदाधिकारियों को बाद में गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी में लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 26 जनवरी, 1951 से लेकर अब तक उन कर्मचारियों की संख्या और नाम तथा वह वेतन, जो वे बर्खास्त होने अथवा निकाले जाने के समय पा रहे थे, और जिस वेतन पर उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवा अरम्भ की, क्या है, और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस बुराई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) हो सकता है कि सरकारी सेवा से निकाले गए या बर्खास्त किये गए कुछ कर्मचारी गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी पर लग गए हों।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) कोई पुर्ण निषेध लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका अर्थ एक नागरिक पर कोई भी पेशा, व्यवसाय अथवा व्यापार अपनाने के मूल अधिकार का उपभोग करते हुए वैध नियुक्ति प्राप्त करने पर बंदिश लगाना होगा ।

Alleged Undue Promotion of a Student in Andamans.

2512. **Dr. Ram Manohar Lohia:** **Shri Madhu Limaye:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a student was promoted and marks obtained by him were increased even though he had failed in the examination in H. S. M. P. School in Andaman because his father was a high Government official there;

(b) whether any enquiry has been instituted by the Chief Commissioner of Andamans in regard thereto; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Andamans and Nicobar Administration have reported that some students (including the son of a high Government official under the Administration) of class X of the Government Higher Secondary Multipurpose Schools, Port Blair were promoted to class XI in 1966 by giving them some grace marks.

(b) & (c) The matter was enquired into by the Education officer; a final report from the Chief Commissioner has not yet been received.

भूतपूर्व सैनिक के वेतन का निर्धारण

2513. **श्री जेधे :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है 16 अगस्त, 1947 से पहले अस्थायी आधार पर जिन भूतपूर्व सैनिकों को अनुसचिवीय सेवाओं में नियुक्त किया गया था, उनको उनकी नियुक्ति के समय

विद्यमान वेतन-मानों में युद्ध सेवा के पूर्ण वर्षों के लिये प्रारम्भिक वेतन निर्धारित करते समय अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब वेतन-वृद्धियां दी गई थी तो सेना से निकलते समय के उनके वेतन-मान और वेतन को ध्यान में नहीं रखा गया था ;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों को ये अग्रिम युद्ध सेवा की वेतन वृद्धियां इसलिये दी गई थी ताकि उनको असैनिक विभागों में तत्समान कर्मचारियों के बराबर लाया जा सकें ;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (वेतन का संशोधन) नियमों, 1947 के अन्तर्गत 16 अगस्त, 1947 से पहले असैनिक पदों पर नियुक्त हुए युद्ध सेवा वाले लोगों और अन्य लोगों के वेतन, उनके मूल वेतन में कोई परिवर्तन किये बिना ही संशोधित वेतन-मानों में अगले ऊँचे स्तर पर 16 अगस्त, 1947 को उनके वेतन में समंजन करके 19 अगस्त, 1947 को निर्धारित किये गये थे ; और

(ड) क्या संशोधित वेतन-मानों में युद्ध सेवा वाले लोगों के वेतन का इस प्रकार समंजन करने में कोई भेदभाव किया गया था और यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां, उन लोगों को छोड़ कर जो एकीकृत वेतन क्रमों वाले पदों पर नियुक्त थे । क्योंकि उनके बारे में एकीकरण से पूर्व के वेतनक्रमों का लाभ दिया गया था ।

(ख) 3.9.1939 और 1.4.1946 के बीच सैनिक सेवा के लिये वेतन वृद्धियां देते समय वेतन-मान तथा वेतन का ध्यान नहीं रखा गया था । वेतन का सम्बन्ध केवल इतने तक ही था कि 1.4.1946 के बाद की सैनिक सेवा में से केवल उस ही सेवा को वेतनवृद्धियों के लिये गिना गया था जिसमें असैनिक पद के निम्नतम वेतन-क्रम के समान या उससे अधिक वेतन लिया हो ।

(ग) जी नहीं । अग्रिम वेतन वृद्धियां केवल युद्ध सेवा का लाभ देने की दृष्टि से दी गई थी ।

(घ) ऐसे युद्ध-सेवा वाले उम्मीदवारों तथा अन्य लोगों का वेतन भी, जो असैनिक पदों पर 1.1.1947 के बाद किन्तु 16.8.1947 से पहले नियुक्त हो गये थे, उनकी इच्छानुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन-संशोधन) नियम 1947 के नियम 8 (I) के अधीन नियुक्ति की तिथि अथवा 16.8.1947 से निर्धारित किया गया था ।

(ड) जी नहीं ।

राजस्थान के वित्त उपमंत्री के विरुद्ध आरोप

2514. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
श्री म० ना स्वामी : **श्री दी चं० शर्मा** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राजस्थान के सीकर जिले के अनेक प्रमुख नागरिकों की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें राजस्थान के वित्त उपमन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा करवाये जाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इसे उपयुक्त कार्यवाही के लिये राजस्थान के मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया गया था ।

2515. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में पुलिस ने दिल्ली में कुछ प्रेस रिपोर्टरों को मारा-पीटा था, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

2516. **श्री हेमराज** :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्व नाथ पान्डेय :
श्री बृजबासी लाल :
श्री पन्नालाल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून अथवा जुलाई, 1966 में क्षेत्रीय परिषदों की कोई बैठकें हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों की और उनमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया ; और

(ग) क्या उनके निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 16 जुलाई 1966 को रांची में हुई थी । उन विषयों की सूची संलग्न है जिन पर उस बैठक में विचार किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०-6804/66]

(ग) इस बैठक की कार्यवाही जिसमें लिये गये निर्णय होंगे अंतिम रूप में तैयार होते ही संसद के पुस्तकालय में रख दी जायगी ।

अकाली दल

2517. **श्री हेमराज** :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्टर तारा सिंह का अकाली दल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भारत से पृथक् होने का प्रचार करता है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस दल पर प्रतिबन्ध लगाने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) मास्टर तारासिंह और अकालीदल में उनके गुट की सिखों के आत्म निर्णय और भारत से पृथक् होने के अधिकार की बातों पर सरकार का ध्यान गया है ।

(ख) और (ग) जब भी सरकार यह समझेगी कि कार्यवाही करने की जरूरत है तब उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों का संशोधित पाठ्यक्रम

2518. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम हाल में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या विशेष परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) इनके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) परिषद् प्रतिवर्ष पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करती है ताकि उनमें आज तक की सभी बातें लायी जा सकें । इस वर्ष विशेषत: बहुधंधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्य-विषयों की योजना में परिवर्तन किए जाने के कारण पाठ्यचर्यों में परिवर्तन किए गए हैं । इन परिवर्तनों का उल्लेख परिषद् के पत्र संख्या 20239 -250 तारीख 6-7-66 में किया गया है । जोकि परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक बहुधंधी विद्यालयों को भेजा गया था । पत्र की प्रति संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०**-6805/66]

मनीपुर में विद्रोही नगाओं की कार्यवाहियां

2519. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1966 के आरम्भ में राइफलों और हल्की मशीनगनों से लैस विद्रोह नागाओं का एक दल मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में आ डटा था ;

(ख) क्या उन्होंने खमसों गांव पर 1500 रुपये जुर्माना किया था और इस जुर्माने को वसूल करने के लिये उन्होंने पुरुषों को अपने कब्जे में रखा ; और

(ग) उनके उपद्रवों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) :(क) 2.7.1966 को सात सशस्त्र नागा उखरूल सब-डिवीजन के खमसों गांव में घुस आये ।

(ख) जी हां ।

(ग) सुरक्षा के लिये यथा सम्भव जरूरी उपाय किये गए हैं ।

शेख अबदुल्ला की गिरफ्तारी

2520. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री दशरथ देव :**

श्री म० ना० स्वामी : **श्री बृजराज सिंह :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्शी गुलाम मुहम्मद ने उनको एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत शेख अब्दुल्ला को पांचवी दशाब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें लिखी हुई हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) :(क) और (ख) बख्शी गुलाम मुहम्मद ने मुझे 7 जुलाई 1966 को एक पत्र लिखा था जिसकी शेख अब्दुल्ला की पुरानी नजरबन्दी के बारे में मुख्य बातें ये थीं कि वे यह विश्वास करना चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह उस निर्णय तथा उसके कार्यन्वयन से सम्बन्धित ब्यौरे को जानता था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह किसी को भी मुकद्दमा चलाये बिना नजरबन्द किये रखना नहीं चाहते थे और यह कि उनके जम्मू तथा काश्मीर का प्रधान मन्त्री रहते हुए 1958 में शेख अब्दुल्ला को नजरबन्दी से रिहा कर दिया गया था और उनके दोबारा गिरफ्तार किये जाने के बाद कुछ महीनों के अन्दर ही उन पर विभिन्न आरोपों के लिये मुकद्दमा शुरू हो गया था।

बम्बई में कृत्रिम वर्षा

2521. **श्री लखन भवानी :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के वर्षा तथा मेघ विज्ञान अनुसन्धान एकक ने इस वर्ष जुलाई में बम्बई में कृत्रिम वर्षा करने की कोशिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) इस वर्ष जुलाई में बम्बई में कृत्रिम वर्षा के लिए कोई परीक्षण नहीं किए गए थे। इसकी सम्भावना पर महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार विमर्श हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुकानदार

2522. **श्री रामसेवक यादव :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री दिल्ली में दुकानों पर मारे गये छापों के सम्बंध में 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न सँख्या 2717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन छापों में दोषी पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : जैसा कि 10 नवम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 में सूचित किया गया है कि दिल्ली के बिक्री कर विभाग के अफसरों ने 27 अगस्त 1965 को सदर बाजार के चार दुकानदारों के बही खातों पर अधिकार कर लिया। चार व्यापारियों में से दो के बही खातों तथा दस्तावेजों की जांच पूरी हो गयी है। एक मामले में, दीखाई गयी राशि में 12000 रु० बढ़ा कर 1964-65 तक के बिक्री कर का निर्धारण पूरा कर लिया गया है। दूसरे मामले में 1963-64 के लिये कर का दोबारा अनुमान लगाया गया और बताई गयी राशि में 8000 रु० बढ़ा दिये गये। इसके अलावा 20 रु० जुर्माना भी लिया गया। अन्य दो मामलों में कार्यवाही अभी जारी है।

राम किशन के मंत्रिमंडल द्वारा दिये गये आदेश

2523. **श्री अ० क० गोपालन : श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के राज्यपाल ने राम किशन के मंत्रिमंडल द्वारा दिये गये कुछ आदेशों को रद्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो वे आदेश क्या थे ; और

(ग) क्या राज्यपाल राम किशन मंत्रिमंडल के कुछ और आदेशों का पुनर्विलोकन कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) पंजाब के राज्यपाल ने रामकिशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का कोई सामान्य पुनर्विलोकन शुरू नहीं किया है। हां, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल के कुछ आदेश उनके पास पुनर्विचार के लिये भेजे गए। उन मामलों पर उन्होंने विचार किया है।

(ख) और (ग) नीचे एक विवरण रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-6806/66]

अमृतसर में न्यायिक दण्डधिकारी

2524. **श्री काजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर के न्यायिक दण्डधिकारियों ने पुलिस के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए राज्यपाल का संरक्षण मांगा है कि उन्हें अपने निर्णयों में पुलिस की आलोचना करने के कारण प्रायः धमकियां दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित दण्डाधिकारियों की सुरक्षा के लिये रक्षकों की व्यवस्था की गई है।

महानिरीक्षक पुलिस से इस मामले की जांच करके सरकार को प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा गया है ।

बीसा के बिना अमरीकी लोगों का प्रवेश

2525. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से अमरीकी लोग वीसे अथवा पारपत्र के बिना ही हाल में भारत में प्रवेश कर रहे हैं ; तथा कलकत्ता में ऐसे कई मामले पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे लोगों का इस तरह आना बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कर्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, सीधे जाने वाले विदेशियों को दर्शनीय स्थान देखने आदि के लिये रुकने के अस्थायी अनुमति पत्रों पर अपनी यात्रा भंग करने की सुविधाएं दी जाती है । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उचित विसा के बिना भारत में प्रवेश करने वाले अमरीकनों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ।

(ख) जलयानों तथा वायुयानों की कम्पनियों को आदेश दिये गए हैं कि वे इस बात का सुनिश्चय कर लें कि उनके द्वारा लाये जाने वाले विदेशियों के पास वैध यात्रा-पत्र हैं ।

पुस्तकालय सेवा

2526. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि देश में कारगर पुस्तकालय सेवा के विकास के लिये पुस्तकालय उपकर लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो दिये गये इन सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या शिक्षा आयोग ने देश में पुस्तकालयों के लिये कोई ठोस सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) पुस्तकालयों के लिए, सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को पुस्तकालय संबंधी एक व्यापक विधान बनाना चाहिए । तदनुसार एक माडल सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक तैयार किया गया था । इस विधेयक के अन्तर्गत, राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए पुस्तकालय उपकर लगाने की व्यवस्था है । माडल पुस्तकालय विधेयक पर राज्य सरकारों की राय और टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं । राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता लगता है कि आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल के मालाबार क्षेत्र में पुस्तकालय उपकर पहले से ही लिया जा रहा है । पश्चिम बंगाल, मैसूर, महाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान और दिल्ली प्रशासन इस उपकार को लगाने के लिए सिद्धान्तरूप में सहमत हैं । किन्तु अन्य राज्य सरकारें फिलहाल इस उपकर को लगाने के पक्ष में नहीं हैं । अधिकांश राज्य सरकारें इस समय प्रस्तावित पुस्तकालय विधान लागू करने के पक्ष में नहीं हैं ।

(ग) केन्द्र, राज्य, जिला, खण्ड और पंचायत स्तर पर समस्त देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाने से संबंधित, पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति तथा आयोजना आयोग कार्य कारी दल की सिफारिशों से शिक्षा आयोग आमतौर पर सहमत है ।

Fertilizer Factory, Delhi

2527. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fertilizer factory would be set up in Delhi during the Fourth Plan period;

(b) if so, the estimated cost thereof; and

(c) the proposed production thereof?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan): (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

Education Commission Report in Hindi

2528. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the report of the Education Commission is proposed to be published in Hindi also;

(b) if so, when it would be published; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) In about six months time.

(c) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि के उपक्षेत्रीय कार्यालय

2529. **श्री सेझियान : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत कोयम्बटूर और मदुरै में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कर्मचारियों से कोई ज्ञापन मिले हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के काम करने के घंटे

2530. **श्री सेझियान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये सामान्य काम के घंटे नियत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को समयोपरि काम करने के लिये दिये जाने वाले भत्ते की दर क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) रेल डाक-व्यवस्था के कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरें दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए। संख्या एलटी-6807/66]

रेलवे डाक सेवा के नये खण्ड

2531. **श्री सेझियान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित रेलगाड़ियों में रेलवे डाक सेवा के नये खण्ड खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(एक) कोचिन एक्सप्रेस में मद्रास और कोयम्बटूर के बीच;

(दो) वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में ईरोड और मद्रास के बीच;

(तीन) त्रिवेन्द्रम फास्ट पैसेंजर में मयूरम और मद्रास के बीच; और

(चार) तिरुपति एक्सप्रेस में काटपाड़ी और तिरुपति के बीच, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क)

(1) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) चूंकि मद्रास और शोरानूर के मध्य इस रेलगाड़ी में एक डाक चालान अनुभाग पहले से ही मौजूद है अतः इस अनुभाग के खोलने का औचित्य नहीं है।

(3) इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह डाक के लिए लाभकारी नहीं था।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी इसकी जाँच की जाएगी।

(ख) आशा है उक्त (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये साप्ताहिक विश्राम

2532. **श्री सेझियान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सप्ताह में छः दिन कार्य करने के बाद एक दिन के विश्राम का सिद्धान्त रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सप्ताह में सभी दिन कार्य करने वाले रेलवे डाक सेवा के सेक्शनों में कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का कोई अन्य मार्ग निकाला गया है ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) यह सिद्धान्त उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो कि रनिंग अनुभागों में है और जो सप्ताह के सभी दिनों में काम नहीं करते, रेल डाक-व्यवस्था के सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है।

रनिंग अनुभाग के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को कार्य समय के कम घंटों में काम करना पड़ता है और नियमित काम करने के दौरान ही इन्हें काफी आराम मिल जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hindi Telegrams

2533. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the Posts and Telegraphs Department during the last six months to the effect that the Departmental employees at various Post Offices showed either reluctance in accepting the telegrams in Hindi or discouraged the persons desirous of sending telegrams in Hindi in the Post Offices in the country where facilities for sending telegrams in Hindi have been made available ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & the Department of Communications (Shri Jaganath Rao): (a) No separate statistics are maintained to record complaints against Hindi telegraph service but in general such complaints so far have been very few.

(b) Suitable administrative instructions have been issued, not only to encourage booking of Devanagari telegrams but also to enforce incognito checks to detect any infringement of these instructions.

Conference of Scientists and Administrators

2534. **Shri Dighe:** **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Conference of leading scientists and administrators of India and America was held in June, 1966 wherein it was considered to improve and extend the programme of Science Seminars in India during summer; and

(b) if so, Government's reaction in this regard?

The Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes Sir. The object of the Conference was to improve science and technology educationi n schools and colleges.

(b) The working plan formulated at the Conference is under consideration.

Attack by Armed Pakistanis

2535. **Shri Brij Basi Lal:** **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some armed Pakistanis attacked a village under Rajganj Police Station in District Jalpaiguri on the 13th July, 1966 and killed and injured several persons and took away certain cattle; and

(b) if so, Government's reaction in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir. On the night of 12/13th July, 1966 at about 0100 hours, about 20 Pak

criminals trespassed into Indian territory and committed dacoity in the house of one Deep Mohammad in village Balabari under Police Station Rajganj, District Jalpaiguri. The criminals killed Deep Mohammad, injured two others and decamped with three heads of cattle.

(b) Investigation is proceeding and patrolling and vigilance has been intensified. Protest was immediately lodged with the Pakistan Government. No reply has been received yet.

तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिये कार्यक्रम

2536. **श्री श्रीनारायण दा : श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की स्थापना भी शामिल है, एक कार्यक्रम बनाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और इस परिषद के कृत्य और कार्य-क्षेत्र क्या होगा, और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान जिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है, वे अधिकतर गुण-प्रधान हैं। कुछ विशिष्ठ कार्यक्रम हैं : उद्योग और तकनीकी संस्थाओं में सहयोग को बढ़ावा, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, तकनीकी शिक्षा के सभी पहलुओं की जाँच के लिए एक अनुसंधान एजेन्सी स्थापित करना; औद्योगिक डिजाइनों और तकनीकी संस्थाओं की प्रयोग शालाओं के काम आने वाले उपस्करों के निर्माण के लिए केन्द्रों की स्थापना / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपनी 22 जुलाई 1966 की बैठक में इन समस्याओं की जाँच करने और गुण-वृद्धि (Quality improvement) के लिए क्या कदम उठाए जाएँ, इस पर सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है ।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद के स्थापित करने का प्रयोजन कालेजों, विश्वविद्यालयों, इजिनियरी तथा टेक्नोलोजी संस्थानों के लिए पाठ्यपुस्तकें तथा मानक पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के सभी प्रयत्नों को बढ़ावा देना और इन प्रयत्नों का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना है । परिषद के संगठनात्मक पहलुओं के विवरण, जिनमें परिषद के कार्यक्षेत्र की सीमा और उसके कार्यों का निर्धारण शामिल है अभी तैयार करने बाकी हैं ।

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के लिये नागरिकता

2537. **श्री वीरेंन दत्त : श्री दशरथ देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों, को फोटो सामान और आवेदन-प्रपत्र न मिलने के कारण नागरिकता नहीं मिल रही है;

(ख) क्या इससे वे लोग मतदाता सूची में अपना नाम लिखाने से वंचित रह जायेंगे,

(ग) कितने विस्थापित व्यक्ति अपना नाम नागरिकों के रूप में रजिस्टर कराने का प्रयत्न कर रहे हैं,

(घ) विस्थापित व्यक्तियों का नागरिकों के रूप में शीघ्र पंजीकरण करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। जैसा जुलाई 27,1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 411 के उत्तर में कहा गया था, त्रिपुरा में 30 जून 1966 तक 1,22,137 विस्थापित व्यक्ति भारतीय नागरिक पजीकृत किये गए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 30 जून 1966 को त्रिपुरा के पंजीकरण प्राधिकारियों के पास भारतीय नागरिकता के लिये केवल 2,280 आवेदन शेष थे। इनमें से 1,149 मामले प्रक्रिया की विभिन्न स्थितियों में थे और शेष 1,131 आवेदन अपूर्ण थे।

त्रिपुरा में न्यायाधीशों की कमी

2538. **श्री दशरथ देव : श्री बीरेन दत्त :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा संघ राज्य-क्षेत्र के सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक न्यायालय में दो वर्ष से अधिक समय से न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है और बड़ी संख्या में मुकदमे अनिर्णित पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक न्यायाधीश का नियुक्ति करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अगस्त 1965 में त्रिपुरा के जिला तथा सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्ति व्यक्ति के अपने मूल अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य वापस लौट जाने पर उनके पद का भार अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश ने उस समय तक के लिये इस पद का कार्यभार भी अपने पद के साथ ही साथ सम्हाल लिया जिस समय तक कोई नियमित जिला न्यायाधीश प्राप्त हो सके। जिला तथा सत्र न्यायाधीश के पद पर 4 अगस्त 1966 को नियुक्ति कर ली गई है और अब एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के लिये खोज की जा रही है। जुलाई 1966 के अंत में जिला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों में शेष अनिर्णिति मामलों की कुल संख्य 1013 थी।

आसाम में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय

2539. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लमडिंग के निकट पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्र में नागाओं के छापों को रोकने के लिये आसाम में नये पद बनाए हैं ;

(ख) यदि हां; तो नई एहतियाती कार्यवाही का बयौरा क्या है; और

(ग) स्थित तथा नागाओं के उपद्रव के बारे में सरकार की क्या जानकारी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) नागा विद्रोहियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । प्राप्त गुप्त सूचनाओं तथा अभी हाल की विध्वंसक कार्यवाहियों को देखते हुए, सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ किया है । एक गुप्तवार्ता कक्ष की स्थापना तथा यात्रीजनों के सारे सामान की पड़ताल अभी हाल में उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं ।

पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मुठभेड़

2540. **श्री राम सेवक यादव : श्री मधु लिमये :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1966 को आसाम में कछार में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों और भारतीयों के बीच मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) क्या इसमें कोई भारतीय मारे गये थे और यदि हां, तो कितने ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) 15 जुलाई, 1966 को पिछली रात डेढ बजे कछार जिले के गुमराबाजार में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी बताया जाता है कि डाकुओं के दल में 40-50 स्थानीय और 10-12 पाकिस्तानी अपराधी शामिल थे । उन्होंने गोली चलाई जिससे दो व्यक्ति मरे और पांच आहत हुए । भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 396, 397 के अधीन तीन मामले शुरू किये गए हैं । अब तक 27 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ।

बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

2541. **श्री राम सेवक यादव : श्री मधु लिमये :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में तथा अन्य राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो बिहार में इन संस्थाओं को प्रति वर्ष कुल कितनी राशि दी जाती है;

(ग) क्या सरकार को बिहार के मुंघेर जिले में बेगूसराय स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक द्वारा धन का दुरुपयोग तथा गबन किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(घ) क्या सरकार ने इन रारोपों के बारे में जाँच करने के लिये राज्य सरकार को आदेश दिया है तथा यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर 'नहीं, है, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) बिहार सहित केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को, जो कि ऐसी संस्थाओं के प्रशासन के दैनिक संचालन की जिम्मेदार होती हैं उन संस्थाओं को लागत का 60 प्रतिशत भाग सहायक अनुदानों के रूप में देती है ।

(ख) गत दो वर्षों में दस्तकारी प्रशिक्षण योजनाओं (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य कार्यक्रमों) के लिये केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को निम्नलिखित सहायता अनुदान दिये हैं,

1964-65	60.596 लाख रुपये
1965-66	81.900 लाख रुपये

(ग) बेगूसराय स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक के विरुद्ध एक हस्त पत्रक प्राप्त हुआ है, जिसमें उन पर कुछ आरोप लगाये गये हैं।

(घ) और (ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित धन के दुरुपयोग अथवा गबन की शिकायतों के मामलों की जाँच करना प्रशासनिक प्राधिकार अर्थात बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के दैनिक प्रशासन के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच का आदेश देना केन्द्रीय सरकार का काम नहीं है। यह पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है ।

डी० डी० टी० फ़ैक्टरी, दिल्ली

2542. **श्री मनोहरन** : **श्री राजाराम** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी में, जिसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लिमिटेड के हाथ में है, उत्पादन दुगुना करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब ;

(ख) यह कारखाना क्या क्या कच्चा माल स्थानीय तौर पर प्राप्त करता है और यह माल किन-किन से खरीदा जाता है ;

(ग) इस समय कुल कितने मूल्य का माल खरीदा जाता है और इस कारखाने की क्षमता बढ़ाये जाने के पश्चात कुल कितने मूल्य का माल खरीदे जाने की आशा है ; और

(घ) इस उपक्रम द्वारा स्वयं यह माल बनाया जाये, इस बात के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हाँ। लगभग दो वर्षों के अन्दर विस्तार कार्य के पूरा होने की आशा है ।

(ख) क्लोरिइन औ ओलियम डी० सी० एम० केमीकल्स वर्कस से प्राप्त होता है।

(ग) 15.97 लाख रुपये जिसके लगभग 36 लाख रुपये तक बढ़ जाने की आशा है।

(घ) क्लोरिइन और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण विशेष प्रक्रिया की जानकारी से होता

है और कम्पनी को अपनी मामूली आवश्यकताओं के लिये इन रसायनों को तैयार करना ठीक नहीं होता। क्लोरिन और सलफ्यूरिक अम्ल के लिये संयन्त्र का आकार भी बहुत खर्चीला होता।

हिन्दुस्तान इंनसैक्टिसाइड्स लिमटेड को क्लोरिन की सप्लाई

2543. **श्री मनोहरन :** **श्री राजाराम :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लिमिटेड पाइप-लाइन के जरिये डी० सी० एम कैमिकल्स से क्लोरीन प्राप्त करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो पाइपलाइन द्वारा क्लोरीन के बहाव को मापने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या माप यंत्र सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस तिथि से ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक 19 अगस्त, 1964 से पाइपलाइन द्वारा क्लोरिन की सप्लायी के लिए डी० सी एम० केमीकल्स को भुगतान की जाती है ; पाइप लाइन नाप और तौल निरीक्षण द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणीकृत मीटर पर आधारित है। इस तारीख से पहले भुगतान महा-तुला (Weigh Bridge) पर नाप के आधार पर की जाती है।

हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स के अधिकारियों के लिये मकान किराया

2544. **श्री मनोहरन :** **श्री राजाराम :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारी नियमों में दी हुई दरों से अधिक दरों पर मंहगाई भत्ता ले रहे हैं ;

(ख) इसकी अनुमति देने के क्या विशेष कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके लिये सरकार अथवा किसी अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी में पहले स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में सुगन्धित द्रव्य उद्योग-समूह (एरोमेटिक्स काम्प्लैक्स)

2545. **श्री पन्ना लाल :** **श्री बृजवासी लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में सरकारी क्षेत्र में भारत का प्रथम सुगन्धित द्रव्य उद्योग-समूह स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और कहां ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात में कोयाली पर चौथी योजना के दौरान में उद्योग समूह स्थापित किया जाएगा ।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें अधिकाधिक भारतीय इंजीनियरिंग और उपकरण होंगे, के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । यह परियोजना की कुल लागत की स्पष्ट रूप रेखा प्रस्तुत करेगा ।

Language of Nagar Haveli

2546. **Shri Baswant :** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the question of language of centrally administered territory of Nagar Haveli; and

(b) the language in which the electoral rolls have been printed for the Marathi and Gujarati-speaking people?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The mater is under examination.

(b) The electoral rolls for the Dadar and Nagar Haveli parliamentary constituency are being prepared both in Gujarati and Marathi.

Infiltration by Mizos

2547. **Shri Bade:** **Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the armed Mizo Rebels are infiltrating in batches of 100 each in South-Eastern and Western areas of Thpipom in the Southern part of Aijal Lungleh;

(b) whether it is also a fact that a large number of security personnel have been injured in that area;

(c) the loss of life and property sustained as a result thereof; and

(d) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) There is no such information.

(b) No, Sir.

(c) & (d) Do not arise.

Clash Between Naga Hostiles and Troops

2548. **Shri Sonavane:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 14th July, 1966, 200 Naga Hostiles clashed with the troops for three hours on Imphal-Moreh National Highway No. 39;

(b) if so, the loss sustained as a result thereof; and

(c) the action taken in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) (a) and (b) On July 14, 1966 a gang of Naga Hostiles opened fire at a party of Manipur Rifles personnel engaged in cutting bamboos on the Imphal- Moreh road. The fire was returned. There was no casualty on either side.

(c) Security measures in the area are being progressively strengthened.

Theft in the Residence of West German Embassy Official

2549. **Shri Y. D. Singh: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade: Shri Sonavane:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that silver utensils worth Rs.20,000 were stolen from the residence of an Officer of the West German Embassy in July, 1966;

(b) if so, the number of arrests made in this connection; and

(c) the action taken in the case?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) No arrest has been made so far. The case is under investigation.

Mizo Attack on Topui

2550. **Shri Y. D. Singh: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade: Shri Sonavane:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several persons were injured in firing by the Mizo rebels writh the help of automatic weapons and machine guns at a place named Topui 8 miles away from Lungleh during the second week of July as reported in "Vir Arjun", dated the 11th July, 1966; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) & (b): On 4th July, 1966, approximately 100 MNF hostiles ambushed a column of Assam Rifles in area five miles south of Tawipui. The hostiles fired with light machine guns, rifles, sten guns and 12 bore guns. The fire was returned for about 30 minutes and the ambush was cleared. The column carried out the search of the ambush site and recovered one dead body, one hand grenade, three rifles and some quantity of ammunition.

Smuggling of Kerosene Oil

2551. **Shri Sonavane : Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade: Shri Y. D. Singh :**

Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that kerosene oil in large quantity is being smuggled from Delhi to U. P. ;

(b) whether it also a fact that on the 20th July, 1966 the North Delhi Police held up a truck which was carrying 10,000 litres of kerosene oil;

(c) if so, the number of persons and firms throughout Delhi found involved in the smuggling of Kerosene oil;

(d) the action taken against them?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan): (a) to (d) The required information is being collected from the Directorate of Civil Supplies, Delhi and will be laid on the table of the Lok Sabha as soon as received.

त्रिपुरा के कालेज छात्रों के लिये छात्रावास-वृत्ति बोर्डिंग स्टाइपेंड

2552. **श्री दशरथ देव :** **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विभिन्न श्रेणियों के स्कूल तथा कालेज छात्रों को दी जाने वाली छात्रावास-वृत्तियां पर्याप्त हैं ;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने छात्रावास वृत्तियों की दरें बढ़ाई जाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या निर्वाहव्यय देशनांक में हुई अत्यधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए इन दरों को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा के स्कूलों में वित्तीय सहायता

2553. **श्री दशरथ देव :** **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त हाई तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों को कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या लेखापरीक्षकों ने वित्तीय सहायता के उपयोग तथा उसका लेखा-जोखा रखे जाने के बारे में कोई आपत्ति उठाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Kandla Port

2554. **Shri Panna Lal:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Brij Basi Lal:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the **Minister of Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work of loading and unloading at Kandla Port has been stopped due to the sudden strike of dock workers on the 29th July, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan); (a) Yes.

(b) In pursuance of their demands for the payment of interim relief and dearness allowance as recomended by the Central Wage Board for Port and Dock workers.

(c) The Central Industrial Relations Machinery intervened in the matter and as a result thereof the strike was called off on the evening of 29th July, 1966.

रवीन्द्र भवन, अगरतला

2555. **श्री दशरथ देव : श्री बीरेन्द्र दत्त :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने अगरतला में रवीन्द्र भवन बनाने के लिए कोई वित्तीय अनुदान मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का अनुदान मांगा गया है तथा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में सेवा निवृत्ति आयु

2557. **श्री अ० ब० राघवन : श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल में बहुत से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई है;

(ख) क्या भूतपूर्व मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था और केरल में बड़े पैमाने पर वेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सेवा निवृत्ति आयु को न बढ़ाने का निर्णय किया था; और

(ग) यदि हां, तो लोकप्रिय सरकार के पहले के निर्णय में परिवर्तन करने के लिए सरकार किन कारणों से बाध्य हुई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख) भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल द्वारा कोई विधिवत निर्णय नहीं लिया गया था, किन्तु मुख्य मन्त्री ने राज्य विधान-सभा में कहा था कि सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई विचार नहीं था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी सेवा में नियुक्ति

2558. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पंजाब सरकार ने 22 जुलाई,

1966 को सरकारी सेवा में भर्ती के लिये हायर सेकेंडरी, भाग एक की 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने को मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बराबर मानने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या पंजाब सर्बोडिनेट सर्विसेज सलैक्शन बोर्ड और पंजाब पुलिस सर्विस आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंट

2559. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के बड़ी संख्या में उन स्थायी असिस्टेंटों के लिये, जो असिस्टेंट के पद पर लगातार बारह वर्षों से अधिक समय के कार्य कर रहे हैं, अगले उच्चपदों पर पदोन्नति के अवसर नहीं हैं और इस स्थिति के कारण उनमें असन्तोष फैल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है विशेषत: जब कि अन्य सेवा में व्यक्तियों को उस वेतन-क्रम में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियाँ मिल जाती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कितने स्थायी सहायकों (असिस्टेंटों) ने 12 वर्ष से अधिक लगातार सेवा पूरी कर ली है इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी वर्ष 1965 में एकत्रित की गई सूचना के अनुसार लगभग 1,559 सहायक ऐसे हैं जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत 15 वर्ष अथवा इससे ज्यादा सेवा पूरी कर ली है। मूलत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधीन सहायक अधीक्षकों (अनुभाग अधिकारी-ग्रेड 111) के 50% स्थायीरिक्त स्थानों के लिए सीधी भर्ती का उपलब्ध किया गया था तथा अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति (1) वरिष्ठता और (2) संघ लोक सेवा आयोग की सीमित प्रतियोगिक परीक्षा के द्वारा सहायकों की पदोन्नति करके की जानी थी। सहायकों के पदोन्नति के अवसर सुधारने के लिये अक्तूबर 1962 से अनुभाग अधिकारियों की सीधी भर्ती का कोटा पांच वर्ष के लिये 50 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत और उसके बाद $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 1965 में एकत्रित सूचना के अनुसार 5,500 सहायकों में से केवल 64 सहायक अपने वेतनक्रम की कधिकतम सीमा पर पहुँचे हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस श्रेणी में बहुत बड़ा गतिरोध हो गया है।

2. चार संयुक्त सचिवों की एक समन्वय स्थापित करने वाली समिति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों पर फिलहाल विचार कर रही है और यदि आवश्यक हुआ तो यह सरकार को उन्हें दूर करने के सुझाव सरकार के विचारार्थ पेश करेगी।

अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

2560. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों / मन्त्रालयों में अधिकारियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध यदि सतर्कता सम्बन्धी कोई मामले अनिर्णीत पड़े हैं तो कितने,

(ख) वे कब से अनिर्णीत पड़े हैं और बहुत समय से उनके अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं,

(ग) राजनैतिक व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Settlement Organisation

2561. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the **Minister of Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refered to the reply given to Unstarred Question No. 5379 on the 11th May, 1966 and state the details of the rules formulated for appointment to 67 posts mentioned in Annexure 'B' thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : No direct appointment is made to the 6 Gazetted posts mentioned in Annexure 'B' to the Answer given to earlier Question No 5379. These posts are filled in either by obtaining personal on deputation from State or Central Government Departments or by promotions departmentally. These appoinments /promotions are subsquently approved by the Union Public Service Commission.

2. The remaining 61 Non-gazetted posts are divided into the following two categories:—

(a) Posts which are filled in by promotion from lower grades and

(b) Posts which are filled in by direct appointment through the agency of Employment Exchange;

In regard to the posts referred to at (a) above, meeting of the Departmental Promotion Committee is held and appointments to these posts are made according to the recomendations of the Committee. While filling in the posts mentioned at (b) above, educational qualifications, age limit etc. as prescriveb by the Ministry of Home Affairs from time to time are kept in view at the time of placing a requisition on the Employment Exchange.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नति

2562. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा और विभागीय पदोन्नति के द्वारा उच्च पदों पर पदोन्नति के लिये क्या अभ्यंश निर्धारित किया गया है, और

(ख) विभागीय पदोन्नति किस तरीके से की जाती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना 1962 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों तथा 1964 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा

(सिलेक्शन ग्रेड तथा ग्रेड I में पदोन्नति) विनियमों में दी गई है। इन नियमों की प्रतियाँ पहले ही संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Glossary of Scientfic and Technical Terms

2563. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) the progress made by the Central Hindi Directorate during 1965-66 in the work of completing the glossary of Scientific and Technical terms;

(b) whether any scheme for expanding this department was formulated recently; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The work of evolution of terminology in scientific and technical subjects is a continuing process. A glossary containing 40,000 terms in seven basic Science subjects upto the 1st degree level was published in the year 1964-65. During the years 1965 and 1966 (upto July, 1966) the Commission has finalised 77, 256 terms in various subjects relating to Science, Engineering, Medicine, Humanities and Social Science. Arrangements are being made to get them published. In addition 5,000 administrative terms have also been finalised.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भूमि का दिया जाना

2564. **श्री श्रीनारायण दास : श्री न० प्र० यादव :**

श्रीमती विमला देशमुख :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को देश के लिये उनके द्वारा की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में भूमि देने का निर्णय किया है,

(ख) उन्हें अब तक कुल कितनी भूमि दी गई है तथा उससे स्वतंत्रता संग्राम के कितने सेनानियों को लाभ पहुंचा है, और

(ग) क्या भूमि मुफ्त दी गई है अथवा उसकी कीमत ली गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालिजों में दाखिला

2565. **श्री पोट्टेकाट्ट : श्री अ० ब० राघवन :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालिजों में दाखिले के लिये भिन्न-भिन्न आयु-सीमाएं निर्धारित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न आयु-सीमायें निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आयु-सीमा एक समान करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के राजनैतिक पीड़ित लोग

2566. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के राजनैतिक पीड़ित लोगों के कितने आवेदन पत्र 10 मार्च 1966 से अब तक चालू वर्ष में अनुदान के लिये केन्द्रीय सरकार के पास आये हैं,

(ख) उक्त अवधि में उनको कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आठ

(ख) उनमें से चार के लिये 1300 रुपये स्वीकृत किये गए ।

पाकिस्तान से आने वाले नागा

2567. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** **श्री राम हरख यादव :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर और नागालैण्ड से 400 नागा विद्रोही मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन और मिजो पहाड़ी जिले से होकर सैनिक प्रशिक्षण के लिये पूर्वी पाकिस्तान की ओर गए हैं ; और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है क्योंकि पहले किये गये उपाय प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) पुलिस चौकियों को सावधान कर दिया गया है । मिज़ो पहाड़ियों के साथ लगने वाले चूड़ा-चांद पुर के कुछ हिस्सों में उन्हें रोकने के लिये सैनिक गश्त भी जारी है । यथासम्भव आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति

2568. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत एक मन्त्रालय के संवर्ग के जिन अपर डिवीजन क्लर्कों तथा असिस्टेंटों को अस्थाई रूप से अन्य मन्त्रालयों में स्थानान्तर किया गया है, सीनियर होने पर भी उन मन्त्रालयों में जिनमें

उन्हें स्थानान्तरित किया गया है अगली ऊंची श्रेणी के अल्पकालिक/दीर्घकालिक पदों पर पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्त, संभरण और तकनीकी विकास तथा कुछ मन्त्रालयों में ऐसी पदोन्नतियां की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पैट्रोलियम और रयासन मन्त्रालयों ने, जिसका न अपना कोई संवर्ग था और न ही अब है, कर्मचारियों द्वारा उदाहरणों सहित अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद भी अन्य मन्त्रालयों के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न इस असमानता को किस प्रकार दूर करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को वितीय सहायता

2569. **श्री तुलशीदास जाधव :**　　　　　　　　**श्री जसवन्त मेहता :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का कोई स्थायी रिकार्ड है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी ;

(ग) क्या सरकार गृह-मन्त्री की स्वैच्छिक निधि (डिस्क्रीशनरी फंड) में से जरूरतमन्द स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कोई वित्तीय सहायता देती है ; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को 1960 से लेकर अब तक, वर्षवार कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6808/66]

गुजरात में लोथाल में अजायबघर

2570. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच **है** कि सरकार ने गुजरात राज्य में लोथाल में एक अजायबघर स्थापित करने के लिए 3,000 रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अजायबघर स्थापित करने का काम आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) . (क) से (ग) वर्तमान वित्त वर्ष में संग्रहालय के लिये 50,000 रु० स्वीकृत किये गये हैं और आशा है कि कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा ।

गुजरात में लोथाल में खुदाई

2571. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में लोथाल में खुदाई के बारे में सरकार को एक प्रतिवेदन दे दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जैसे ही रिपोर्ट हर तरह से पूरी हो जाएगी और प्लेटों के ब्लाक और लाइन ड्राइंगें तैयार हो जायेंगी, वह छाप दी जायेगी ।

द्वारकाधीश मन्दिर

2572. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में द्वारका में द्वारकाधीश मन्दिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्मारक की मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) द्वारकाधीश वर्ग के मन्दिरों को पहले से ही राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर घोषित किया जा चुका है ।

(ख) और (ग) फिलहाल सरकार ने इस स्मारक की जरूरी मरम्मतें करवा दी हैं ।

केरल उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

2573. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त 1966 तक केरल उच्च-न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ;

(ख) इनमें से सबसे पुराना मामला कब दायर किया गया था ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 1 अगस्त 1966 की संख्या उपलब्ध नहीं है । किन्तु 30 जून 1966 को इनकी संख्या 21,726 थी ।

(ख) इस तिथि को जो पुराने से पुराने अनिर्णीत मामले शेष थे वे 1951 में दायर किये गये थे ।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है और यदि जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय की शक्ति बढ़ाई जायगी ।

Literacy in Madhya Pradesh

2574. **Shri Lakhmu Bhawani** : Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) the percentage of literate persons in various districts of Madhya Pradesh;

(b) the ratio between males and females amongst them; and

(c) the population of various Districts together with the number of Schools and Colleges?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) The latest available information is contained in the enclosed statement.

[Placed in Library See No. LT-6809/66]

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के कर्मचारियों द्वारा विदेशों का दौरा

2575. **श्री उ०मू० त्रिवेदी** : **श्री युद्धवीर सिंह** :
श्री बड़े : **श्री जगदेव सिंह** :
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री मधु लिमये** :
श्री यु० द० सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के खर्च पर विदेशों का दौरा किया ;

(ख) उनमें से प्रत्येक ने किन किन देशों का दौरा किया और उनके दौरे का क्या उद्देश्य था ;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एलटी-6810/66]

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कल्याण अधिकारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना

2576. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : **श्री यु० द० सिंह** :
श्री बड़े : **श्री युद्धवीर सिंह** :
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कल्याण अधिकारी श्रेणी 1 की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस पद पर नियुक्ति कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) कल्याण अधिकारी ग्रेड—1 की सेवाएं बिना किसी कारण बताए परिवोक्षा अवधि के दौरान समाप्त कर दी गई थी क्योंकि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कारण बताना आवश्यक नहीं था।

(ग) जी नहीं। रिक्त स्थान विज्ञापित किया गया था और एक चयन समिति द्वारा 16-6-66 को इन्टरव्यू किये गये। पद के लिए एक उम्मीदवार चुना गया है।

आजाद स्मारक भाषण माला

2577. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** **श्री यु० ह० सिंह :**
श्री बड़े : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध की परिषद् ने 1965 में दिये गये आज़ाद स्मारक भाषणों पर होने वाले व्यय के आंकड़े पहले से तैयार नहीं किये थे ;

(ख) इन आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इन भाषणों के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ; और

(ग) क्या इन भाषणों पर किया गया व्यय इस परिषद के शासी निकाय (गवर्निग बाडी) द्वारा मंजूर किया गया था और यदि हां तो यह कब मंजूर किया गया था।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। इन भाषणों के खर्च के लिए व्योरेवार तखमीना तैयार करने की जरूरत नहीं थी क्यों कि इन भाषणों के लिए जिनमें आजाद स्मारक भाषण भी शामिल है, 15 000 रु० का तदर्थ प्रावधान कर दिया गया था।

(ख) जनवरी, 1965 में तखमीन का विस्तृत विवरण तैयार किया गया था जो निम्नलिखित है :—

(1) लेक्चरार का मानदेय :	5,000 रुपए,
(5) स्थानीय आतिथ्य :	2,500 रुपए
(3) भाषणों का प्रबन्ध जिसमें प्रचार खर्च भी शामिल है :	2,500 रुपए,
(4) फुटकर :	500 रुपये
	10,500 रुपये

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के अध्यक्ष ने 1965 में 11,659 रुपये की मन्जूरी दी थी जिसका आधार वास्तविक व्यय था ।

(ग) इस रकम की मन्जूरी 3-2-65 और 1-8-65 को परिषद् के अध्यक्ष ने दी, जो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी हैं ।

डाकुओं के पास पाकिस्तानी हथियार

2578. **श्री ओंकार सिंह :**　　**श्री युद्धवीर सिंह :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सुरक्षा कर्मचारियों ने कुछ ऐसे डाकुओं को गिरफ्तार किया था जिनके पास पाकिस्तानी हथियार थे जैसा कि 30 जुलाई, 1966 को 'हिन्दुस्तान में' प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उन से बरामद की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बानगांव के प्रतिरोध दल तथा गृह रक्षा दल के सदस्यों द्वारा 6 भारतीयों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे हरिहरपुर गांव में डकैती डालने के उद्देश्य से बनगांव रोड के किनारे एकत्रित हो रहे थे ।

(ख) समुन्नत किस्म की बन्दूक, पाकिस्तान में निर्मित चार कारतूस, एक बड़ा खंजर, एक पेंचकश और दो टार्च लाइटे बरामद हुई ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

Wearing of Uniforms in Delhi Schools

2579. **Shri Yudhvir Singh:**　　**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Shri Bade:　　**Shri Omkar Singh:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a practice in all the schools in Delhi (Higher Secondary or Primary) that the names of those students are struck off the rolls who do not wear complete uniforms;

(b) whether the students belonging to poor families experience considerable difficulty in getting education as a result thereof;

(c) whether Government have tried to solve the problem of such students from their own resources; and

(d) if so, the number of students both boys and girls, of Primary and Higher Secondary Schools of Delhi, who have been so provided with uniforms?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) & (b) The requisite information has been called for from the educational authorities in the Union Territory of Delhi and will be placed on the table of the Sabha in due course.

Posts of Clerks in College of Arts

2580. **Shri Yudhvir Singh:**　　**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Shri Bade:　　**Shri Onkar Singh:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some posts of clerks are vacant in the College of Arts;

(b) whether it is also a fact that outsiders are being called to fill up these posts and Class IV employees are not being appointed by the Department inspite of the fact that they have passed their High School examinations;

(c) whether it is also a fact that some Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the College of Arts have passed their High School examinations; and

(d) if so, the reasons due to which such persons are not being promoted?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir, not at present.

(b) Whenever vacancies exist, Class IV employees with the requisite qualifications are also free to apply and their applications are considered along with those of other applicants.

(c) Yes, Sir. One class IV employee has passed the High School Examination.

(d) There is no system of automatic promotion of Class IV Scheduled Caste/Tribes employees on the basis of their acquiring qualifications necessary for higher posts. In the case of Departmental recruitment eligible Class IV Scheduled Caste/Tribes employees working in the Department who apply for the post of Clerks when they fall vacant, are considered on the basis of merit along with other Scheduled Caste/Tribes candidates sponsored by the Employment Exchange. They are also considered against unreserved posts.

मनाली पर्वतारोहण संस्था की निधि

2581. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार मनाली स्थित पर्वतारोहण संस्था के लिये स्वीकृत की गई राशि प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण उसे नहीं दे रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतों की मरम्मत आदि के लिये स्वीकृत की गई राशि भी इसी कारण से नहीं दी जा रही है ;

(ग) क्या पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकिट गृहों, अतिथि गृहों और विश्राम गृहों में पड़ा फर्नीचर भी हटाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पंजाब के पुनर्गठन में विलम्ब

2582. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1966 के 'पैट्रिआर्ट' में प्रकाशित समाचार में कोई सचाई है कि पंजाब के पुनर्गठन में जनवरी, 1967 तक विलम्ब हो सकता है ; और

(ख) क्या पूर्व घोषणा के अनुसार इसका पुनर्गठन 2 अक्टूबर, 1966 को होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार की मंशा पंजाब की पुनर्गठन योजना को यथा शीघ्र लागू करने की है। नए राज्यों के अस्तित्व में आने की वास्तविक तिथि विधायी तथा अन्य प्राथमिक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

Deputationists in Barauni Oil Refinery

2583. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of employees on deputation in Barauni Oil Refinery at present and also the number of Lower and Upper Division Clerks among them together with the percentage of such persons whose properties had been acquired for construction works;

(b) whether it is a fact that a new scheme has been introduced for recruiting new employees in place of those who are on deputation; and

(c) if so, the steps taken in this regard and the number of deputationists sent back?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan): (a) (i) Number of employees on deputation.......... 44

(ii) Number of Lower Division Clerks included in the figure above......... 9

(iii) Number of Upper Division Clerks included in the figure above...... 23

(iv) Percentage of persons whose property was acquired......... 4.5%

(b) No.

(c) Does not arise.

गवर्नमेंट जूनियर कालेज, कालीकट के लिये स्थान

2585. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में गवर्नमेंट जूनियर कालेज के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उस स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) कब तक भवन का निर्माण हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है यथा-समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात के लिये गैस के मूल्य

2586. **श्री जसवन्त मेहता** : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :

श्री राधे लाल व्यास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिये गैस के मूल्यों के बारे में मध्यस्थ द्वारा निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मध्यस्थ ने निर्णय करने के लिए समय बढ़ाने के लिये कहा है ; और

(ग) मध्यस्थता के कार्य को शीघ्रता से पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) मध्यस्थ की कार्यवाही को पूरा करने के लिये कोई भी समय नियत नहीं किया गया था। ऐसा करना अव्यवहारिक समझा गया क्योंकि झगड़े की प्रत्येक पार्टी को अपने मामले को बयान करने और यदि कोई अपवाद हो तो उसकी सफाई पेश करने का पूरा मौका देना था। ऐसी परिस्थितियों में देरी या समय को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। मध्यस्थ को इस कार्यवाही को यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता का पता है और वह अपने अन्य बड़े कार्यों में लगे रहने पर भी, इसे शीघ्र पूरा करने का यत्न कर रहे हैं।

भारत अमेरीका शिक्षा प्रतिष्ठान

2587. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत-अमेरीका शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी प्रस्ताव छोड़ दिया है ;

(ख) क्या ऐसा प्रतिष्ठान के प्रबन्ध के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण किया गया है और यदि हाँ, तो ये मतभेद यथार्थ रूप में किस प्रकार के हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार को अमरीकी सरकार के ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अगस्त, सितम्बर, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिल्ली में ब्लैक आउट में मारे गये या घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

2588. **श्री पोट्टेकाट्ट :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिल्ली में ब्लैक आउट के दिनों में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने विकलांग हुए ;

(ख) क्या उनके परिवारों को कोई मुआवजा अथवा अन्य सहायता दी गई है :

(ग) यदि हां, तो क्या एक विवरण, जिसमें मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें दिये गए मुआवजे की राशि दी गयी हो, सभा-पटल पर रखा जायगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) न तो कोई व्यक्ति मरा और न विकलांग ही हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नारायण गुरुदेव का जन्म-दिवस समारोह

2589. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मे०क० कुमारन :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में श्री नारायण गुरु-देव का जन्म-दिन सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता था ;

(ख) क्या इसे वैकल्पिक (रेस्ट्रिक्टेड) छुट्टी में बदल दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर पुर्नविचार करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु श्री नारायण गुरुदेव का समाधि दिवस सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता था और अभी भी मनाया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० टी० कारखाने के अपशिष्ट औषध-जल द्वारा यमुना के पानी का दूषित होना

2590. **श्री मणियंगाडन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ स्थित डी० डी० टी० कारखाने से अपशिष्ट औषध-जल निष्प्रभाव किये बिना नियमित रूप से यमुना में बहाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल में लगभग एक टन 100 प्रतिशत शुद्ध द्रव डी० डी० टी० यमुना में बहाई गई थी ;

(ग) क्या नजफगढ़ स्थित डी० डी० टी० कारखाने से औषध-जल के बहाये जाने से यमुना के पानी के दूषित होने के बारे में जनता तथा दिल्ली प्रशासन से भी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) नजफगढ़ क्षेत्र के कई कारखानों (डी० डी० टी० कारखाना भी) के मल निस्सारी के कारण यमुना के पानी को दूषित करने के बारे में जनता और दिल्ली प्रशासन से भी शिकायतें मिली हैं।

(घ) इस कारखाने के मल निस्सारी को पूर्णतया निष्प्रभावित करने के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड लि० ने पर्याप्त कदम उठाये हैं ताकि पूरे तौर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि ये मल-निस्सारी स्वास्थय के लिये हानिकर नहीं हैं।

अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति

2591. **श्री महानन्द** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे असिस्टेंट जिन्होंने उस पद-क्रम में दस वर्ष से अधिक का सेवा-काल पूरा कर लिया है, अनुभाग अधिकारियों के लिये सीमित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं यद्यपि सामान्य तरीके से उनकी पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त परीक्षा में कितने प्रतिशत असिस्टेंट बैठ सकते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनुभाग अधिकारियों के लिये 1967 में और उससे आगे होने वाली सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की पात्रता के लिये सेवा की दस वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त को हटाया जा रहा है।

(ग) सूचना एकदम उपलब्ध नहीं है।

Type of Print of Hindi Text Books

2592. **Shri Y.D. Singh:** **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Kashi Ram Gupta:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the books published by the Manager of Publications, Delhi on Hindi and through Hindi medium and which have been prescribed by the Directorate of Education, Delhi for Primary and Higher Secondary Schools in Delhi, have smaller type of print as compared to those printed in English; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) - (b) The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of Sabha in due course.

Non-Gazetted Posts of C. S. I. R.

2593. **Shri Y. D. Singh:** **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Kashi Ram Gupta:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) the number of non-gazetted posts in the Council for Scientific and Industrial Research for which special allowance, daily as well as monthly are paid;

(b) the number of employees who have been working against those posts continuously for three years and the reasons for allowing them to continue there further;

(c) the number of persons transferred from these posts during the last five years; and

(d) the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There are eighteen non-gazetted posts in the Council of scientific and Industrial Research Headquarters for which Special Pay (and not Special Allowance) is paid.

Three Civil Overseers and two Lower Division Clerks are drawing Special Pay continuously for three years. Civil Overseers engaged in planning work are entitled to Special pay as admissible to similar staff in C. P. W. D. and other organisations. Lower Division Clerks are drawing Special Pay for operating calculating machines as admissible under Government Rules.

(c) & (d) One Civil Overseer was transferred to the Publications and Information Directorate at Delhi for looking after construction work.

मिजो विद्रोहियों द्वारा घात लगाना

2595. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री हेम बरुआ :** **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** **श्री बड़े :** **श्री राम हरख यादव :** **श्री युद्धवीर सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों द्वारा शुक्रवार 29 जुलाई, 1966 को ऐजल-लुंगलेह सड़क पर नौथियाल में घात लगा कर आक्रमण करने के परिणाम-स्वरूप आसाम राइफलस के कम से कम छः व्यक्ति मारे गये और तीन अन्य घायल हुए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस समस्या पर पूर्ण रूप से सजग है और सभी आवश्यक तथा सम्भव किये जा रहे हैं ।

नागा विद्रोहियों की पूर्व पाकिस्तान सीमा पर गतिविधियां

2596. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही नागाओं का एक दल हथियार प्राप्त करने के लिये मिकीर पहाड़ियों से पूर्व पाकिस्तान की ओर जा रहा है और विद्रोही नागा लोग शिवसागर जिले के सुरक्षित जंगलों के इलाके में चोरी-छिपे घूम-फिर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) नागा विद्रोहियों की ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध सभी सम्भव उपाय किये गए हैं ।

पालघाट (केरल) में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

2597. **श्री प० कुन्हन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में केरल के पालघाट जिले में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ख) कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया और कितनी राशि खर्च हुई ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) इन वर्षों के दौरान जिला पालघाट में क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई निश्चित रकम अलाट नहीं की गई है ।

(ख) न तो किसी क्वार्टर का निर्माण किया गया और न इस सम्बन्ध में कोई रकम खर्च की गई ।

Appointment of Primary School Teachers in Delhi

2598. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Bade:** **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Priya Gupta:**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that appointments to the posts of Primary School Teachers have been made by the New Delhi Municipal Committee without declaring the result of the examination held for the purpose in June last year; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) & (b) The requisite information is being collected from New Delhi Municipal Cemmittee and will be laid on the table of the Sabha in due course,

Paucity of Space in Delhi School.

2599. **Shri Prakash Vir Shastri: Shri Onkar Lal Berwa: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Priya Gupta: Shri Bade :**

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great paucity of space in the recognised private middle schools in Delhi and there are as many as 40 students in each class; and

(b) if so, the steps Government propose to take to ensure that there are not more than 25-30 students in any class in these schools ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b) The requisite information is being collected from the Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Hindi Assistants Examination

2600. **Shri Prakash Vir Shastri: Shri Priya Gupta: shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Onkar Lal Berwa: Shri Bade:**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5353 on the 11th May, 1966 and state:

(a) the cadre of posts besides those of Hindi Assistants for which the Union Public Service Commission conducted the examination; and

(b) the reasons for making appointment by his Ministry on the posts of Hindi Assistants when these posts are not included in the regular Central Service?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) Presumably, the reference is to other categories of ex-cadre posts for which an examination was held by U. P. S. C. If so, the answer is that an examination was held by the U. P. S. C. for the ex-cadre posts of Hindi Stenographers also.

(b) The Ministry of Home Affairs are concerned with general principles for recruitment to all posts in the Central Secretariat irrespective of whether they are included in regular Central Services or not. Accordingly, it was decided in 1959 to held an examination through U. P. S. C. to ensure a uniform standard of recruitment to the posts of Hindi Assistant.

भारतीय पोस्टल आर्डर

2601 **श्री जेधे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : की

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पोस्टल आर्डर अधिक से अधिक केवल 10 रुपये का होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय और लोक सेवा आयोग अपनी फीसों का भुगतान केवल भारतीय पोस्टल आर्डरों में ही स्वीकार करते हैं, जिसके लिये लोगों को केवल दस-दस रुपये के कई पोस्टल आर्डर खरीदने पड़ते है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कागज की बचत के लिये सरकार का विचार 50 और 25 रु० के मूल्य-वर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डर जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो अधिक मूल्य-वर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डर डाकघरों में कब तक मिलने लगेंगे ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 45 के अधीन केन्द्रीय सरकार को 10 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के भारतीय पोस्टल आर्डर जारी करने का अधिकार नहीं है।

(ख) जब कभी दिया जने वाला शुल्क 10 रुपये से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रकम की अदायगी विभिन्न मूल्यवर्गों के भारतीय पोस्टल आर्डरों की उपयुक्त संख्या खरीद कर की जाती है।

(ग) तथा (घ) यह प्रस्ताव विचाराधीन है। भारतीय डाकघर अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक है। निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित भारतीय पोस्टल आर्डर कब तक जारी हो सकेंगे।

भारतीय श्रम सम्मेलन

2602. **श्री मधु लिमये :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मनोहरन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री मुहम्मद कोया :
श्री अल्वारेस :
श्री मौर्य :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री तुलशी दास जाधव :
डा० उ० मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन कीं उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या है ;

(ख) क्या कार्मिक संघों के संगठनों ने औद्योगिक शान्ति संकल्प को मानने से इन्कार कर दिया है, क्योंकि सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने मुनाफाखोरी को रोकने और चोर बाजारी को समाप्त करने में असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) निष्कर्षों की एक प्रति सदन-पटल पर शीघ्र ही रखी जायेगी। इस बीच में निष्कर्षों की कुछ प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

(ख) केवल एक संगठन ने ऐसा किया है।

(ग) 29-30 जुलाई, 1966 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने संबंधित संगठनों से अपील की कि वे औद्योगिक शान्ति संकल्प का पालन करते रहें।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE

अध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम श्री मधु लिमये ने तथा उसके पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी और श्री दाजी ने खाद्य तथा कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने को प्रस्ताव के बारे में सूचना दी थी।

प्रस्ताव में मन्त्री महोदय के विरुद्ध मुख्यारूप से निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :

(1) कि मन्त्री महोदय ने 17 मई 1996 को गलत वक्तव्य दिया है।

(2) कि उन्होंने 18 मई 1966 के वक्तव्य में 17 मई को कही गई बातों का खण्डन किया है यद्यपि उन्होंने इसके खेद प्रकट कर दिया है।

(3) कि मन्त्री महोदय ने समिति के समक्ष पेश होने के अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया है, सचाई को छिपाया है तथा समिति को धोखे में रखा है।

(4) कि उन्होंने यह कह कर कि "बड़े आश्चर्य की बात है" समिति पर आक्षेप किया है।

(5) उन्होंने समिति के प्रति अवमान पूर्ण रवैया अपनाया है और मन्त्री द्वारा विलम्ब से की गई प्रार्थना से समिति को असुविधा हुई तथा समिति ने इस पर चिंता व्यक्त की है।

(6) निलम्बन आदेश जो कि पूर्ण तथा अन्तिम थे मन्त्री ने उनके प्रारुप आदेश बताया है।

(7) मन्त्री महोदय ने अपने आदेश बदलने के बारे में जो कारण बताये हैं वे अस्पष्ट हैं।

अपने पत्र के अन्त में श्री मधु लिमये ने कहा है इन सब बातों के बाद आत्म-सम्मान वाले किसी भी मन्त्री को अपने पद से तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिये और इस मामले की पूर्ण रूप से जाँच की जानी चाहिये तथा जो भी इसके लिये जिम्मेदार हों उनको उचित दण्ड दिया जान चाहिये।

सभा से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन विशेषाधिकारों के अतिरिक्त जो कि वास्तव में निश्चित हैं और जो हमारे संविधान के लागू होने के दिन 'हाऊस आफ कामन्स" में प्रचलित थे, हम अन्य विशेषाधिकार नहीं बना सकते हैं। विशेषाधिकार भंग की सूचना तुरन्त अथवा सर्वप्रथम अवसर पर दी जानी चाहिये। इसमें एक अथवा दो दिन का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।

यदि किसी मन्त्री ने अशुद्ध वक्तव्य दिया है तो इसको विशेषाधिकार भंग का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि यह सिद्ध किया जा सके कि किसी मन्त्री ने जान बूझकर झूठ बोला है तो वह विशेषाधिकार भंग के अन्तर्गत एक अपराध स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा नहीं। प्राय मन्त्री जो वक्तव्य देते हैं उनमें कुछ गलतियां रह जाती हैं जिनको वह अगले दिन ठीक करते हैं इसलिये इन इन गलतियों अथवा त्रुटियों से विशेषाधिकार भंग होने का अर्थ नहीं निकाला जा सकता।

मन्त्री महोदय ने 17 मई को जो गलत वक्तव्य दिया था उसके लिये उन्होंने अपने 18 मई के वक्तव्य में खेद प्रकट कर दिया था तथा उसको खण्डन भी कर दिया था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मन्त्री महोदय ने व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के अपने अधिकार को दुरुपयोग किया है और तथ्यों को छिपाया है। 18 मई के वक्तव्य में समिति को गलतफहमी में डालने वाली कोई बात नहीं है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मन्त्री द्वारा 'यह बड़े आश्यचर्य की बात है' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने विशेषाधिकार को भंग किया है। किसी भी सदस्य को सभा की किसी भी समिति के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

मैंने मन्त्री महोदय को समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे कर कोई अनियमित कार्य नहीं किया है। मुझसे जब अनुमति मांगी गई तो मैंने उनको लोक लेखा समिति के सभापति से मिलने की अनुमति दे दी थी।

एक अन्य गम्भीर बात यह है कि मन्त्री महोदय ने पूर्ण तथा अन्तिम आदेश को, जिसका पालन किया जाना था प्रारुप आदेश बताया है। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया था कि उनसे यह गलती किस प्रकार हुई यद्यपि वह स्पष्टीकरण मेरे विचार में बहुत सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने अपनी इस गलतो को सभा तथा समिति के समक्ष स्वीकार किया है। इसलिये इसमें भी विशेषाधिकार भंग होने की कोई बात नहीं है।

यह सच है कि लोक लेखा समिति ने सचिवों के उपस्थित होने के पश्चात् अपने पहले अध्याय में यह नहीं है कि यह बात स्पष्ट नहीं है कि मन्त्री महोदय ने अपने निर्णय में परिवर्तन क्यों किया था। परन्तु मन्त्री की उपस्थिति के बाद अपने दूसरे अध्याय में समिति ने इसके दो कारण बताये हैं। कारण गलत हैं अथवा ठीक यह एक पृथक मामला है इन सब बातों को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। जहांतक विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी निश्चित बातों का सम्बन्ध है यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा नहीं।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय क्या किसी मन्त्री को जिसे कि अंग्रेजी के साधारण शब्दों 'ड्राफ्ट' और 'फाइनल' का अर्थ भी मालूम न हो, मन्त्री के पद पर बने रहना चाहिए ?

दूसरे मैं यह चाहता हूँ कि 'रीसेन्ट' शब्द की सदा के लिए व्याख्या कर दी जाये। क्योंकि

आपने अपने निर्णय में एक दिन अर्थात 24 घंटे के समय को भी विशेषाधिकार भंग की सूचना के लिये अनुपयुक्त बताया है जबकी नियम 224 में शब्द 'रीसेन्ट' का प्रयोग किया गया है। क्या हम इसके लिये किसी शब्दकोष को देखें।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये किसी शब्दकोष की आवश्यकता नहीं है। गत 20 अथवा 25 वर्षों में यहां के अध्यक्षों ने इसके बारे में निर्णय दिये हैं जिनको श्री कामत देख सकते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह समझ लिया जाये कि आपने शब्द 'रीसेन्ट की जो विवेचना की है वह अन्तिम नहीं है और कि वह केवल इसी मामले विशेष के लिये थी। आपने यह भी कहा है कि इसको दृष्टान्त के रूप में नही माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय सदा निर्णय ही होता है। मैंने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एक दिन का बिलम्म भी घातक हो सकता है। यदि सभा का सत्र न हो रहा हो तब सर्व प्रथम उपलब्ध अवसर पर सूचना दी जानी चाहिये। प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

बिहार के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE CHIEF MINISTER OF BIHAR.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : मैंने सारे मामले का बिहार सरकार से पता किया है, जिसके बारे में माननीय सदस्य श्री त्रिदिब कुमार चौधरी और श्री मधु लिमये ने विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है। इस बारे में राज्य सरकार ने कुछ तथ्य बताये हैं। सरकार ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर स्थिति यह है कि जब सदस्यों को बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया, उसके डेढ़ घंटे की अवधि में उन्हें कुछ नहीं कहा गया। उनकी किसी प्रकार की गतिविधियों में कोई भी रुकावट नहीं डाली गई। उन्हें बिलकुल नजर बन्द नहीं किया गया।

जब श्री मधु लिमये ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि वह गिरफ्तार नहीं है और वह जहाँ भी चाहे जा सकते हैं। तदनुसार वह वी० आई० पी० लौजे से बाहर से बाहर आये तथा वे अखबार वालों और वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों से बातचीत करते रहे। जो वक्तव्य श्री मधु-लिमये ने अखबार वालों को दिया इसमें उन्होंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी सम्भव है कि वह लोग इसलिए हवाई अड्डे से बाहर न आ सके क्योंकि उस समय वर्षा हो रही थी। वास्तव में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। अतः जब कोई गिरफ्तारी की ही नहीं गई थी तो उसके बारे में अध्यक्ष महोदय को सूचना देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परन्तु जब निष्कासन आदेश की तामील की गई तो उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को दे दी गई थी।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कहना भी बिलकुल गलत है कि उनको किसी प्रकार से पकड़ा अथवा वी० आई० पी० कमरे से धकेल कर बाहर निकाला। कमरों को तत्काल ताला लगा दिया गया, यह बात भी नितान्त रूप से गलत है। श्री चौधरी

का यह आरोप लगाना कि सदस्यों को जबरदस्ती मोटर गाड़ी में बैठाया गया, श्री मधुलिमये द्वारा कहे गये कथन के सर्वथा विपरीत है। उन्होंने यह कहा था कि उनसे एक खड़ी स्टेशन बैगन में बैठने के लिये कहा गया। और यह बात कही गई जो कि बिल्कुल झूठ थी कि उन्हें उच्च न्यायालय ले जाया जा रहा है ताकि वहां जाकर वह इस निष्कासन आदेश पर अपनी आपत्ति कर सके। यह बात राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट की गई है कि गाड़ी में बैठाते समय कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। और न ही उन्हें झूठ बोल कर यह कहा गया कि उन्हें उच्च न्यायालय ले जाया जा रहा है। रेल में बैठाने का तो कोई अवसर ही नहीं था, अतः रेल में बैठाते समय शक्ति का प्रयोग किया गया बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार बात है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : माननीय मन्त्री बिहार सरकार द्वारा दिये हुये तथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि माननीय सदस्यों के कथन के बिल्कुल विपरीत है। मेरा निवेदन यह है कि इस बात को निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पर उन तथ्यों पर उचित ध्यान तो देना ही होगा। किसी चीज को इस स्थिति में स्वीकार कर लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री हाथी : इसके बाद मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने इस बात का खंडन किया कि वहाँ उनका कोई वकील मित्र था। और जो हवाई-अड्डे पर और जिसे माननीय सदस्य अटार्नी के अधिकार देना चाहते थे ताकि उच्च न्यायालय में मामला लाया जाय। इस वकील को एक दम पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह उसे पुलिस गाड़ी में बिठाया गया और उसके सारे कागजात छीन लिये गये। और ये जो सब कागज उस वकील साहब से छीने गये उसमें वह निष्कासन आदेश भी था। यह सारी गलत कहानी है क्योंकि इसके साथ यह फुरमाया गया है कि उस वकील साहब ने इस मामले के सम्बन्ध में पटना हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत कर दी। जब यह मामाला वह निपटाया जायेगा तो सारे तथा सामने आ जायेंगे।

इसके अतिरिक्त श्री लिमये जी ने यह भी कहा है कि जिस निष्कासन आदेश की तामील की गई उस पर समय की कोई पाबन्दी नहीं है। वह सारे बिहार राज्य पर लागू है, जहां माननीय सदस्यों का सन्सदीय निर्वाचन क्षेत्र है तथा उन्हें अपने मतदाताओं को मिलना था। वह उन्हें नहीं करने दिया गया। और इस तरह उन्हें संसद की सदस्यता से वंचित किया गया। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो बिहार मेनटेनैंस आफ पब्लिक आर्डर अधिनियम 1949 बिलकुल अनिश्चित काल का कानून नहीं है। उसकी अवधि तो केवल छः मास की है। कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किसी आदेश को सारे राज्य पर लागू किया जाय अथवा उसके एक भाग पर उसे लागू कर दिया जाय। 9 अगस्त 1966 में यह अन्दाजा लगा सकना सम्भव नहीं है कि आगामी कुछ दिनों में बिहार में शांति और व्यवस्था के बारे में स्थिति क्या रहेगी। फिर इस दिशा में स्थिति यह है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हुई वैसे ही 11 अगस्त 1966 को यह आदेश वापिस ले लिया गया। मेरा निवेदन यह है कि यदि किसी संसद सदस्य को जन सुरक्षा के आधार पर कोई दंडनीय अभियोग लगा कर रोका जा सकता है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि उस पर अपने मतदाताओं से सम्पर्क बनाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ

है। इसी तरह यदि निष्कासन आदेश का ध्येय यह था कि जन सुरक्षा के कारण उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में जाने से रोका जाय, तो भी इस प्रकार के आदेश को लागू करने से रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी।

मेरा निवेदन यह है कि विहार सरकार के अधिकारियों के हृदय में संसद के लिये अपार आदर है। परन्तु इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि उसे 'बन्द' आन्दोलनों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये काफी कठिनाइयों से दो चार होना पड़ा। तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यों का मुकाबला करने के लिये अपेक्षित पग उठाने पड़े। यह स्थिति भी जिस के कारण बिहार सरकार को निष्कासन आदेश की तामील करवानी पड़ी। अतः मेरा निवेदन है कि किसी भी दृष्टि से देखा जाय विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में निर्णय देने के लिये कुछ समय तो लगेगा ही।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : आपके निर्णय देने के राह में क्या रुकावट हैं।

श्री नि० च० चटर्जी : (बर्दवान) : श्रीमान जी, इस मामले में कानून तो बिलकुल स्पष्ट है। माननीय सदस्य को उसकी स्वतन्त्रता से वंचित किया गया है। इसलिये मामला प्रथम दृष्टि से तो बन जाता है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी मुझे तथ्यों को तो देखना ही होगा और क्या इन सब को देखते हुये कोई विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं मामले के गुण दोष पर नहीं जाना चाहता। माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह जानकारी उन्हें राज्य सरकार की ओर से दी गई है। परन्तु लगता यह है कि माननीय मन्त्री ने उसे यहां बताते समय बहुत कुछ अपने पास से जोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार को राज्य सरकार से कोई दस्तावेज प्राप्त हुआ था। क्योंकि बिहार के मुख्य मन्त्री ने यह बात कही थी कि मैं नहीं कह सकता कि श्री मधु लिमये बिहार का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर रहे हैं अथवा नहीं।

श्री हरिविष्णु कामत : इस दिशा में सोचने वाला मामला इतना ही है कि क्या उस दिन आज्ञा भंग की गई थी। इसका अर्थ तो साफ है कि माननीय सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में जाने के लिये छ: मास तक रोक दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। उसका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे तो इस बात को देखना है कि इसमें विशेषाधिकार की बात आती है। अथवा नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि तथ्य गलत है अथवा सही।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विशेषाधिकार के मामले में लगता है पदासीन दल के सदस्यों की कोई रुचि नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है कि इस मामले में दोनों ओर की रुचि होनी चाहिये प्रधान मन्त्री नहीं है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लौह अयस्क खनन उद्योग के लिये द्वितीय अन्तरिम मजूरी वृद्धि के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला संकल्प।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—2(4)/66(1) दिनांक 12 अगस्त, 1966 की **एक प्रति** जिसके द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग के लिये द्वितीय अन्तरिम मजूरी वृद्धि के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृत की घोषणा की गई।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6792/66]

(2) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी 2(4)/66(2) दिनांक 12 अगस्त, 1966 की **एक प्रति** जिसके द्वारा चूना पत्थर तथा डोलमाइट खनन उद्योगों के लिये द्वितीय अन्तरिम मजूरी वृद्धि के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृत की घोषणा की गई।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6793/66]

प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम 1966

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1966 की प्रति, जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1218 में प्रकाशित हुये थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-6794/66]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनायें गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) पहला संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 12 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 215 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस0 आर० 216 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 12 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 217 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 12 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 218 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) पहला संशोधन नियम

1966 जो दिनांक 12 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 219 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) जी० एस० आर० 426 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 111 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(सात) जी० एस० आर० 427 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनसेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 111 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(आठ) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 562 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 563 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले पांच विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एलटी**-6795/66]

स्थायी सिन्धु आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

(3) **सिचाई तथा विद्युत मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कु० ल० राव)** : मैं 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एलटी**-6795/66]

व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) चौथा संशोधन योजना, 1966

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां): मैं व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) चौथासंशोधन योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2285 में प्रकाशित हुई थी ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एलटी**-6711/66]

विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SEVENTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVELEGES

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I do not want to go into details of facts of this Report. I would like to refer to only two main points in this regard. Firstly it is about the matters connected with the Parliament Secretariat

and secondly whether any portion of the Report of Priveleges Committee can be expunged. Shri Madhu Limaye was expelled from this House for 15 days. He had written to the Chairman of Priveleges Committee and had pointed out certain grievances. I would draw your attention to some of them. The employees of Parliament Secretariat should have right to form their union. The service conditions of the employees of Parliament should be regulated by law. The arrangements for catering for employees and Members are unsatisfactory. The honorary officer of the House Shri M. N. Kaul has been alloted a room while the elected member have not been given separate rooms. These matters were to be raised through cut motions here. There are specific provisions in the Constitution. It has also been laid down that every paisa that Government spends should be sanctioned and discussed here.

Mr. Speaker : I want to say in this connection that two definite matters were referred to the committee.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्री मधुलिमये चाहते थे कि उनका मौखिक साक्ष्य तथा लिखित वक्तव्य शामिल कर दिया जाये ; उनके द्वारा खेद प्रकट करने पर यह आवश्यक था और उनकी मांग पूरी कर दी गई और साक्ष्य आदि को पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Our Constitution is very clear. We can discuss all matters. It is in regard to certain items that we cannot vote. It is matter of great injustice that the demands of this Secretariat are not being discussed. The elected members have not been provided rooms while an officer has been given a room. It is not correct that the service conditions of the employees of Parliameut Secretariat are similar to those of the employees of Ministry of Home Affairs. All these things should be allowed to be discussed here. In regard to Speaker, I want to say that he should be a non-party man. We should follow the British convention in this regard. It is a very healthy convention.

This matter has assumed dangerous proportions. The question of dignity and rights has come in it. I know Ministers sometime give incorrect answers to questions. They try to withhold information. The office of Speaker is balancing force between Government and opposition. It should not be under the influence of Government. I have studied the British procedure I have not come across any provision where it is laid down that a portion of the report should be expunged Under our rules some words or phrases or expressions can be removed, but here 7 pages containing the note of Shri Kapur Singh was expunged. This should be thoroughly discussed here. I again repeat that we should discuss the demands of Lok Sabha Secretariat. The Demands of President's Secretariat should also be discussed.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन जो कि 16 मई, 1966 सभा में प्रस्तुत किया था, पर विचार किया जाय ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There are three points in this. First is whether the Speaker has got the right to direct a committee to expunge some words or sentences in the report; secondly whether under this Direction No. 91 not only words but full pages can be removed; thirdly whether this right has been exercised by the committee in just manner and fourthly we should not go against the provisions

of Constitution. Dr. Lohia has also said about this. In regard to the expunction there are rules but it is also stated that Speaker might issue directions to the Chairman of Select Committees for better organisation of work in those Committees. Now we should see whether your direction is in accordance with the provisions of rules and the Constitution. I would request you to reconsider your direction. I think it is not within the powers of the committee to expunge many pages from the Report. I would also say that the Chairman of this Committee has not made the correct use of his powers. When this matter was raised here, it was the opinion of the House that the dissent of Shri Kapur Singh should be reconsidered by the Committee. I think the note of decision regarding exclusion of 7 pages was not proper. I request you to consider this matter again.

श्री नि० चं० चटर्जी : श्री मधु लिमये ने पंजाब उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच में एक अर्जी दी। उसमें अध्यक्ष पर कुछ आक्षेप लगाये गये थे। विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंपा गया था। वहां पर श्री लिमये ने खेद प्रकट किया और समिति ने सिफारिश की कि और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही श्री कपूर सिंह ने अपना विमति टिप्पण दिया जिसमें अध्यक्ष पर आक्षेप लगाये गये थे। उसे शामिल न करने का आदेश दे दिया गया। इसके पश्चात दो बातें कही गई कि श्री लिमये के साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाये और दूसरे समिति के सभापति के लिये उचित नहीं था कि कुछ भागों को प्रतिवेदन में शामिल न करने का आदेश देते। हम सब जानते हैं कि हमें विमति टिप्पण देने का अधिकार प्राप्त है। इस बारे में साक्ष्य और लिखित वक्तव्य को तो प्रतिवेदन के परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिया गया है परन्तु जहाँ तक श्री कपूर सिंह के कुछ वाक्यों को प्रतिवेदन में शामिल न करने की बात है उसे समिति को पुनः सौंपा गया था। समिति ने इस पर गम्भीरता से विचार किया और यह असंभव समझा गया।

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या 91 के अनुसार सभापति विमति टिप्पण से असंसदीय, असंगत अथवा अनुचित शब्दों, वाक्यों को निकालने का आदेश दे सकता है। इस मामले में ऐसा ही किया गया है। निदेश संख्या 91 शक्ति वाह्य नहीं है बल्कि यह पूर्णतया शक्त्यधीन है। आप पर आरोप लगाया है कि संविधान तथा नियमों का उलंघन किया है।

ऐसा निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष को नियम 283 के अन्तर्गत दिया गया है। इसी नियम के अनुसार अध्यक्ष ने वह निर्देश दिया है वह नियमों के बिल्कुल अनुरूप है यदि सभापति को असंसदीय तथा असंगत टिप्पणियों को निकालने का अधिकार नहीं होगा तो वह किस प्रकार कार्य कर सकता है। विशेषाधिकार समिति को जब यह मामला भेजा गया तो उसने विचार प्रकट किये कि सरदार कपूर सिंह के टिप्पण से कथित पैरा को छोड़ने का सभापति का निर्णय उचित था और वह सभा के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार था। अतः मेरा अनुरोध यह है कि इस मामले में कुछ भी अवैध तथा अनुचित नहीं किया गया है। समिति तथा सभापति ने नियमानुसार कार्य किया है। जब यह मान लिया गया है कि वह शब्द, वाक्य तथा वाक्यांशों को निकाल सकता है तो अवश्य ही वह उन वाक्यों को भी निकाल सकता है जो अध्यक्ष पर आक्षेप करते हैं अथवा जो अनुचित हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : समिति के सामने सरदार कपूर सिंह के वक्तव्य से कुछ पैरे निकालने के मामले तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखूंगा। विमति टिप्पणी के

बारे में नियम 303 (6) में केवल असंसदीय या अन्य किसी प्रकार से अनुचित" शब्दों का उल्लेख है। निर्देश 64 में 'असंसदीय, असंगत' और फिर "सम्मानपूर्ण" शब्दों का उल्लेख है। इस का अर्थ यह है कि निरादरपूर्ण, अशिष्ट और असंयत भाषा को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

निर्देश 91में "असंगत" शब्द और जोड़ दिया गया है। नियम 303 में यह शब्द नहीं है अतः निर्देश नियम की व्याप्ति से परे है और उसे नियम के अनुरुप नहीं माना जा सकता है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में विमति टिप्पण के देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। सरदार कपूर सिंह द्वारा दी गयी विमति टिप्पणी को, यदि अध्यक्ष महोदय ऐसा चाहें तो, अध्यक्ष कक्ष में प्रत्येक संसद् सदस्य को दी जानी चाहिये ताकि वे इसे पढ़ सकें और सरदार कपूर सिंह द्वारा किये गये टिप्पणों पर अपना व्यक्तिगत मत बना सकें।

श्री पाराशर (शिवपुरी): यहां केवल नियम 283 को लागू किया जा सकता है क्योंकि नियम 303 प्रवर समितियों पर लागू होता है। नियम 283 के अधीन अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समिति के सभापति को निर्देश दे सके। प्रक्रिया के विनियमन के लिए अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश पूर्णतया विधिमान्य है। अतः यह कहना कि संख्या 91 में अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश शक्ति-वाह्य है। उचित नहीं है।

यह तर्क दिया जाता है कि सभापति केवल शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को सभा की कार्यवाही से निकाल सकता है। अभिव्यक्ति शब्द एक बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति एक अंश में या कई पृष्ठों में हो सकता है। यदि टिप्पणी सम्मानपूर्ण भाषा में नहीं है तो उसको सभा की कार्यवाही से निकाला जा सकता है।

यदि विमति टिप्पणी से सभापति या अध्यक्ष पर आक्षेप आता है और यदि सभापति को उन शब्दों, वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों को टिप्पणी अथवा सभा की कार्यवाही में सम्मिलित करने के लिए बाध्य देना पड़ता है तो समिति के लिए कार्य करना कठिन हो जायेगा और साथ ही यह समिति के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग होगा। जो कुछ सभा की कार्यवाही से निकाला गया है उसको बैध रुप से निकाला गया है। इसलिए इस प्रश्न को न उठाया जाए।

Shri G. N. Dixit (Etawah): Shri Madhu Limaye insulted this House and the matter was referred to Priveleges Committee. Afterwards he admitted his fault in the Committee and apologised. He has again adopted indifferent attitude and this matter should be sent to Priveleges Committee and he should be awarded punishment.

Shri Bade (Khargone) : When law is silent, proceedure from other laws and actions whatsoever is adopted. Rule No. 303 does not apply on the present issue. Rule No 283 is applicable to this case.

Dr. Ram Manohar Lohia : Constitution provides that every penny must be discussed by the House. Therefore I appeal to the House that all the financial matters should be discussed in this House in details and cut motions on Parliamentary matters should be discussed. Every matter should come up before the House and thereby Constitution should be respected.

As regards dignity and power, the two should be combined and cases should be settled as provided under Law.

Mr. Speaker: The House has the powers under Constiution to discuss all the demands for grants. House has also got the powers as to what demands should be discussed. As regards the present matter, Direction No. 91 is applicable. Now I put the motion before the House.

प्रश्न है : "कि विशेषाधिकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर, जो 16 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा विशेषाधिकार के सातवें प्रतिवेदन से, जो 16 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है : "कि यह सभा विशेषाधिकार के सातवें प्रतिवेदन से जो 16 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : LEVY OF EXPORT DUTY ON CERTAIN ITEMS.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा 2 अगस्त, 1966 के संख्या एस० ओ० 2316 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना की तारीख से ढेलेदार लौह अयस्क पर 10 रुपये प्रति मीटरी टन महीन लौह अयस्क (नीली धूलि सहित) पर 5 रुपये प्रति मीटरी टन कायनाइट पर 40 रुपये प्रति मीटरी टन क्रोम कानसैन्ट्रेट्स पर 15 रुपये प्रति मीटरी टन तथा मैंगनीज डायोक्साइड सिलीमनाइट तथा स्टियटाइट (टैल्क) पर यथामूल्य 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है।"

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह सभा 2 अगस्त, 1966 के संख्या एस० ओ० 2316 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना की तारीख से ढेलेदार लौह अयस्क पर 10 रुपये प्रति मीटरी टन महीन लौह अयस्क (नीली धूलि सहित) पर 5 रुपये प्रति मीटरी टन कायनाइट पर 40 रुपये प्रति मीटरी टन क्रोम कानसैन्ट्रेट्स पर 15 रुपये प्रति मीटरी टन तथा मैंगनीज डायोक्साइड सिलीमनाइट तथा स्टियटाइट (टैल्क) पर यथामूल्य 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप ने बार बार कहा है कि मंत्रियों के लिये यह उचित नहीं है कि वह सभा को धोखा दें। मन्त्री महोदय सभा को धोखा दे रहे हैं, यह उनके लिये उचित नहीं है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : जहाँ तक निर्यात शुल्क सम्बन्धी नियम बहुत असुविधाजनक है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होंगे। अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात शुल्क के लगाये जाने से वे प्रयोजन विफल हो जाते हैं जिनके लिए वे उपाय किये गये थे। अवमूल्यन का उद्देश्य यह होना चाहिये था कि निर्यात में वृद्धि होती और देश के निर्यात में लाभ की मात्रा इतनी होनी चाहिये कि लोग उत्पादित माल को देश के बाजार से विदेशों की मण्डी में ले जायें। अवमूल्यन में ऐसी प्रवृति पाई जाती है। किन्तु खेद की बात यह है कि अवमूल्यन से पहले निर्यातकर्ता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था और इसी कारण हमारे निर्यात की स्थिति डांवाडोल थी। अवमूल्यन के कारण निर्यातकर्ता को रुपये की संख्या में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि होगी। निर्यात शुल्क लगाने से वह प्रोत्साहन समाप्त हो जायेगा। सरकार ने एक हाथ से थोड़ा प्रोत्साहन दिया है और दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। वास्तव में जो राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है और जो वित्त मन्त्री के वकतव्य के अनुसार 56 प्रतिशत होनी चाहिये थी, अब 15 प्रतिशत रह गई है। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को इस प्रकार प्रोत्साहन देना है जिससे लोग पैदा की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकें। उत्पादन को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है जिससे लोग अधिक खपत कर सके और अधिकाधिक निर्यात कर सकें। किन्तु निर्यात शुल्कों से अवमूल्यन के प्रभाव खत्म हो जायेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

निर्यात को बढ़ावा देने के प्रश्न पर मन्त्री महोदय ने बताया। चाय का हवाला देते हुए उन्होंने लोगों को चाय कम मात्रा में पीने की सलाह दी है ताकि अधिक चाय का निर्यात किया जा सके। क्या निर्यात इसी प्रकार बढ़ाये जाते हैं। जिस चाय का निर्यात किया जाता है वह उस चाय से भिन्न है जो भारत के सामान्य लोग पीते हैं। वह एक बिल्कुल भिन्न किस्म की चाय है। साधारण व्यक्ति द्वारा कम चाय पीने से देश कुछ अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सकेगा। चाय के निर्यात पर वास्तविक बाधा यह है कि उसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, चाय की किस्म खराब है और निर्यात शुल्क तथा करों का बोझ बहुत अधिक है। इससे चाय उद्योग को यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे।

निर्यात शुल्क हमारे इस संदेह को दृढ़ करते हैं कि अवमूल्यन किन्हीं सच्चे, वास्तविक कारणों से नहीं किया गया है बल्कि सहायता प्राप्त करने जैसे अन्य कारणों से किया गया है। इसलिए सभी निर्यात शुल्कों को पूर्णतया हटा दिया जाना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : मन्त्री महोदय अब वस्तुओं की एक और सूची लाये हैं जिन पर निर्यात शुल्क लगाया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार यह तर्क देती है कि आयात और निर्यात के बीच बढ़ते हुए असंतुलन को कम करने के लिये अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि अवमूल्यन से हमारी निर्यात वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी और अन्य

वस्तुओं पर प्रतियोगी लाभ प्राप्त होगा। आयात कम की जायेगी और इस प्रकार आयात-निर्यात में अन्तर कम हो जायेगा। मन्त्री महोदय पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि सरकार ऐसा कदम न उठाती तो हमारी निर्यात वस्तुएं इतनी सस्ती हो जातीं कि हमारी विदेशी मुद्रा की आय वर्तमान आय से भी कम हो जाती। विदेशी मुद्रा के उपार्जन के लिये हमें यह कदम उठाना पड़ा। इस प्रकार सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अवमूल्यन से निर्यात बढ़ने की वजाय, निर्यात के घट जाने और देश की वर्तमान विदेशी मुद्रा राशि घट जाने की समस्याएं पैदा हो गई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्यात और आयात के बीच अन्तर कम करने में अवमूल्यन से कोई सहायता न मिली और सरकार ने अवमूल्यन का निर्णय अमरीकी दवाव के कारण किया है।

जहाँ तक आयात का सम्बन्ध है, वे और मंहगे हो गये हैं। एक ओर तो अवमूल्यन के कारण हमने अपने निर्यात की सुरक्षा करनी है, दूसरी ओर आयात मंहगे हो गये हैं। इसलिये अवमूल्यन का वास्तविक लाभ यह होगा कि विदेशी एकाधिकारियों तथा पश्चिमी देशों का तो अधिकाधिक लाभ होगा और इससे हमारे देश को कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा।

अन्दरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं जूट संस्था ने 5 अगस्त को यह घोषणा की कि अब के पश्चात वे अपने 15 प्रतिशत करघों को बन्द करेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि 40,000 कारीगरों को वेरोजगार कर दिया जायेगा। इसलिये अवमूल्यन से निर्यात को बढ़ावा मिलने की बजाय निर्यात की सुरक्षा करने के लिये उन्हें विशेष उपाय करने पड़ रहे हैं। अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिये सरकार ने जो कुछ कहा है कार्य बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है।

बर्मा सरकार ने हमारे निर्यात के नारियल की जटा जैसे उन पदों का पुन: मूल्यांकन करने से इन्कार कर दिया है जिनका निर्यात अवमूल्यन से पूर्व ही से किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पुन: मूल्यांकन के आधार पर नारियल के देशों पर निर्यात-शुल्क लगा दिया है। इससे नारियल जटा के निर्यात के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

निर्यात से अर्जित की गई राशि और रिजर्व बैंक में जमा की गई विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपये का अन्तर होता हैं। यह राशि मान्यता प्राप्त निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा विदेशी बैंकों में रखी गई है। निर्यातकों और आयातकों द्वारा अवैध तरीके अपनाये जाने के कारण हमें प्रत्येक वर्ष 80 करोड़ रुपये की हानि हो रही है और सरकार इन मामलों को जांच करवाने तथा विदेशी मुद्रा की इस हानि को बचाने से इन्कार कर रही है। यह सिद्ध करने के लिये मेरे पास प्रमाण है कि ऐसा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों तथा मन्त्रियों से मिलकर किया जा रहा है। इन मामलों की जाँच के लिये सरकार को उच्च शक्ति वाली एक समिति, जिसका सभापति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, गठित करनी चाहिये। यदि सरकार साक्ष्य देने वाले गवाहों की रक्षा का वचन दे तो इस मामले को निश्चय ही सिद्ध किया जा सकता है।

Shri H. C. Soy (Singhbhumi) In our area, the lease of Kyanite has been given ot a British company near my own village. Lease of Kyanite has also been given to two other companies while knowing that there is no Kyanite. These companies are indu-

lged in smuggling through the people of that area. I would rather say that even the State Government is indulged in this work. The whole matter should be investigated and smuggling should be stopped.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा एक विवरण प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि 1970-71 तक लोह अयस्क के निर्यात को बढ़ाकर 250 लाख टन करने के लिये खानों को आधुनिक किया जा रहा है तथा वहाँ पर अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है।

ऐसी आशा है कि निर्यात पर जो शुल्क लगाया गया है उससे मैंगनीज अयस्क तथा खनिज के निर्यात में वृद्धि ही होगी।

तीसरे आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के अध्ययक्ष दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आयात नियंत्रण नीति की भांति, निर्यात नियंत्रण नीति भी एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जानी चाहिये जो कि एक वर्ष के लिये मान्य हो परन्तु छः महीने बाद उसका पुर्नविलोकन होना चाहिये। इस समय निर्यातकों को यह पता ही नहीं लगता कि सरकार क्या नीति अपनाने वाली है। इसलिये इस प्रकार के सुधार किये जाने चाहिये।

अध्ययन दल की अन्य सिफारिशों को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक मद के बारे में निर्यात के सामान्य सिद्धान्तों को, जितना अधिक सम्भव हो, 'नीति पुस्तक' में दिया जाना चाहिये जिससे वे लोग जो निर्यात करना चाहते हों निर्यात सम्बन्धी ठेके स्वीकार करने से पूर्व अपनी स्थिति को समझ सकें और लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दे सकें।

श्री अल्वारेस (पन्जिम) : वाणिज्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव पेश किये हैं उससे सरकार की आर्थिक नीति का अन्तर्विरोध अधिक स्पष्ट हो गया है। सर्वप्रथम अन्तर्विरोध आयात की स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में है। हमें बताया गया है कि अवमूल्यन से आयात के स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलेगी परन्तु उसके साथ साथ लगभग 70 उद्योगों के लिये आयात को उदार बना दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यदि आयात को उदार बना दिया जाता है तो आयात स्थानापन्न वस्तुओं के बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

वित्त मन्त्री ने अवमूल्यन के पक्ष में एक बात यह कही है कि इससे निर्यात में वृद्धि होगी। परन्तु कुछ पदों पर जो शुल्क लगाया जा रहा है इससे चीजें मंहगी हो जाएगी और फलस्वरूप विदेशी ग्राहकों के लिये कम आकर्षक भी।

सरकार ने परस्पर विरोधी नीतियां अपनाई हुई हैं चाहे वे आयात स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में चाहे निर्यात बढ़ाने के बारे में ही क्यों न हो। मुझे याद है कि सरकार ने लौह-अयस्क, मैगनीज अयस्क के निर्यातकों को विशेषकर कुछ रियायतें दी हुई थी परन्तु अब इस नीति में परिवर्तन हो गया है। सरकार की ऐसी ही परस्पर विरोधी तथा गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश को आज आर्थिक संकट का सामना है। यह अच्छा होगा यदि सरकार श्री उमानाथ के सुझाव को स्वीकार करके प्रमुख अर्थशास्त्रियों, निर्यातकों, आयातकों और कुछ संसद

सदस्यों का सम्मेलन बुलाकर उसमें एक व्यापक नीति निर्धारित करे जिससे आयात की पद्धति और निर्यात की आवश्यकता में कुछ युक्तिमुक्त सम्बन्ध स्थापित हो सके । दूसरा विकल्प यह है कि कुछ कठोर उपाय लागू किये जायें ।

सरकार स्वयं ही कुछ हद तक आयात अथवा कम से कम निर्यात के राष्ट्रीयकरण के लिये वातावरण तैयार कर रही है । इसलिये सरकार को सम्पूर्ण निर्यात के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करना चाहिये कम से कम उस समय तक के लिये जब तक कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्री में अपना स्थान न बना लें ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : विरोधी दलों के इस तर्क से मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि निर्यात शुल्कों के लगाये जाने से अवमूल्यन का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । अवमूल्यन से हमारे निर्यात में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसलिये मेरा कहना है कि जो निर्यात शुल्क लगाये जा रहे हैं वे अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यातकों को होने वाले लाभ से बहुत कम है । इन शुल्कों द्वारा सरकार तो केवल उनको होने वाले लाभ का कुछ भाग ही लेना चाहती है ।

राज्य व्यापार निगम की स्थापना से पूर्व इस मैंगनीज अयस्क, लोह अयस्क तथा अन्य चीजों का निर्यात करते थे । परन्तु उस समय निर्यातक आपसी स्पर्धा के कारण आयातकों को कम मूल्यों की पेशकश करते थे और देश को उस मूल्य से बहुत कम मूल्य मिलता था जो कि उसको वास्तव में मिलना चाहिये था । राज्य व्यापार निगम ने व्यापार को अपने हाथ में लेकर निर्यात माल की कीमत को विनियमित किया है और तभी से माल की अधिकाधिक कीमत प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है । अतः इससे देश को लाभ हुआ है और यदि हमें इस व्यवस्था को बनाये रखना है तो प्रस्तुत विधेयक की बहुत ही आवश्यकता है ।

अवमूल्यन का उद्देश्य ही यह है कि आयात का मूल्य 56 प्रतिशत बढ़ जाये । आयातित वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा । यदि हमने आयात को उदार बना दिया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमने आयात की लागत कम कर दी है । आयात को उदार बनाने से जो कारखाने कच्चे माल तथा पुर्जों के अभाव के कारण बन्द पड़े थे वे अब कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

सरकार को आयात और निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर अवमूल्यवन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिये । पहले निर्यात हकदारी सम्बन्धी एक योजना थी । उसको समाप्त कर दिया गया है परन्तु मेरा विचार है कि सरकार उस योजना पर पुनः विचार कर रही है अब समय है जब कि सरकार को उन वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिये । जो इस योजना से लाभ उठाकर निर्यात की जा रही और अब जिनका निर्यात बिल्कुल बन्द हो गया है । सरकार को उन वस्तुओं की निर्यात सम्बन्धी बातों का अध्ययन करना चाहिये ताकि विश्व के जिन बाजारों में हमारा माल जाता है वे बने रहें ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा विचार है सरकार ने जो कुछ भी किया है वह उद्देश्य के हेतु तथा आर्थिक विनाश को रोकने के लिये ही किया है । यह कहना भी गलत है कि सहायता प्राप्त करने के लिये ही निर्यात शुल्क लगाये जा रहे हैं ।

विदेशों के जो लोग इस देश में है, वे हमारी सारी बातों को सुनते हैं। इस तरह की बातें करके हम किसी से कुछ सहायता प्राप्त कर सकेंगे यह बात बिलकुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस बात को हमेशा याद रखे कि जब से राज्य व्यापार निगम बना है तब से ही हमारा निर्यात बिना किसी कठिनाई के चल रहा है। और इस तरह देश को भी काफी लाभ हुआ है। कई ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात काफी बढ़ा है। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और अन्य कुछ इसी प्रकार की वस्तुओं का निर्यात काफी मात्रा में बढ़ गया है। मेरा मत तो यह है कि सभी विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। यह बात राष्ट्र के हित की है। इससे निर्यात बढ़ेगा और सारा लाभ बड़े-बड़े व्यापारियों के स्थान पर जनसाधारण को मिल जायेगा। इस तरह किया जाय तो मेरे विचार हमारा विदेशी व्यापार दुगना हो जायेगा। और गरीबों को भी इससे लाभ होगा।

मेरा यह आग्रह है कि मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या कुछ ऐसी भी व्यापारिक संस्थाएँ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा विदेशी बैंकों में जमा है। मेरा निवेदन, यह है कि यदि इस तरह के कोई लोग है, तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप किसी भी कारीगर को उसके रोजगार से नहीं हटाया जायेगा। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए कि अवमूल्यन से पूर्व और उसके बाद विभिन्न देश के साथ हमारी निर्यात सम्बन्धी स्थिति क्या है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए। इस बारे में अगले सत्र में एक स्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Shri Bade (Khargone) : It is really very sad that our people areunable to understand the policy pursued by our Government. This is the impression that is given by the resolution put forward by Shri Manubhai Shah. It is not possible to understand whether they are dynamic or they are only moving like a pendulum. I urge upon the Government for some specific period Government should adopt a definite and strong policy. We should decide that we have to promote export and stop all such imports which are telling upon our resources. It is really sad that Rupees three crores of foreign exchange was given for a film Love in Tokyo.

Neither left nor right, this sort of attitude will not solve the problem. Mere subsidies for export promotion will also not help. The policy of indirect taxation will stand in its way. I only pity that the Government are not getting the sound economic advice.

श्री मनुभाई शाह : मूल प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मैंने काफी विस्तार से कईबातों का स्पष्टीकरण कर दिया है, अब में उसके बारे में और तर्क प्रस्तुत नहीं करूंगा परन्तु मुझे लगता है कि कई माननीय सदस्यों को अभी भी इस दिशा में भ्रांति ही चल रही है। अवमूल्यन का उद्देश्य बढ़ रहे अन्तर को कम करना था। मेरा निवेदन यह है कि अवमूल्यन के पश्चात जो भी सरकार ने पग उठाये हैं उससे सरकार की निति स्पष्ट हो गई है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्यात करने वालों तथा निर्यात करने वाले एककों को पर्याप्त लाभ उपलब्ध होना चाहिए। कुछ समय हुआ मैंने संकलप प्रस्तुत करते हुए इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि हम लाभ तथा प्रतिस्पर्धा में अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं सभी शुल्कों की योजना

ही इस प्रकार से निर्माण की गई है कि एक सीम से आगे चल कर भारतीय निर्यात को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँच पाये।

अब मैं पटसन उद्योग का उल्लेख करना चाहता हूँ। पटसन उद्योग में कच्चे माल की कमी है। और मद यह है कि यदि उद्योग की मांग पूरी करने की दिशा में काफी मात्रा में उत्पादन न हुआ तो परिणाम स्वरूप कुछ कारखाने बन्द ही करने पड़ जायेंगे। हम पुरा प्रयास कर रहे हैं कि इस दिशा में संकट टल जाये। हमने पटसन को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रख दिया है। जैसा कि सदन को पता है कि हर प्रकार के कच्चा माल जिसको निर्यात करना किसी उद्योग को अपेक्षित होता है, उदार लाइसैन्स, सूची में रख दिया गया है। सरकार सुसंगत रूप से चल रही है। अवमूल्यन के बाद लगभग 22 सप्ताहों में इस दिशा में नीति का स्थिर नहीं है और उसका आधार भी स्थिर ही रहा है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह धारणा बिलकुल गलत है कि भारतीय लोग चाय का चूरा पी रहे हैं। भारतीय काफी मात्रा में अच्छी चाय प्रयोग कर रहे हैं। वह ऐसी चाय है जिसे बड़ी सरलता से निर्यात किया जा सकता है। यह कहना गलत है कि भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत बहुत कम हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि संसार में चाय पीने वालों देशों में हमारा नम्बर तीसरा है। मेरा कहने का यह मतलब कदापि नहीं कि मैं चाय पीने के विरूद्ध हूँ परन्तु यदि देश के हित में यह जरूरी हो तो क्या हम इसका प्रयोग कम नहीं कह सकते ? यह भी कहा गया है कि मूल्यों के बारे में हम गलत नीति पर चल रहे हैं; परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHRIMATI RENU CHAKRAVRATY *in the Chair*]

अवमूल्यन के बारे में मेरा मत यह है कि सदन के सद्भाव और समझदारी के साथ सहयोग प्राप्त होने पर अवमूल्यन को सफल बनाया जा सकता है हम इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह बड़ा जरूरी है कि राष्ट्र यह समझ ले कि सबसे आवश्यक बात यह है कि निर्यात को बढ़ाया जाय। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि हमारा माल संसार के बाजार में हर ढंग से बिक सके। इसके लिये यदि आवश्यक हो तो हमें निर्यात करने वालों को जरूरत से अधिक लाभ भी कम कर देना चाहिये। हमें विदेशी मुद्रा की कमाई पर ध्यान देना होगा। जरूरत पड़े तो इस बारे में थोड़ी बहुत सहायता भी देनी चाहिये। केवल दार्जलिंग चाय का निर्यात 6 से 8 करोड़ रुपये तक का होता है। 3 से 4 करोड़ तक की चाय तो रूस को ही जाती है।

सभा पति महोदय : इस संकल्प का सम्बन्ध विशेष प्रकार की निर्यात सम्बन्धी मदों से है, अतः इस बारे में किसी प्रश्न की गुंजाइश नहीं है।

प्रश्न यह है :—

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह सभा 2 अगस्त, 1966 के संख्या एस० ओ० 2316 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा उक्त अधि-

सूचना की तारीख से ढेलेदार लौह अयस्क पर 10 रुपये प्रति मीटरी टन, महीन लौह अयस्क (नीली धूलि सहित) पर 5 रुपये प्रति मीटरी टन, कायनाइट पर 40 रुपये प्रति मीटरी टन, क्रोम कानसैन्ट्रेट्स पर 15 रुपये प्रति मीटरी टन तथा मैंगनीज डायोक्साइड, सिलीमनाइट तथा स्टियटाइट (टैल्क) पर यथामूल्य 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1966-67

सभापति महोदय : अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) आय व्ययक 1966-67 पर चर्चा और मतदान होगा। कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

वर्ष 1966-67 के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

योग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
6	रक्षा सेवायें,—सक्रिय—नौसेना	...	80,00,000
16	वैदेशिक कार्य	...	3,73,41,000
17	विदेश मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	2,47,29,000
23	लेखापरीक्षा	....	9,50,000
30	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	....	4,21,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय		3,85,000
35	कृषि	....	41,65,000
66	लोहा और इस्पात मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	....	2,00,00,000
117	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	....	2,03,60,79,000

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं मांग संख्या 30, और 66 पर ही बोल रहा हूं। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों ने गजेन्द्र गडकर आयोग का उसके अस्तित्व में आने से पूर्व बहिष्कार कर दिया था। इस दिशा में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से उसके निर्माण और विचारणीय विषय के बारे में परामर्श नहीं किया गया था। कर्मचारियों की मांग बिलकुल स्पष्ट है कि इस आयोग में उनके प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाय। और उसके विचारशील विषयों में कुछ और विषय में शामिल कर लिये जाये।

वित्त मन्त्रालय के सचिव से बात-चीत होती रही है । महंगाई-भत्ता के बारे में समझौते की बातचीत चलती रही है । मामला बातचीत द्वारा तय हो उसके मुकाबले में सारा मामला आयोग को दे दिया गया । प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसका आयोग फैसला करेगा ? वित्त मन्त्री को मामला अपने हाथ में लेना चाहिये था और तुरन्त कोई निर्णय, देना चाहिये था । इस तरह मामला बड़ा साधारण ढंग से निपट सकता था । बड़ी साधारण सी बात थी जिसको इतना बढ़ा दिया गया । हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है कि निम्न आय वाले कर्मचारियों के लिए मंहगाई को शत प्रतिशत निष्प्रभावी करने की आवश्यकता है । अन्य कर्मचारियों के लिये भी यही अपेक्षा है कि मंहगाई को 90,80, और 70 प्रतिशत तक निष्प्रभावी बनाया जाय ।

मेरा यह आग्रह है कि वित्त मन्त्री महोदय को कर्मचारियों से सीधे बात करनी चाहिये । विचारणीय विषयों में भी तबदीली करवाई जानी चाहिये । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी आयोग में लिया जाना चाहिये । मेरा विचार है कि यदि ऐसा न किया गया तो जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, देश भर में बहुत असन्तोष फैलेगा और स्थिति गम्भीर हो जायेगी । जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न है, वे लोग राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के विरुद्ध नहीं है । 19 वर्षों के बाद उनका भत्ता भी बढ़ना ही चाहिये ।

अब मैं मांग संख्या 66 की बात करता हूँ । इसका सम्बन्ध लोहा और इस्पात मन्त्रालय से हैं । 1961 की बात है कि अमी चन्द्र प्यारे लाल फर्म ने 19 लाख रुपये का नर्म इस्पात बिना लाइसैन्स के आयात किया था । लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक, श्री ए० एन० बनर्जी व उस सौदे को नियमानुकूल बना दिया था । अपने आपको इससे बचने के लिये नियन्त्रक ने इस फर्म पर यह शर्त लगा दी कि माल का पुनः निर्यात किया जाय । पर इसके साथ उन्होंने फर्म को यह अनुमति भी दे दी कि माल को गोदाम ले जाया जाय । इस फर्म ने इस स्थिति का खूब लाभ उठाया और पुनः निर्यात के मामले को टाल कर सम्पूर्ण मात्रा का केवल कुछ भाग ही पुनः निर्यात किया गया । इस प्रकार नियन्त्रक ने फर्म को बड़ी सरलता से लाखों रुपये कमाने का अवसर दे दिया । इस सारे घुटाले में लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा नष्ट हुई । फिर यह हुआ कि नियन्त्रक बजाए इससे कोई सजा अथवा चेतावनी दी जाती, बल्कि उन्हें रूरकेला इस्पात संयन्त्र का जनरल मैनेजर बना दिया गया । मेरा आग्रह यह है कि इस मामले की उचित जांच की जानी चाहिये । इसे उच्च अधिकार प्राप्त आयोग को सौंपा जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इसके अतिरिक्त कलकत्ते के लोहा और इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय के 700 कर्मचारियों का प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि राज समिति की सिफारिशों के बावजूद 700 लोगों के फालतू घोषित कर दिया है । प्रश्न यह है कि 15,20 वर्ष तक सरकार की सेवा करने के बाद यह लोग आखिर कहां जाय । वैसे भी कीमतें बढ़ गई है और सरकर कीमतों को रोकने में असमर्थ रही है । इसके अतिरिक्त स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में वित्त मंत्री को वक्तव्य देना

चाहिये । कई हजार स्वर्ण कारों का प्रश्न है । मेरा मत यह है कि यह स्वर्ण नियन्त्रण आदेश अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है । इसके फलस्वरूप लगभग 20 लाख स्वर्णकार बेकार फिर रहे हैं ।

वर्ष 1966-67 **के लिये अनुपूरक अनुदानों (सामान्य-आय व्ययक) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—**

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	5	श्री नम्बियार	जर्मनी के लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र को पूर्वी जर्मनी की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सरकार के रूप में मान्यता देने और राजदूतस्तर पर राजनयिक सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	6	श्री नम्बियार	सरकारी कर्मचारियों को और मंहगाई भत्ता देने के सिद्धान्त निश्चित करने के लिये मंहगाई भत्ता संबन्धी विशेष जांच आयोग बनाने कि निरर्थकता ।	100 रुपये
30	7	श्री यशपाल सिंह	मंहगाई भत्ता संबन्धी विशेष आयोग के प्रस्तावित निर्देश पदों पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	8	श्री नम्बियार	संसद् सदस्यों की केरल परामर्शदायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, राशन की मात्रा को बढ़ाकर 8 औंस करने के लिये कमी वाले महीनों में केरल राज्य को दिये जाने वाले चावल की मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	9	श्री नम्बियार	उचित मूल्य की दुकानों तथा राशन की दुकानों पर मिलने वाले चावल के मूल्य को, जो	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि रुपये
			चावल और धान के समाहार मूल्य से कहीं अधिक है, कम करने की आवश्यकता।	
35	10	श्री यशपाल सिंह	भंडागारों की स्थापना पर चर्चा करने की आवश्यकता।	100 रुपये

उपाध्यक्ष-महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 6 का समर्थन करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय यथा सम्भव शीघ्र पनडुब्बियां प्राप्त करनी चाहिये। पिछले कई वर्षों से प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमें अपनी नौ सेना के लिये तथा विमान वाहक जहाज क्रय करना चाहिये क्योंकि वर्तमान विमान वाहक जहाज बहुत पुरान है। हमें अन्य नौ सैनिक-विमान क्रय करने की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

सिंचाई तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के उपयोग के लिये 1954 में भूमिगत साधनों की खोज के लिये परीक्षा के तौर पर एक नलकूप संगठन स्थापित किया गया था। अनाज के उत्पादन के लिये नलकूपों की नितान्त आवश्यकता है। परन्तु इसके लिए धन की भी बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। 'यूनेस्कों' ने अपने हाल ही के विवरण में बताया है कि धरातल के जल की अपेक्षा भूमि के नीचे जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिये।

आज प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों में हो रही वृद्धि से चिंतित है। इसलिये 1962 के चीन के आक्रमण के पश्चात जो उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलने की योजना चालू की गई थी उसका छोटे छोटे नगरों तथा ग्रामों में भी विस्तार किया जाना चाहिये।

———

हाल में हुई रेल से दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. RECENT RAILWAY ACCIDENTS

डा० लक्ष्मी मल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि यह सभा हाल ही की रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य पर, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

इस वर्ष अप्रैल मई, और जून में जो रेलवे दुर्घटनाएं हुई उससे समूचे देश में हलाचल उत्पन्न हो गई है। इन दुर्घटनाओं के कारण देश की जनता का रेलवे यात्रा की सुरक्षा में विश्वास उठ गया है। रेलवे मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलता है। उनका वक्तव्य लोगों में विश्वास उत्पन्न करने में विफल रहा है। परिवहन

तथा रेलवे में दुर्घटनाओं का होना तो अनिवार्य है परन्तु हमारे देश में इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है रेलवे प्रशासन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इन दुर्घटनाओं में 1964-65 में प्रतिदिन 3.8 व्यक्ति मरे तथा 71 व्यक्ति घायल हुए। इसलिये यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

मैं रेलवे मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह अपने विभाग को ठीक करें, प्रशासन को साफ करें तथा रेलवे में सुरक्षा को बनाये रखने के लिये विभाग में आवश्यक सुधार करें। 1962-63 के पश्चात से रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मन्त्री महोदय को यह बताना चाहिये कि ऐसा किस कारण हो रहा है। रेलवे में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये निरन्तर सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा इसको सुरक्षित बनाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।

मीटर गेज लाइनों की निरन्तर अपेक्षा की जा रही है। बड़ी लाइनों की तुलना में मीटर गेज लाइनों की सुरक्षा का प्रबन्ध लगभग 50 प्रतिशत कम है। रेलवे दुर्घटना समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रति 10 लाख प्रति किलोमीटर रेल यात्रा में बड़ी लाइन पर होने वाली दुर्घटनाओं की अपेक्षा मीटर गेज लाइनों पर 50 प्रतिशत अधिक दुर्घटनाएं होती है। और छोटी लाइनों पर दुर्घटनाएं 500 प्रतिशत अधिक होती है। इसलिये रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिये मीटर गेज लाइनों तथा छोटी लाइनों पर सुरक्षा के अधिक प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि एक पृथक मीटर लाइन जोन स्थापित किया जाये।

रेलवे मन्त्री के बार बार आश्वासन देने पर भी भारतीय रेलवे में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये हैं। देश में कुछ दुर्घटनायें तोड़-फोड़ के कारण तथा कुछ प्रक्रिया का अच्छी तरह से पालन न करने के कारण ही हुई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुछ तरीके ढूंढने चाहिए तथा प्रक्रिया बनानी चाहिये।

कुंजरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि रेलवे प्रशासन को इन मानवीय कमियों तथा त्रुटियों को कम करने के लिए नये तरीके ढूढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये। मेरा विचार है कि वास्तव में यह समस्या प्रशिक्षण की समस्या है। ऐसा दावा किया गया है कि कुंजरू समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। परन्तु दिखाई ऐसा देता है कि 'अधिकांश' पर अधिक जोर दिया गया है न कि 'किस्म' पर जो कि एक बिल्कुल भिन्न बात है।

हाल ही में डा० कुंजरू ने कहा है कि दुर्घटना समिति ने जो सिफारिशें की थी उनको सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह अच्छा होता यदि डा० कुंजरू को इन सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाता। हाल ही में हुई दुर्घटनाओं की जांच की जानी चाहिये। सार्वजनिक जीवन में लोगों द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा लोगों के डर तथा शंकाएं दूर नहीं होंगी।

कर्मचारियों की कमी, गलत योजना बनाने तथा कर्मचारियों की मांगों के बारे में भी कुंजरू समिति ने स्पष्ट सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। मन्त्री महोदय को बताना चाहिये कि भारती, परिवेक्षण प्रशिक्षण तथा कर्मचारियों की अन्य

माँगों सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। जब तक तकनीकी कर्मचारियों की कमी तथा उनकी तथा राजपत्रित अधिकारियों के गलत अनुपात को समाप्त नहीं किया जाता तब तक परिवेक्षण कार्य में सुधार सम्भव नहीं है।

मजदूरों, रेलवे गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों परिवेक्षकों तथा अधिकारियों में संतोष उत्पन्न करना ही इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इन लोगों की कठिनाइयों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इन लोगों की मांगों के प्रश्न पर रेलवे प्रशासन उदारता से कार्यवाही नहीं करता है।

रेलवे में यात्रा करने वालों का बीमा किया जाना चाहिये। रेलवे दुर्घटनाओं में मरने वाले अथवा घायल होने वाले लोगों के किश्तदारों को दिये जाने वाले मुवाजे में वृद्धि की जानी चाहिये।

रेलवे पुलिस रेलवे की सुरक्षा कायम रखने में विल्कुल ही अदक्ष है। इसलिए सरकार को सुरक्षा के लिये कुछ अन्य तरीके पूछने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा हाल ही की रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य पर, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : It is a matter of great regret that during the last two months five accidents took place inspite of the fact that both the concerned ministers are quite efficient.

Generally railway accidents take place due to two reasons i. e. by sabotage activities or due to the negligence of the railway staff. But from these accidents it appears that either the railway employees are inefficient, indiscipline or they do not intend to work. So I do not agree with the hon. Minister that a programme has been prepared for the training and recruitment of the technical staff to lesson the number of the accidents.

I would request the railwey administration to consider this matter seriously and find out ways so that this department could function more efficiently. The hon. Railway Minister should give an assurance in this respect. However, it is a matter of satisfaction that the hon. Minister is aware and is taking necessary steps in the right direction.

Investigation should be held again to find out the reasons of the Barni accidents. The results of earlier investigations are not satisfactory. I could not understand how a box full of explosive material was kept in the compartment.

श्री सोलंकी (कैरा) : मुझे प्रसन्नता है कि सभा में रेलवे दुघर्टनाओं पर संकल्प लाया गया है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया। रेलवे ने मोर्चों पर फौजों तथा साज-सामान को पहुंचाने का बहुत सराहनीय काम किया। डा० राम सुभग सिंह ने जब से रेलमंत्री का पद संभाला है, बहुत ही सराहनीय काम किया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कथित रेलवे दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया गया जिस से उन में असंतोष फैल गया जैसा कि कहा गया है। हो सकता है कि यह दुर्घटनायें मानवीय भूलों के कारण हुई हों परन्तु तकनीकी पहलू की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज भी यह संभावना है कि यदि उचित रूप में तथा अच्छी तरह जांच की जाये तो यह पता चलेगा कि मानवीय भूलों के कारण कम तथा तकनीकी गड़बड़ियों तथा अन्य बातों के कारण अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं।

मैं माननीय मंत्रियों को याद दिलाना चाहता हू कि ऐसी कई दुघर्टनाएं हैं जिनकी जांचें अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। 5 अगस्त, 1966 को तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि 1965-66 में हुई, 1,229 दुघर्टनाओं में से 43 मामलों के कारणों का अभी पता लगाया जाना है। इसी प्रकार अप्रैल से जून, 1966 की अवधि में हुई 104 दुर्घटनाओं के कारणों का अभी पता लगाया जाना है। सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे इन दुर्घटनाओं के बारे में उचित तथा शीघ्र जांच की जाये। दुर्घटनाओं के बारे में उचित न्यायिक जांच की जाये। रेलवे अधिकारियों को इन मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त करने से, दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व अन्तत: निम्न श्रेणी के साधारण व्यक्तियों पर थोपा जाता है और ठीक कारणों की खोज नहीं की जाती। इसलिए न्यायिक जांच करना ही उचित है।

अन्य बातों को देखा जाये तो देखा जायेगा कि अब भी ऐसी कई रेलगाड़िया हैं जो बिना 'ब्रेकवैन' के चलती हैं। जनवरी, 1966 में केन्द्रीय रेलवे में 113 मामलों में 'ब्रेक वैन' नहीं पाई गई थी। फरवरी 1966 में ऐसे 97 मामले थे। अप्रैल 1966 में यह मामले 157 थे और जून में 167 मामले ऐसे थे। इतनी अधिक गाड़ियां 'ब्रेक वैन' के बिना चलाई जाती है। इस मामले की जांच की जाये।

दूसरी बात स्वचालित सिगनलों की है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वचालित सिगनलों से रेल व्यवस्था में बड़ी सुरक्षा है। परन्तु कई स्वचालित सिगनलों के खराब हो जाने से दुर्घटनायें हो गई हैं। जहां पर व्यक्ति यह काम करते हैं वहां पर दुर्घटना की कम संभावना थी। अत: केवल मानव भूलों के कारण ही दुर्घटनाएं नहीं होती। इसे बदनाम न किया जाए।

दुर्घटनाओं का एक और कारण है और वह है रेलवे कर्मचारियों में असंतोष। रेलवे इस देश का सब से बड़ा रुपये कमाने वाला उद्योग है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ न करे। इसलिए कर्मचारियों के कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और संतोषजनक जीवन + व्यतीत करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि रेल कर्मचारियों की भली प्रकार देख रेख की जायेगी तो वे और भी कुशलता से कार्य करेंगे। रेल कर्मचारियों में असंतोष का कारण बिना सूचना के तबादला करना और महंगे क्षेत्रों में उनके लिए निवास स्थान की व्यवस्था न करना भी है। इसलिए जब भी रेल कर्मचारियों का तबादला किया जाये तो महाप्रबन्धक अथवा प्रभागीय अधीक्षक उसकी जांच करें। यदि कर्मचारियों की ओर उचित ध्यान दिया गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत दुर्घटनायें और बहुत कम समस्याएं उत्पन्न होंगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : कुछ अज्ञात कारणों से रेलवे दुर्घटनाओं का पत्रों में अधिक प्रकाशन होता है। मई और जून में चार या पांच खतरनाक दुर्घटनाएं हुई जिसके कारण लोगों में अधीरता तथा दुःख की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा अधिक इसलिए हुआ कि यह दुघर्टनाएं यके बादीगरे एक महीने में हुई। इससे लोगों को रेल प्रशासन की योग्यता पर संदेह हो गया कि वह सफर करने वाली जनता के जीवन और सम्पति की यथोचित सुरक्षा कर सकती है।

अब स्थिति शांत हो गई है और अब समय आ गया है कि इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जाये और ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया जाए। रेलवे प्रशासन पर के बारे में अब तक जो आलोचना की गई है वह अनुचित है। जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। रेलवे प्रशासन ने कम से कम पांच घटनाओं में से तीन के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है जो कि रेलवे कर्मचारियों की गफलत के कारण हुए थे। परन्तु इधर उधर की थोड़ी सी दुर्घटनाओं के आधार पर रेलवे प्रशासन को निकम्मा नहीं ठहराया जा सकता चाहे वे दुर्घटनाएं कितनी ही गम्भीर और दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न रही हों। हमें रेलवे के पिछले काम को तथा उसके रेकार्ड को देख कर तथा यह देख कर कि रेलवे ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्यक्रम अथवा योजनाएं बनाई हैं और उनको किस प्रकार कार्यान्वित किया है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। कुछ समय पहले मन्त्री महोदय ने रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने लिए कुछ उपायों का हवाला दिया था। संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि पिछले रेकार्ड से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन इस समस्या के बारे में पूर्णतया जागरुक है और उसने यात्रियों के लिए जोखिम कम करने की सम्भव कोशिश की है। सरकार ने कुंजरू समिति की सभी बड़ी बड़ी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वह उनको कार्यान्वित कर रही है। इन सब उपायों के कारण पिछले पन्द्रह अथवा बीस वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी हुई है। इस विषय के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि पिछले 17-18 वर्षों में रेल गाडियों में 64 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि दुर्घटनाओं में 73 प्रतिशत कमी हुई है। जहां तक गम्भीर दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है। उनमें भी भारी कमी हुई है 1948-49 में ऐसी दुर्घटनाएं 1909 हुई थी पिछले 17-18 वर्षों में ऐसी घटनाएं 1225 हुई अर्थात 86 प्रतिशत की कमी हुई। अतः हम देखते हैं कि रेलवे का काम बहुत संतोषजनक रहा है। इसलिए रेलवे पर आलोचना करना उचित नहीं है।

एक वर्ष में रेलवे कुल जितने यात्री लाती-ले जाती है उनमें से केवल 0.2 प्रतिशत दुर्घटना ये कारण मरते हैं। दूसरे शब्दों में 50 लाख यात्रियों में से केवल एक यात्री रेलवे दुर्घटना के कारण मर जाता है। इसलिए दुर्घटनाएं इतनी नहीं है कि हम उनके बारे में अनावश्यक रूप से चिन्तित हों।

विश्व के अनेक विकसित देशों की अपेक्षा भारतीय रेलों पर पटरी से उतर जाने तथा भिडन्त के कारण किलोमीटर यात्रा को देखते हुए कम दुर्घटनायें होती हैं। यह स्थिति और भी अच्छी होती परन्तु भारतीय रेलवे में पटरी से उतरने तथा भिड़न्त की परिभाषा विश्व के अन्य

देशों की अपेक्षा अधिक व्यापक और गम्भीर है। जब गम्भीर दुर्घटनाओं की गणना की जाती है तो उसमें छोटी-बड़ी सभी प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल की जाती हैं जबकि विश्व के किसी भी भाग में ऐसी दुर्घटनाओं की गणना नहीं की जाती। अन्य देशों के मान को यहां पर लागू किया जाए तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी।

दुर्घटनाओं में मानवीय असफलता की जहां तक सम्बन्ध है, मानव भूलों के कारण होने वाली तुर्घटनाओं में कमी करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा बहुत से उपाय किये जाने के अतिरिक्त ऐसी दुर्घटनाएं बराबर बढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में आंकड़े देखने से पता चलता है कि 1960-61 में हुई 1545 गंभीर दुर्घटनाओं में से 1035 दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण हुई जो कि 66 प्रतिशत थी। 1965-66 में भी 1045 दुर्घटनाओं में से 660 मानवीय भूल के कारण हुई जो कि 64 प्रतिशत थी। इस से पता चलता है कि पिछले सात या आठ वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय को इस मामले की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे ऐसी दुर्घटनाएं कम हो जायें।

*पाकिस्तान जासूस

**PAKISTANI SPIES

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह सर्वविदित है कि पाकिस्तानी जासूसों का जाल हमारे देश में जासूसी कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने अपना कार्य करने के लिए भारत के चार महत्वपूर्ण राज्यों—काश्मीर, पंजाब, असम और पश्चिमी बंगाल—को चुना है। कई बार प्रश्नों के द्वारा सदन और सरकार की सूचना में लाया गया है कि देश में राजदूती मिशनों की नैतिक और वित्तीय सहायता से देश में यह कार्यवाही हो रही है। इसके प्रमाण मिले हैं कि पाकिस्तान के राजदूतावास द्वारा इन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उनका पता लगाने और उन्हें दण्डित करने में सरकार की असफलता के कारण उनका जाल अब पूरे देश में फैल गया है। अब उन का जाल इस प्रकार फैल गया है कि कुछ जासूस तो सरकार और सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में अपना कार्य कर रहे हैं।

सरकार को इन कर्यवाहियों का बहुत पहले से ज्ञान था किन्तु, जासूसों को कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनका सम्पर्क होने के कारण इतने लम्बे समय तक न पकड़ा जा सका। प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप करने पर ही उनको पकड़ा गया है। उन में से एक जासूस श्री सुनील दास तो पिछले 18 वर्षों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में नौकरी कर रहा था। वह प्राय: पाकिस्तानी उच्च आयुक्त और अन्य पाकिस्तानी राजनयिक अधिकारियों से मिला करता था और साथ ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भी भाग लिया करता था। यह बताया जा रहा है कि उसके पास चैक के अलावा कुछ सोना और कुछ अभिशंसी कागजात भी मिले हैं। उस बात की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए कि उसको चैक पाकिस्तानी दूतावास से जारी किया गया है अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ?

* आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion

दूसरे व्यक्ति श्री मोहित चौधरी ने यह स्वीकार किया है कि वह देश में जासूसी का कार्य कांग्रेस के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें श्री अतुल्य घोष भी शामिल हैं, के संरक्षण में रहते हुए करता रहा है। सरकार को इन राष्ट्रविरोधी व्यक्यिों को संरक्षण देने के अपराध में ऐसे सभी नेताओं को नजर बन्द कर देना चाहिए। राष्ट्रविरोधी व्यक्तियों को संरक्षण देने के कारण सब से पहले श्री अतुल्य घोष को गिरफ्तार किया जाए। अगले दिन प्रतिरक्षा मन्त्री ने बताया था कि सीमा पर एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त भी ऐसी राष्ट्र विरोधी कार्यवाही हो रही है। हमारे कांग्रेस दल के व्यक्ति इन जासूसी कार्यवाहियों से मिले हुए हैं और पाकिस्तान उनका उपयोग कर सकता है। फिर भी मेरा कर्त्तव्य है कि इसे देश तथा सरकार की सूचना में लाया जाये। अब उचित यही है कि स्थिति की जांच की जाये। यह छोटा सा मामला नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इन राष्ट्रविरोधी व्यक्तियों की सुरक्षा न करे। इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध कड़े उपाय अवश्य किये जायें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ऐसा जान पड़ता है कि पाकिस्तान के जासूस भारत में कांग्रेस पार्टी वालों से मिले हुए हैं। कलकत्ता स्थित पाकिस्तान उप उच्चायुक्त इनको वित्तीय सहायता दे रहे हैं और इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आसाम में शिलोंग स्थित पाकिस्तानी सहायक आयुक्त ने ऐसी कार्यवाही की थी तो सरकार ने उस कार्यालय को बन्द किये जाने को कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब सरकार कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त के कार्यालय को बन्द किये जाने को कहेगी?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I rise on a point of order. I want to draw your attention to pages 233 to 236 The hon. Members take oath of allegiance to the Constitution when they attend the first sitting of the House after their election to this House. Shri Atulya Ghosh also must have taken an oath. Now it has been said that he gave protection to the persons who were connected with espionage activities I think that for this offence he should be impeached. Shri Ghosh thinks himself to be the super Prime Minister of India. I think you should give a ruling in this regared. Shri S. N. Dwivedi has already said much in this connection.

श्री त्यागी (देहरादून) : श्री मानजी, श्री अतुल्य घोष सभा में उपस्थित नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Sir, this matter comes within the purview of Central Government. It involves the territorial integrity of our country. Central Government can avail itself of the services cf Central Bureau of Investigations. I want to know fromthe hon. Minister whether this matter would be taken up by Central Government and Shri Ghosh and Shri P.C. Sen would not be allowed to hinder the investigations ? I have quoted the Article of the Constitution under which action should be taken.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं जानना चाहती हूं कि जासूसी के इस मामले की जांच का काम पश्चिमी बंगाल सरकार को क्यों सौंपा गया है? इसे केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : समाचार पत्रों में छपा है कि श्री मोहित

चौधरी ने, जिन्होंने अपराध को स्वीकार किया है, कहा है कि वह यूरे नियम के भण्डारों तथा अणु शक्ति सम्बन्धी हमारी तैयारी के बारे में जासूसी करते थे। मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों के विरुद्ध पश्चिमी बंगाल सरकार ही केवल क्यों कार्यवाही कर रही है ? केन्द्रीय सरकार ही क्यों नहीं इस मामले को अपने हाथ में लेती ? अणु शक्ति विभाग प्रधान मन्त्री के अधीन है।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : कलकत्ता में यह अफवाह फैली हुई है कि पश्चिमी सरकार संसार के एक सदस्य श्री अतुल्य घोष के प्रभाव के कारण इन जासूसों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन अफवाहों में कुछ तथ्य है और भारत सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

Shri Bade (Khargaov) : As the names of Congressem have been mentioned in this connection, I suggest that Government should appoint a high powered Commission of Enquiry. The West Bengal Government is not taking any action inspite of our writing three times to them. I want to know whether Central Government would take this matter in its hands ?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): About seven congressmen of border areas of Barmer and Bikaner of Rajasthan fled to Pakistan and on their return they were arrested under D.I.R. One among them has now been enrolled as a member of A. I. C. C. I want to know the reasons for resettling these people in the border areas and reason for their release ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभी देशों में अन्य देशों के दूतावासों पर निगाह रखी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त के कार्यालय की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और वहाँ पर जाने वाले लोगों पर ध्यान रखा जाता है कि वे वहां पर किस काम के लिये जाते है ? यह कैसे कि यह व्यक्ति पिछले छः या सात वर्षों से पाकिस्तान के दूतावास से सम्पर्क स्थापित किये हुए थे और सरकार को इसका पता नहीं चला ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मन्त्री (श्री हाथी) : जासूसी की कार्यवाइयां हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत महत्व रखती हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे यह यर्थ नहीं निकालना चाहिये कि पार्टी के सभी सदस्य दोषी है। यह बात सच नहीं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी का एक कर्मचारी आता था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह असत्य है। इस बारे में माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार को आदेश दिया था।

इस लिये केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्रालय को दोषी कहना अनुचित है। जासूसी के मामले में किसी प्रकार का पक्षपात न कर के कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसमें चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति का हाथ हो। हमें बिना प्रमाण के अन्य व्यक्तियों का नाम बीच में नहीं लाना चाहिये।

इस बारे में जांच पड़ताल हो रही है। जैसे जैसे सम्बन्धित व्यक्तियों का पता चलेगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा। केन्द्रीय सरकार जहां उचित तथा आवश्यक मामलों को अपने हाथ में ले लेती है। केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार तथा बिहार सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। 20 मई को अपराध स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी ब्यान हुआ था। इस बारे में जांच करने के लिये एक योग्य अधिकारी को लगाया गया है। इस मामले में कुछ बिलम्ब हुआ है। परन्तु यह होना अवश्य था। पश्चिमी बंगाल, बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार को पूरा सहयोग दे रही हैं। मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा और कानून के अनुसार पूरी पूरी कार्यवाही की जायेगी।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार अगस्त 18, 1966/**श्रावण** 27, 1888 (**शक**) **के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 18, 1966/Sravana 27, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.